



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

-भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429)

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2008/श्रावण 13, 1930

No. 429)

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2008/SRAVANA 13, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

सं.का.वि. 573(अ).—केन्द्रीय सरकार, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008, (2008 का 19) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;

- (ग) "परिशिष्ट" से नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है ;  
 (घ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;  
 (ङ) "अध्यक्ष" से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;  
 (च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक और चिकित्सा संकायों के प्रतिनिधियों का नामांकन .- (1)

केन्द्रीय सरकार, धारा 5 की उप-धारा (i) के उप-खण्ड (i) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजन के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गैर चिकित्सा वैज्ञानिक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को संस्थान को अप्रसर करने के लिए संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित करेगी :

परंतु उनमें से कम-से-कम तीन व्यक्ति चिकित्सा वैज्ञानिक होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (अ) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजन के लिए विभिन्न विधाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए किसी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था के चिकित्सा संकाय से किसी व्यक्ति को संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित करेगी।

4. आकस्मिक रिक्तियों को भरना .- पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को धारा 5 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, नामांकन या निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

5. अध्यक्ष की शक्तियां.- अध्यक्ष की शक्तियों वे होंगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट होंगी।

6. अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते.- (1) संस्थान का अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी भत्ते अथवा अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तथापि, वह यात्रा और दैनिक भत्ते, यदि कोई हों, जिनका वह धारा 30 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन पात्र हो, प्राप्त कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) की कोई बात निदेशक, जो निदेशक के पद से संबद्ध वेतन और भत्ते प्राप्त कर सकता है, पर लागू नहीं होगी।

7. **स्थायी समितियाँ.-** (1) स्थायी वित्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल होगा। संस्थान धारा-10 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, एक विद्या समिति, एक संपदा समिति, एक स्थायी चयन समिति, चिकित्सालय मामले समिति और किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति का भी गठन करेगा।
- (2) निम्नलिखित विषय स्थायी वित्त समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो उन पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें देगी; अर्थात्,-

- (क) संस्थान की प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाले वार्षिक लेखों के साथ उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट;
- (ख) संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाला बजट अनुमान;
- (ग) नए पद के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव;
- (घ) संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय विषय;
- (ङ) निविदाएं आमंत्रित करने और उन्हें स्वीकार करने से संबंधित सभी विषय।

8. **पदों का सृजन और उन पर नियुक्तियाँ .-** (1) संस्थान बजट में विशेष उपबंधों और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अध्याधीन, ऐसे वेतनमानों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, पद सृजित कर सकती है, उन्हें ग्रेडों में वर्गीकृत कर सकेगी और उनके पदनाम विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

परन्तु सह-आचार्य के स्तर से ऊपर का कोई भी पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय सृजित नहीं किया जाएगा।

- (2) संस्थान द्वारा निदेशक के पद पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से की जाएगी।
- (3) निदेशक के छुट्टी पर चले जाने या त्याग-पत्र देने की दशा में या किसी अन्य संभाव्यता में पद रिक्त होने पर नए निदेशक के नियुक्त किए जाने तक, अध्यक्ष उह मास से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के कृत्यों के लिए ज्येष्ठतम आचार्य को नियुक्त कर सकता है।

परन्तु संस्थान कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक किसी अवधि के लिए निदेशक के रूप में किसी को नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु यह और कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि के छह मास से अधिक होने की संभावना हो तो ऐसी नियुक्ति को छह मास के पश्चात् विस्तार अनुदत्त करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

(4) भर्ती की रीति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हाएँ और विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय और संस्थान में सेवा शर्तें वे होंगी जो विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हों।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और संस्थान का कर्मचारी होने का विकल्प देने वाले अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें, परिशिष्ट में यथा उपबंधित होंगी।

9. **बजट का प्राक्कलन.**- संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला वार्षिक बजट नीचे विनिर्दिष्ट दो भागों में तैयार किया जाएगा और वे ऐसे प्ररूप में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ने अधिकथित किया है और वह उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित तारीख तक तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्;

**भाग-1** गैर-योजना व्यय से संबंधित, और

**भाग-2** योजना व्यय से संबंधित।

10. **संस्थान की निधियों में जमा और उससे निकालना.**- (1) सभी धन, संस्थान की निधि में जमा होंगे, जो पुडुचेरी स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(2) उक्त निधि का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा और निधि से निदेशक अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्थान के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैकों से निकाला जाएगा।

(3) भुगतान के लिए सभी बिलों की संस्थान के लेखा अधिकारी द्वारा पूर्व जांच की जाएगी।

11. **लेखाओं का वार्षिक विवरण.**- (1) संस्थान के वार्षिक लेखे जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में होंगे जो सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं।
- (2) 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष की विवरणी के साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ऐसी संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अवधि तक अपेक्षा की जा सकती है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।
12. **वार्षिक रिपोर्ट.**- (1) धारा 19 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की होगी और सरकार को ऐसी संख्या में प्रतियों के साथ जिसकी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे ऐसी अवधि में भेजी जाएगी, जिसे सरकार द्वारा अधिकथित किया जा सकेगा।
13. **विवरणियां .-** संस्थान केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति द्वारा जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो, विवरणी और सूचना भेजेगी।

परिशिष्ट

**जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों जो संस्थान का कर्मचारी बनने का विकल्प देंगे, के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें**

1. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को उन्हीं वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों, जो उन्होंने तब धारित किए होते यदि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ होता, के साथ अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से संस्थान का कर्मचारी बनने के लिए उनके विकल्प देने तक बगैर प्रतिनियुक्ति भत्ते के प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
2. सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप संवर्ग के सदस्य हैं और जिन्होंने संस्थान का कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प दिया है, को ऐसे विकल्प की तारीख से विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिसका ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है। संस्थान में ऐसी नियुक्ति पर अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता वही रहेगी।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के अधिकारियों को उन्हीं वेतनमानों में नियुक्त किया जाएगा जो वे संस्थान में अपने आमेलन की तारीख को प्राप्त कर रहे थे।

उपाबंध

संस्थान का कर्मचारी बनने का विकल्प देने पर अध्यापन उपसंवर्ग के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों की नियुक्ति  
(कृपया नियम 5 देखें)

क्र.सं.	वर्तमान पदनाम और वेतनमान	प्रस्तावित पदनाम और वेतनमान	अभ्यक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक आचार्य (10000-15200 रूपए)	सहायक आचार्य (11625-15200 रूपए)	
2.	सह आचार्य (12000-16500 रूपए)	सह आचार्य (14300-18300 रूपए)	
3.	आचार्य (14300-18300 रूपए)	अपर आचार्य (16400-20900 रूपए)	9 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रोफेसर को प्रोफेसर के ग्रेड (18400-22400 रूपए) में नियुक्त किया जाएगा।
4.	निदेशक आचार्य (18400-22400 रूपए)	आचार्य (18400-22400 रूपए)	
5.	अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (22400-24500 रूपए)	ज्येष्ठ आचार्य (22400-24500 रूपए)	

[फा. सं. ए.-12034/18/2008-एमई-III]

शालिनी प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(Department of Health and Family Welfare)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2008

**G.S.R. 573(E)—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-**

- 1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Rules, 2008.**

**(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.**

**2. Definitions:**

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008)**
- (b) "Annexure" means the annexure to the rules**
- (c) "Appendix" means the appendix to the rules**
- (d) "Director" means the Director of the Institute**
- (e) "President" means the President of the Institute**
- (f) "section" means a section of the Act;**

- 3. Nomination of representatives of non-medical scientists and medical faculties.— (1) For the purposes of nomination of members under clause (i) of sub-section (1) of section 5, the Central Government, in addition to one non-medical scientist representing Indian Science Congress Association, shall nominate any person to be the member of the Institute having due regard for the furtherance of the Institute:**

**Provided that at least three persons shall be from among medical scientist.**

- (2) For the purposes of nomination of members under clause (j) of sub-section (1) of section 5, the Central Government shall nominate any person from medical faculty of any of the Indian Universities or institutions to be member of the Institute having due regard to different disciplines.
4. **Filling up of casual vacancies.**— Any casual vacancy in the office of a member, other than *ex officio* member, shall be filled by nomination or election, as the case may be, in accordance with the provisions of section 5.
5. **Powers of the President.**— The powers of President shall be as specified in the Regulations.
6. **Allowances of President and Members.**— (1) The President or any members of the Institute shall not be entitled to any allowance or other remuneration. He may, however, draw the traveling and daily allowances, if any, to which he may be eligible under the regulations framed under section 30.
- (2) Nothing in sub-rule(1) shall apply to the Director who may draw the salary and allowances attached to the post of Director.
7. **Standing Committees.**— (1) There shall be constituted a Standing Finance Committee, which shall include the member representing the Ministry of Finance. The Institute may also constitute an Academic Committee, an Estate Committee, a Standing Selection Committee, Hospital Affairs Committee and any other standing or *ad hoc* committee in accordance with sub-section 5 of section 10.
- (2) The following matters shall be referred to the Standing Finance Committee which shall consider them and make its recommendations thereon, namely.—
- (a) annual accounts showing the receipts and expenditure of the Institute together with the audit report thereon;
  - (b) budget estimates showing the estimated receipts and expenditure of the Institute;
  - (c) all proposals for the creation of new post;
  - (d) all financial matters pertaining to the Institute;
  - (e) all matters relating to the invitation and acceptance of tenders.



8. **Creation of posts and appointments thereto.—(1)** The Institute may create posts, subject to specific provision in the budget, and the instructions of the Central Government issued from time to time, on such scales of pay as are approved by the Central Government, classify them into grades and specify their designations:

Provided that no post above the Associate Professor level shall be created except with the prior approval of the Central Government.

(2) The appointment to the post of Director shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.

(3) In the event of the Director proceeding on leave or resigning or the post falling vacant in any other eventuality, till such time a new Director is appointed, the President may appoint the senior-most Professor to look after the functions of the Director for a period not exceeding six months;

Provided that the Institute may appoint, for reasons to be recorded in writing, any person as Director for a period of not exceeding six months;

Provided further that if the period of such appointment is likely to exceed six months, prior approval of the Central Government shall be taken before granting extension of such appointment beyond six months.

(4) The method of recruitment, the age limit, the educational qualifications and other matters relating to appointment to various posts and the conditions of service in the Institute shall be as specified in the regulations.

(5) The pay and allowances and other service conditions of the officers belonging to the Central Health Service and who opts to be an employee of the Institute are as provided in Appendix.

9. **Budget Estimates.**—The annual Budget showing the estimated receipts and expenditure of the Institute shall be prepared in two parts specified below and they shall be in such form as may be laid down by the Central Government and shall be submitted to it in triplicate by the date stipulated by the Central Government, namely:
- Part I relating to Non-Plan expenditure, and
- Part II relating to Plan expenditure.
10. **Deposits into and withdrawals from the Funds of Institute.**— (1) All moneys credited to the Fund of the Institute shall be deposited in any branch of a nationalised bank, at Puducherry.
- (2) The said Fund shall be operated by the Director, and withdrawals from the Fund shall be made by cheques signed by the Director or an officer of the Institute duly authorised by the Director in this behalf.
- (3) All bills for payment shall be pre-checked by an accounts officer of the Institute.
11. **Annual Statement of Accounts.**— (1) The annual accounts including the balance sheet of the Institute shall be in such form as may be laid down by the Government.
- (2) The statements pertaining to each year ending with 31<sup>st</sup> of March together with the audit report thereon shall be forwarded to the Central Government together with such number of spare copies thereof as may be required by the Central Government from time to time by such time as may be laid down by the Government.
12. **Annual Reports.**— (1) The annual report referred to in section 19 shall relate to the year ending on the 31<sup>st</sup> March and shall be submitted to the Central Government together with such number of copies as may be required by the Central Government by such time as may be laid down by the Government.
13. **Returns.**— The Institute shall furnish to the Central Government returns and information in such form and manner as may be required by the Government.

## ANNEXURE

**Pay, Allowances and other terms and conditions of service of officers of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Institute of Medical Education Research (JIPMER), Puducherry belonging to Central Health Service who opts to be the employees of the Institute.**

1. The officers of the JIPMER belonging to the Central Health Service shall be deemed to be on deputation without deputation allowance from the date of the commencement of the Act with the same pay and allowances and other terms and conditions of the service as he would have held such post, if the Act has not come into force till they exercise their option to be employee of the Institute.

2. The Assistant Professor, the Associate Professor and Professor who are members of the teaching sub-cadre of Central Health Service and who have exercised their option to be the employees of the Institute shall be placed from the date of such option in various faculty position as indicated in the Annexure. On such appointment to the Institute the inter-seniority of the officers shall remain the same.

3. The officers belonging to General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service shall be placed in the corresponding scales as they are drawing on the date of their absorption into the Institute.

**ANNEXURE**

**Placement of Central Health Service Officers of teaching sub-cadre on their option to become the employee of the Institute.**

**(See rule 5)**

<b>S.No.</b>	<b>Existing designation and the pay scale</b>	<b>Proposed designation and the pay scale</b>	<b>Remarks</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.</b>	<b>Assistant Professor (Rs.10000-15200)</b>	<b>Assistant Professor (Rs.11625-15200)</b>	.
<b>2.</b>	<b>Associate Professor (Rs.12000-16500)</b>	<b>Associate Professor (Rs.14300-18300)</b>	.
<b>3.</b>	<b>Professor (Rs.14300-18300)</b>	<b>Additional Professor (Rs.16400-20900)</b>	<b>Professor with nine years of regular service shall be placed in the grade of</b>

			<b>Professor</b> (Rs.18400-22400)
4.	<b>Director-Professor</b> (Rs.18400-22400)	<b>Professor</b> (Rs.18400-22400)	
5.	<b>Additional Director General of Health Services</b> (Rs.22400-24500)	<b>Senior Professor</b> (Rs.22400-24500)	

[F.No. A-12034/18/2008-ME-III]

SHALINI PRASAD, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

स.का.वि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की धारा 30 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विनियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "अधिनियम" से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) अभिप्रेत है ;

(ii) "उपाबंध" से इन विनियमों की अनुसूची का उपाबंध अभिप्रेत है ;

(iii) "अध्यक्ष" से संस्थान के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(iv) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(v) 'सभापति' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

- (vi) "नियम" से जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी, नियम, 2008 अभिप्रेत है ;
- (vii) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (viii) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (ix) "स्थायी समिति और तदर्थ समितियां" से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित क्रमशः स्थायी समिति और तदर्थ समितियां अभिप्रेत है ;
- (2) उन शब्दों और पदों जो इस विनियम में प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. **सभापति की शक्तियां और कृत्य :** सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अधिनियम, नियम और इन विनियमों की अनुसूची 1 में अधिकथित किए गए हैं।
4. **संस्थान के अधिवेशन का समय और स्थान :** संस्थान का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जिसे सभापति समय-समय पर निर्धारित करें ; परन्तु संस्थान का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगा।
5. **संस्थान का अधिवेशन बुलाने की शक्तियां :** (1) सभापति संस्थान का अधिवेशन किसी समय बुला सकता है और ऐसा वह तभी करेगा यदि उसे बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए ग्यारह से अनधिक सदस्यों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए लिखित रूप से अध्यक्षता की हो।
- (2) सभापति सात पूर्ण दिनों से अन्यून की लिखित सूचना पर संस्थान का असाधारण अधिवेशन बुला सकेगा, और ऐसा तभी करेगा यदि बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन

के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए ग्यारह सदस्यों से बन्यून की लिखित रूप में उस प्रयोजन से प्रस्तुत किया जाता हो।

6. संस्थान के अधिवेशनों के लिए सूचना: (1) संस्थान के साधारण अधिवेशन के लिए सभापति द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना से सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले यदि डाक द्वारा दी जाती है तो डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन, सचिव द्वारा दी जाएगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन की सूचना के साथ भेजी जाएगी और जहाँ यह संभव न हो, वहाँ कार्यसूची को अधिवेशन से कम-से-कम दस दिन पहले भेजा जाएगा और डाक से भेजने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी। (2)

(2) साधारण अधिवेशनों के लिए सभापति द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के लिए स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना सभापति और सदस्यों को बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले सचिव द्वारा भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन या तार से भेजी जाएगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन से कम-से-कम पाँच दिन पहले भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी।

(3) सभापति निम्नलिखित को अधिवेशन से पहले किसी समय को उसके दोस्त कार्यसूची में शामिल कर सकता है :-

- (i) कार्य की नई मर्दे; (2)
  - (ii) कार्यसूची में सम्मिलित मर्दों की पूरक मर्दे; (3)
- और ऐसी मर्दे विचारार्थ के लिए ली जाएंगी।

7. संस्थान के सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्तुत करना :

संस्थान की बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई संस्थान का सदस्य सचिव को उसकी लिखित सूचना देगा ताकि वह अधिवेशन की तारीख से अन्यून दस दिन पहले उसे प्राप्त हो जाए और ऐसी सूचना दिए जाने पर प्रस्तावित संकल्प सचिव द्वारा सदस्यों को तत्काल परिचालित किया जाएगा और कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

8. गणपूर्ति : (1) संस्थान के अधिवेशन में आठ सदस्यों के उपस्थित नहीं होने तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अधिवेशन करने के निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती तो अधिवेशन स्थगित रहेगा और सदस्य गण सभापति द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर अधिवेशन करेंगे तथा यदि स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन के निर्धारित समय से आधा घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती तो सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम एक तिहाई संख्या में उपस्थित होने पर भी अधिवेशन होगा ;

परन्तु कम-से-कम सात पूर्ण दिनों की सूचना अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और प्रत्येक सदस्य को जो उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे उसी या अगले दिन जैसा मामले में अपेक्षित हो, डाक या तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी।

9. संस्थान के अधिवेशन की अध्यक्षता : (1) सभापति, संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(2) यदि सभापति किसी ऐसे अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यगण अपने में से किसी सदस्य का चयन अधिवेशन के सभापति के लिए करेंगे।



10. कारबार का संव्यवहार : (1) संस्थान के सभी विनिश्चय बहुमत से किए जाएंगे। सभापति मतों के बराबर होने पर निर्णायक मत देगा।
- (2) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अधिवेशन के सभापति द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- (3) संस्थान द्वारा अधिवेशन में निपटाए गए किसी विषय को एक वर्ष बीतने तक और उसके पश्चात् पुनर्विचार के लिए नहीं प्रस्तुत किया जाएगा सिवाय उस मामले में जहां सभापति या सरकार प्रमाणित करती हो कि संस्थान के हित में उस विषय पर और विचार करने की अपेक्षा है।
11. कागज पत्र के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार : (1) संस्थान के करने के लिए आवश्यक कोई कारबार यदि सभापति ऐसा निर्देश दें, भारत स्थित सभी सदस्यों में उनके प्राथिक पत्रों पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा निपटाया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कोई संकल्प पारित माना जाएगा यदि सदस्यों का बहुमत इसका अनुमोदन लिखित रूप में करें, और यह उतना ही प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा यदि यह संस्थान के अधिवेशन में पारित किया गया होता।
- (2) जब कोई कारबार सदस्यों को परिचालन से इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए कम-से-कम तीन सप्ताहों की अवधि अनुज्ञात होगी, ऐसी अवधि उस तारीख से गणना की जाएगी जिस तारीख को कारबार की सूचना जारी की गई है। परन्तु यदि किसी सदस्य से नियत तारीख तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस प्रकार परिचालित संकल्प को संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।
- (3) यदि किसी संकल्प को परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

12. कारबार के अभिलेख : (1) सचिव द्वारा, संस्थान द्वारा किए गए सभी कारबार के संव्यवहारों के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाएगा।
- (2) संस्थान के सभी कारबारों का, जहां तक संभव हो, संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तक में संकल्पों के प्रारूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उनकी सम्यक् रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात् उस अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि ऐसे विनिश्चय संस्थान द्वारा लिए गए थे।
- (3) अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किए जाने के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही संस्थान के सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

13. शासी निकाय का गठन : संस्थान का शासी निकाय निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर बनेगा, अर्थात् :-

- (1.) संस्थान का अध्यक्ष - सभापति
- (2.) सचिव सदस्य पदेन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
- (3.) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार
- (4.) संस्थान के सदस्य जो वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
- (5.) संस्थान का निदेशक
- (6.) मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार
- (7.) संकायाध्यक्ष, संस्थान

अन्य सदस्य

- (8.) संस्थान के लिए निर्वाचित तीन संसद सदस्यों में से संस्थान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य।
- (9.) संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले तीन सदस्य।

- (10.) संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से जेष्ठता क्रम से नामित किए गए संस्थान के दो आचार्य।
- (11.) तीन वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन संस्थान को अग्रसर करने में योगदान करेगा।
14. अध्यक्ष तथा शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य : अध्यक्ष और शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो इन विनियमों में से उपाबंध अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट है।
15. शासी निकाय के अधिवेशनों का समय और स्थान : शासी निकाय का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो समय-समय पर अध्यक्ष अवधारित करेगा ; परन्तु शासी निकाय का अधिवेशन 6 मास में कम-से-कम एक बार होगा।
16. शासी निकाय का अधिवेशन बुलाने की शक्तियां : सभापति, शासी निकाय का अधिवेशन किसी समय बुला सकता है, और ऐसा वह तभी करेगा यदि उसे बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अधिवेशन के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए आठ से अनाधिक सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अध्यक्षता की गई हो।
17. शासी निकाय के अधिवेशन के लिए सूचना : (1) शासी निकाय के साधारण अधिवेशन के लिए अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना सदस्यों को ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले यदि डाक द्वारा दी जाती हो तो डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन सचिव द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन की सूचना के साथ भेजी जाएगी और जहां यह संभव न हो, वहां कार्यसूची को अधिवेशन से कम-से-कम दस दिन पहले भेजा जाएगा और डाक से भेजने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजा जाएगा।

- (2) असाधारण अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित अधिवेशन के लिए स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले सचिव द्वारा भेजी जाएगी और डाक या तार से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी। सभापति द्वारा यथानुमोदित कार्यसूची अधिवेशन से कम-से-कम पांच दिन पहले भेजी जाएगी और डाक से भेजे जाने पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी।
- (3) अध्यक्ष निम्नलिखित को अधिवेशन से पहले किसी समय या उसके दौरान कार्यसूची में शामिल कर सकता है :-
- (i) कार्य की नई मर्दे ;
  - (ii) कार्यसूची में सम्मिलित मर्दों की पूरक मर्दे ;  
और ऐसी मर्दे विचार के लिए ली जाएंगी।

**18. गणपूर्ति :** (1) शासी निकाय के अधिवेशनों में सात सदस्यों के उपस्थित नहीं होने तक कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अधिवेशन करने के निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती तो अधिवेशन स्थगित रहेगा और अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर शासी निकाय का अधिवेशन होगा तथा यदि स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन के निर्धारित समय से आधा घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती तो कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई संख्या में उपस्थित होने पर भी अधिवेशन होगा ;

परन्तु कम-से-कम सात पूर्ण दिनों की सूचना अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और प्रत्येक सदस्य को जो उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे उसी या अगले दिन जैसा मामले में अपेक्षित हो डाक या तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी।

19. शासी निकाय के अधिवेशन की अध्यक्षता : (1) अध्यक्ष, शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (2) यदि अध्यक्ष किसी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यगण अपने में से किसी सदस्य का चयन बैठक के सभापति के रूप में करेंगे।
20. कारबार का संव्यवहार : (1) संस्थान के सभी विनिश्चय बहुमत से किए जाएंगे। अध्यक्ष मतों के बराबर होने पर निर्णायक मत देगा।
- (2) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- (3) संस्थान द्वारा अधिवेशन में निपटाए गए किसी विषय को एक वर्ष बीतने तक और उसके पश्चात् पुनर्विचार के लिए नहीं प्रस्तुत किया जाएगा सिवाय उस मामले में जहाँ अध्यक्ष या सरकार प्रमाणित करती हो कि संस्थान के हित में उस विषय पर और विचार की अपेक्षा है।
21. कागज पत्र के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार : (1) शासी निकाय के करने के लिए आवश्यक कोई कारबार, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें, भारत स्थित सभी सदस्यों में उनके प्राथिक पत्तों पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा निपटाया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कोई संकल्प तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर अनुमोदित कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा यदि वह शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया होता।
- (2) जब कोई कारबार सदस्यों को परिचालन से इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए पूर्ण दस दिनों की अन्यून अवधि होगी, ऐसी अवधि उस तारीख से गणना की जाएगी जिस तारीख को कारबार की सूचना जारी की गई हो। परन्तु यदि किसी सदस्य से नियत तारीख तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार परिचालित संकल्प को संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा।

- (3) यदि किसी संकल्प को परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

## 22. कारबार के अभिलेख :

- (1) सचिव द्वारा संस्थान द्वारा किए गए सभी कारबार के संव्यवहार के अभिलेख का अनुरक्षण किया जाएगा।
- (2) संस्थान के सभी कारबारों का, जहां तक संभव हो संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तक में संकल्पों के प्रारूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी सम्यक रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात् उस अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा कि ऐसे निर्णय संस्थान द्वारा लिए गए थे।
- (3) अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही संस्थान के सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

## 23. शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों को भरा

जाना : (1) संस्थान के सदस्य के रूप में उनके बने रहने के अधीन रहते हुए शासी निकाय के पदेन सदस्य की पदावधि और विनियम 13 के खण्ड (10) और (11) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। कोई पद छोड़ने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचन या पुर्न नाम निर्देशन का पात्र होगा।

- (2) शासी निकाय की सदस्यता में आकस्मिक रिक्ति को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

24. स्थायी और तदर्थ समितियां : (1) स्थायी और तदर्थ समितियों में संस्थान का निदेशक, पदेन सरस्य होगा, जो सचिव के रूप में कार्य करेगा तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जो आवश्यक हो।

(2) तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

परन्तु स्थायी वित्त समिति में केवल संस्थान के सदस्य होंगे।

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की संख्या जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं प्रत्येक अन्य स्थायी अथवा तदर्थ समितियों की कुल सदस्यता के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि स्थायी अथवा तदर्थ समितियों के अधिवेशन में किसी कारबार का संब्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले कुल सदस्यों का कम-रा-कम एक-तिहाई उपस्थित न हों।

(3) स्थायी शैक्षणिक समिति, संस्थान के शैक्षणिक मामलों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी।

(4) स्थायी सम्पदा समिति, नए भवनों के निर्माण, भूमि के अधिग्रहण और निपटान, परिवर्धनों या परिवर्तनों के प्रस्तावों तथा संस्थान के भवनों के अनुरक्षण और उपयोग से संबंधित किसी अन्य प्रश्न पर विचार करेगी। यह संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके विस्तार के लिए प्रस्तावों और परियोजनाओं पर भी विचार करेगा तथा कार्यान्वयन की मानौटिंग करेगा।

(5) स्थायी चयन समिति, या तो सीधी भर्ती के माध्यम से या मूल्यांकन प्रोत्रति योजना के अधीन भरे गए सभी संकाय पदों की नियुक्ति पर विचार करेगी। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा भारत सरकार स्थायी चयन समिति के सदस्य होंगे।

(6) अस्पताल मामले संबंधी समिति, रोगी परिचर्या सेवाओं में सुधार/किसी विशेषज्ञ सेवा अथवा नई सेवा के सृजन, विभिन्न सेवाओं के लिए उदग्रहीत किए जाने वाले प्रभारों

की पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने से संबंधित सभी नीति संबंधी मामलों अथवा अस्पताल प्रबंधन से संबंधित किसी अन्य नीति संबंधी मामले देखेगी।

(7) स्थायी समिति के किसी सदस्य की पदावधि इसके गठन की तारीख से पांच वर्ष होगी और यथाशीघ्र विशिष्ट कृत्य जिनके लिए तदर्थ समिति का गठन किया गया है, पूरे हो जाएंगे, तदर्थ समिति कृत्य से विरत हो जाएगी।

(8) संस्थान द्वारा स्थायी समिति या तदर्थ समिति में आकस्मिक रिक्ति को नाम निर्देशन के द्वारा भरा जा सकता है।

25. संस्थान, शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समिति के सभापति तथा सदस्य को संदत्त किए जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते :- (1) शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों तथा (यथा स्थिति), स्थायी समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को शासी निकाय, स्थायी समिति या तदर्थ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक या अन्य भत्ता प्राप्त नहीं होगा।
- (2) संस्थान के सभापति और प्रत्येक सदस्य, शासी निकाय, स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, यदि वे सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, संस्थान, शासी निकाय, स्थायी अथवा तदर्थ समितियों के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए अथवा संस्थान के किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए ऐसे यात्रा एवं दैनिक भत्तों के पात्र होंगे जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई यात्राओं के लिए उन पर लागू नियमों के तहत अनुमत हैं।
- (3) जहां किररी संस्थान, शासी निकाय, स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के किसी सदस्य को सरकार के अधिकारी होने के नाते यात्रा और दैनिक भत्ते दिए जाएंगे, वहां संस्थान ऐसे अधिकारी को नियोजित करने वाले प्राधिकरण को इस तरह संदत्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।



(4) संस्थान के सभापति और सदस्य तथा शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य जो सरकार में अधिकारी नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरक नियम 190 और उसके अन्तर्गत कार्यकारी विनिश्चय और आदेशों के अधीन समय-समय पर विहित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

26. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य : (1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(2) निदेशक संस्थान के प्रशासन का प्रभारी होगा और वह संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कर्तव्य आर्बद्धित करेगा और ऐसे यथावश्यक पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण करेगा।

(3) शासी निकाय द्वारा अधिरोपित निर्वन्धों के अधीन रहते हुए ; निदेशक को संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए इस अधिनियम, नियमों एवं इन विनियमों के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन संस्थान के किसी अधिकारी को ऐसे निर्वन्धों के अधीन जो शासी निकाय द्वारा उस पर आरोपित किए जाएं, के अधीन करने की शक्ति होगी।

27. पुरस्कार, छात्रवृत्तियां आदि देने की शक्तियां : संस्थान ऐसे पुरस्कार, स्मारिकाएं, वृत्तिकाएं और छात्रवृत्तियां दे सकता है जो इसके द्वारा समय-समय पर विनिश्चय की जाएं।

28. अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश : (1) संस्थान अपने द्वारा संचालन किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश करेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए

साधारण आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में आरक्षण प्रदान करेगा।

(2) संस्थान में पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर एवं स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा संदेय शुल्क अनुसूची 2 के अनुसार होंगे।

29. **उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना :** संस्थान ऐसी उपाधियां और डिप्लोमा दे सकेगा जो समय-समय पर संस्थान द्वारा विनिश्चय किए जाएं।
30. **परीक्षा का संचालन :** निदेशक द्वारा उतनी संख्या में पर्यवेक्षकों, अधीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी जो संस्थान की प्रवेश तथा व्यावसायिक परीक्षा का पंचालन करने के लिए आवश्यक हो और उन्हें अनुसूची 3 में प्रदर्शित दर पर पारिश्रमिक दिया जाएगा।
31. **अस्पताल में ठहराव :** संस्थान अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार करेगा।
32. **कर्मचारियों का पूर्ण कालिक सेवक होना :** जब तक किसी मामले में, यदि वह अन्यथा स्पष्टता उपबंधित न किया गया हो, संस्थान के किसी कर्मचारी का पूर्णकालिक संस्थान के अधीन होगा और वह अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावों के बिना संस्थान के समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी रीति से नियोजित किया जा सकेगा।

33. **स्थायी और अस्थायी पद :** संस्थान की सेवा में पद (i) स्थायी पद अर्थात् किसी सीमा या समय के बिना स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले पद, या (ii) अस्थायी पद अर्थात् सीमित समय के लिए स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले पद, अथवा (iii) कार्य के समापन के लिए सीमित समय हेतु स्वीकृत वेतन की निश्चित दर प्राप्त करने वाले निर्धारित वर्ग/निर्धारित वर्ग (नियमित) पद होंगे।
34. **पदों का वेतनमान :** संस्थान में विभिन्न पदों और वेतनमानों का ब्यौरा संलग्न अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
35. **नियुक्ति के लिए अर्हताएं :**
- (1) विभिन्न पद जिनके अंतर्गत संकाय पद भी है, पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति आयु शैक्षणिक अर्हता और अनुभव तथा संस्थान में उनकी सेवा शर्तें अनुसूची 6 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।
  - (2) निदेशक, संस्थान के अधीन या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा पद और सेवाओं में रिक्तियों को भरने में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों को भरने में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के पक्ष में किए गए आरक्षण को लागू करेगा।
  - (3) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार फीस प्रभारित करेगा।
36. **परिबीक्षा की अवधि :** किसी मामले में जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, सभी कर्मचारी दो वर्षों तक परिबीक्षा पर रहेंगे। कर्मचारी द्वारा

संतोषप्रद सेवा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा जिसके न होने पर उसकी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के या कारण बताए बिना समाप्त की जा सकेंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकरण परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

37. ज्येष्ठता : प्रत्येक प्रवर्ग में संस्थान के कर्मचारियों की ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अवधारित होगी।

38. छुट्टी: संस्थान के अस्थायी और स्थायी कर्मचारी ऐसे छुट्टी तथा छुट्टी वेतन के हकदार होंगे जो कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के तत्संबंधी कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय है।

परन्तु यह कि उक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों के अध्यापन कर्मचारिवृंद को अवकाश विभाग में सेवारत माना जाएगा, नामतः-

1. आचार्य ;
2. अपर आचार्य ;
3. सह आचार्य ;
4. सहायक आचार्य ;
5. चिकित्सा अधीक्षक ;
6. प्राचार्य, परिचर्या कालेज ;
7. उप प्राचार्य, परिचर्या कालेज ;
8. प्राध्यापक ;

इस प्रयोजन के लिए नियमित अवकाश शासी निकाय द्वारा समय-समय पर लिए गए विनिश्चय अनुसार होगा।

परन्तु यह और कि विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर संस्थान के किसी पदधारी को उसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों में यथाअनुबंधित अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

39. **कर्त्तव्य से अनुपस्थिति :** जब तक असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया गया हो, संस्थान का कोई स्थायी कर्मचारी विदेशी सेवा पर होने या पांच वर्षों से अधिक समय तक निलंबन, जिसके अन्तर्गत छुट्टी की अवधि भी है के कारण के बिना अपने पद से अनुपस्थित नहीं होगा।

40. **अधिवाषिता:** (1) अध्यापन आयुर्विज्ञान संकाय को छोड़कर संस्थान के कर्मचारियों की अधिवाषिता की आयु साठ वर्ष होगी ;

परन्तु आयुर्विज्ञान और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को सेवा में विस्तार मंजूर किया जा सकेगा। मामलेवार आधार पर बासठ वर्ष की आयु तक, उन व्यक्तियों के मामलों में अथवादस्वरूप प्रतिभा-संपन्न हैं कारणों को लेखबद्ध करते हुए और संबंधित व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता तथा सतत दक्षता के अध्वधीन दी जा सकती है।

(2) संस्थान के अध्यापन आयुर्विज्ञान संकाय के सदस्यों की अधिवाषिता की आयु पैंसठ वर्ष होगी।

(3) उप-विनियमों (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना जनहित में है, तो उसे संस्थान के किसी कर्मचारी को कम-से-कम तीन मास का लिखित में सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन मास के वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा -

(i) यदि वह समूह क या समूह ख सेवा में या पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व संस्थान की सेवा में शामिल हुआ है तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ;

(4) (क) संस्थान का कोई कर्मचारी यदि वह समूह क या समूह ख सेवा में या पद पर है और वह पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने से पहले सेवा में शामिल हुआ है, तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् और सभी अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को कम-से-कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर सेवानिवृत्ति ले सकेगा।

(4) (ख) नियुक्ति प्राधिकारी निलंबन के अधीन किसी कर्मचारी जो इस उप-विनियम के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, को अनुमति देने से इनकार करने के लिए मुक्त होगा।

#### 41. पेंशन और अभिदायी भविष्य निधि :

(1) संस्थान के कर्मचारियों सिवाय उनके जो संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेशी सेवा वाले कर्मचारी हैं, जिन्होंने संस्थान के कर्मचारी बनने के विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व 1 जनवरी, 2004 से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्त थे और वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के हकदार हैं, को उक्त नियमों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा।

(2) संस्थान के कर्मचारी सिवाय उनके जो प्रतिनियुक्ति पर हैं या विदेशी सेवा वाले कर्मचारी हैं, किन्तु उसके अन्तर्गत वे भी हैं जो संस्थान का कर्मचारी बनने के विकल्प का प्रयोग करने से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए थे, केन्द्रीय सरकार के अधीन उक्त 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में विद्यमान योजनाओं के संयोजन पर संस्थान द्वारा बनाई गई योजना द्वारा शासित होंगे।

42. आचरण, अनुशासन और शास्तियां :

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम, 1965 के भाग 4 (निलंबन), भाग 5 (शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी), भाग 6 (शास्ति लगाने की प्रक्रिया, भाग 7 (अपील) और भाग 8 (पुनर्विलोकन) संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

परन्तु इस विनियम के प्रयोजन के लिए :

(क) संस्थान के समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ के पद क्रमशः केन्द्रीय सिविल सेवा समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ पदों के अनुरूप होंगे।

(ख) संस्थान के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, आरोपित की जाने वाली शास्तियों के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(ग) संस्थान द्वारा उधार लिए गए केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के क्रमशः नियम 20 और 21 के उपबंध लागू होंगे और संस्थान उपर्युक्त दो नियमों के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार, के कार्यों का निर्वहन करेगा।

(घ) किसी भी मामले में संघ लोक सेवा आयोग के साथ कोई परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

43. सेवा की अन्य शर्तें : उन मामलों के संबंध जो इस विनियम में उपबन्धित नहीं है में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथालागू नियम जैसे सेवा वीसा धारण शर्तें, वेतन, जिसके अंतर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते, छुट्टी वेतन, पद ग्रहण समय, विदेश सेवा अवधि भी

है, और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश तथा विनिश्चय संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

44. **पुनर्नियोजित व्यक्तियों का वेतन :** कोई व्यक्ति जो संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थान में नियोजित किया जाए या किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार या सरकार द्वारा प्रशासित किसी कानूनी अथवा स्थानीय निकाय का हो, का वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार विहित वेतनमान में नियत किया जाएगा।

45. **संस्थान का कर्मचारी न बनने की इच्छा करने वाले कर्मचारियों का समायोजन :**

(1) अधिनियम की धारा 28 (1) की उपधारा (1) के अधीन एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर संस्थान का कर्मचारी न बनने की इच्छा करने वाले कर्मचारी और अधिशेष के रूप में दिए गए कर्मचारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन किसी कार्यालय में स्थित किसी पद में रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा और उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समतुल्य वेतनमान पर उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(2) जिन कर्मचारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद में किसी रिक्ति पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारी का पुनःअभिनियोजन) नियम, 1990 के उपबंधों के अनुसार पुनः अभिनियोजित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पास रखा जाएगा।

46. **संस्थान के भवन और भूखण्ड :**

(1) संस्थान अपने भूखण्डों और भवनों का उपयोग संस्थान के प्रयोजन के लिए करेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए, उन्हें ऐसे व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को अधिभोग के लिए आर्बिट्रट कर सकेगा जो शासी निकाय विनिश्चय करे।



(2) संस्थान के कर्मचारी अनुसूची -9 में अधिकथित आवास के आर्बंटन के हकदार होंगे।

#### 47 कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

संस्थान के कर्मचारी जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति और परिवार के सदस्य भी हों, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कर्मचारी स्वास्थ्य योजना में स्वीकार्य चिकित्सा सहायता के हकदार होंगे। वे ऐसे अंशदान का संदाय भी करेंगे जो उस स्कीम के अधीन अपेक्षित है। स्कीम का ध्यौरा अनुसूची-4 है।

48 संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां - परिसीमा के अधीन संस्थान का शासी निकाय या संस्थान का निदेशक संस्थान के लिए और उसकी ओर से वाद या आवेदन प्रस्तुत करने या अन्य सिविल और आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने और उसके लिए वाद चलाने तथा ऐसे प्रयोजन के लिए अन्य वाद पत्रों, याचिकाओं, अपीलों या अन्य दस्तावेजों जो उसके लिए आवश्यक हो सकते हैं पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने, अथवा उन्हें सत्यापित करने, शपथ लेने, शपथपत्र देने और समझौता करने, पंचाट को निर्दिष्ट करने और वाद अथवा अन्य कार्यवाही में प्रतिवाद करने, जो संस्थान के विरुद्ध दायर किया जा सकता है और दावे पर मुकदमा चलाने अथवा अपील अथवा मूल न्यायालय अथवा किसी अधिकारी, चाहे वह सिविल, आपराधिक, राजस्व न्यायालय अथवा कार्यालय में हो के समक्ष हो अथवा आयकर प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिवाद करने और ऐसे प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता, प्लीडर, सालिसीटर अथवा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पैनल से अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

## अनुसूची-1

जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के निदेशक, अध्यक्ष और शासी निकाय की शक्तियां

(कृपया विनियम 12, 22, 25-- देखें)

क्र. सं.	शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों का विस्तार		शासी निकाय	संस्थान निकाय	अभ्युक्तियां
		निदेशक	अध्यक्ष			
1	2	3	4	5	6	7
1	स्वीकृत बजट से निधियों के पुनर्विनियोजन की शक्तियां	पूरी शक्तियां				किसी भी पुनर्विनियोजन संबंधी रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष इसकी तत्पश्चात् होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
2	(क) धोखाधड़ी चोरी आदि के कारण भंडार सामग्री की गैर वसूलनीय कीमत की क्षति के बराबर धन को बड़े खाते में डालना।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ख) आय बंध पत्रों के धन अथवा न वसूले जा सकने वाले अप्रिम की क्षति	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ग) भंडार गृहों की कीमत में कमियां और अवमूल्यन	प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 2 लाख रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-

3	(i) आकस्मिक व्यय, अथवा (ii) भंडारगृहों, स्टेशनरी की खरीद तथा फार्मों की प्रिंटिंग के लिए व्यय करना	स्वीकृत बजट के भीतर पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-
4 भवन का रख-रखाव तथा छोटे-मोटे काम:						
	(क) मूल निर्माण कार्य एवं विशेष मरम्मतें	बिना किसी वार्षिक उच्चतम सीमा के प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रूपए तक	प्रत्येक मामले में 1 करोड रूपए तक	पूरी शक्तियां	-	-
	(ख) साधारण मरम्मतें	पूरी शक्तियां	-	पूरी शक्तियां	-	-
	(ग) वार्षिक मरम्मतें	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
5	(i) वाहन की खरीद के लिए तथा (ii) यात्रा भत्ते के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	स्वयं को छोड़कर अधिकारियों तथा कर्मिकों के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
6	अंशदायी अथवा सामान्य भविष्य निधि में से अग्रिम अथवा न लौटाए जाने वाले धन निकासी मंजूर करने की शक्तियां	स्वयं उसे छोड़कर अधिकारियों तथा कर्मिकों के संबंध में पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
7	लेखों से संबंधित शासकीय अभिलेखों को नष्ट करना	सामान्य वित्तीय नियमावाली परिशिष्ट '13 के भाग II में निर्दिष्ट शर्तों	-	-	-	-

		के अध्यक्षीन पूरी शक्तियां				
8	संस्थान के कामियों के वेतन और भत्तों का माह के अंतिम कार्यदिवस को सीधा भुगतान करने की शक्तियां जहां माह के अंतिम दिन सार्वजनिक छुट्टी वाले हों।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
9	स्टाफ के किसी भी अवधि के अवितरित वेतन और भत्तों को तीन माह से अनधिक अवधि के लिए रोकने का आदेश देने की शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
10	निकटतम अथवा सबसे सस्ते मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग द्वारा माइलेज भत्ते की अनुमति प्रदान करना	पूरी शक्तियां बशर्ते रूट का चयन संस्थान के हित में हो	-	-	-	-
11	यह निर्णय करना कि देश के भीतर कोई विशिष्ट अनुपस्थिति, अनुपस्थिति है अथवा ऊच्युटी	शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए पूरी शक्तियां और अन्य मामलों में एक माह के लिए	शैक्षणिक के अलावा सभी मामलों में एक माह से ऊपर पूरी शक्तियां			
12	अपने स्वयं के और अन्य अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ते के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
13	1. आकस्मिक अवकाश प्रदान करना	स्वयं को छोड़कर सभी अधिकारियों के संबंध में	निदेशक को आकस्मिक अवकाश देने की पूरी	-	-	-

		पूरी शक्तियां	शक्तियां			
	ii. अवकाश प्रदान करना	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के लिए पूरी शक्तियां और समूह क के लिए नब्बे दिनों से अधिक नहीं	समूह 'क' के कार्मिकों के लिए नब्बे दिनों से अधिक के लिए पूरी शक्तियां और निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
	iii. विशेष विकलांगता अवकाश	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
	iv. मातृत्व अवकाश तथा अस्पताल अवकाश	निदेशक के अलावा पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियों	-	-	-
	v. अध्ययन अवकाश	समूह ख, ग और घ कार्मिकों के लिए पूरी शक्तियां, दो वर्षों से अधिक नहीं	शैक्षणिक पदों समेत समूह क के लिए पूरी शक्तियां	-	-	-
14	यह निदेश देना कि आवास को छुट्टी पर गये हुए अधिकारी के कब्जे में माना जाए।	मूल प्रतिनियुक्ति अथवा स्वीकृत अवकाश की अवधि के लिए पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां	-	-	-
15	संस्थान के किसी	पूरी शक्तियां	-	-	-	-

	कार्मिक को अनुसचिवीय कार्मिक घोषित करना					
16	किसी लिअन को निलंबित करना	पूरी शक्तियां बशर्ते कि वह उन पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हो जिन पर लिअन रखा जाता है।	-	-	-	-
17	किसी संस्थान कर्मचारी के लिअन का एक पद से दूसरे में स्थानान्तरण करना	पूरी शक्तियां बशर्ते कि वह सम्बन्धित दोनों पदों पर नियुक्तियां करने के लिए अधिकृत हो	-	-	-	-
18	संस्थान के कार्मिक का एक पद से दूसरे में स्थानान्तरण करना	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
19	वित्तीय नियम 9(6)(ख) के अंतर्गत ड्यूटी पर समझे जाने वाले कार्मिक के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के मामले में पूर्ण शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
20	वेतनवृद्धियों के लिए असाधारण अवकाश की गणना करना	समूह ख, ग और घ के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क के कार्मिकों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
21	चयन समिति की	तीन अग्रिम	तीन अग्रिम	-	-	-

	सिफारिशों पर अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने की शक्ति	वेतनवृद्धियों तक की पूरी शक्तियां	वेतनवृद्धियों से अधिक की पूरी शक्तियां			
22	स्थानापत्र रूप में नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन को वेतनमान की न्यूनतम स्टेज से कम करने की शक्तियां	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	समूह क कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
23	मानदेय मंजूर करना अथवा मानदेय स्वीकार करने की अनुमति देना	सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मूल नियम के नियम 46 (ख) के उपबंधों और उसके अन्तर्गत समय समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक मामले में अधिकतम 5000/- रुपये प्रतिवर्ष तक की पूरी शक्तियां। आवर्ती मानदेयों के मामले में यह सीमा किसी व्यक्ति को	-	-	-	-

		एक वर्ष में दिए गए कुल आवर्ती भुगतानों पर लागू होगी। समूह ख कर्मचारियों के मामले में मामला शासी निकाय को सूचित किया जाएगा।				
24	किसी कर्मचारी को पद को अस्थायी रूप से धारण करने अथवा एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करने और सहायक पदों पर वेतन तथा लिए जाने वाले अनुकंपा भत्ते की रकम नियत करने की शक्तियां	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सदृश वर्गों पर लागू नियमों के अनुसार	-	-	-	-
25	छुट्टी से लौटने से पहले स्वस्थता चिकित्सा प्रमाणपत्र मांगने की शक्ति	निदेशक के मामले को छोड़कर पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में पूरी शक्तियां	-	-	-
26	ओवर स्टे को कवर करने के लिए छुट्टी बढ़ाना	पूरी शक्तियां बशर्ते छुट्टी पर गया कर्मचारी लौटने के बाद संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।	-	-	-	-
27	भारत के भीतर विदेश	परिशिष्ट 4	समूह क	-	-	-



	सेवा में स्थानांतरित करने और विदेश सेवा में वेतन नियत करने की मंजूरी देना।	मूल और अनुपूरक नियमावली का संकलन खण्ड-11 में क्रम संख्या 30 के सामने कालम 5 में उल्लिखित शर्तों के अधधीन समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के संबंध में पूरी शक्तियां	कर्मचारियों के संबंध में पूरी शक्तियां			
28	संस्थान के कर्मचारी जो विदेश सेवा से प्रत्यावर्तित होने से पूर्व छुट्टी लेता है, के प्रत्यावर्तन की तारीख के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
29	व्यक्तिगत मामलों में संस्थान की सेवा में नियुक्ति से पूर्व स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण पत्र की छूट देने की शक्तियां	समूह ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियां	-	समूह क और ख अधिकारियों के संबंध में पूरी शक्तियां	-	-
30	अनुपूरक नियमों के उपबंधों के अधधीन कार्य शुरू करने जिसके लिए फीस दी जाती है और फीस स्वीकार करने की मंजूरी देने की शक्ति	पूरी शक्तियां				

31.	अंशकालिक कर्मचारियों को भुगतान की गई फीस (यात्रा भत्ते के प्रयोजनार्थ) ग्रेड दो घोषित करना	-	पूरी शक्तियां	-		
32.	दो मार्गों में से लघुतम अथवा सबसे सस्ते के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-		
33.	किसी स्टेशन के मामले में यात्रा के शुरू के स्थान और समाप्त होने के स्थान के बारे में निर्णय करना	पूरी शक्तियां	-	-		
34.	संदेह अथवा कठिनाई के मामले में स्टीमर श्रेणी के स्थान जिसके लिए संस्थान का कर्मचारी पात्र है, घोषित करना	पूरी शक्तियां	-	-		
35.	12300/- रुपए से कम वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों द्वारा वायुमार्ग से यात्रा करना	पूर्ण तात्कालिकता और आवश्यकता के मामले में पूरी शक्तियां	-	-		
36.	दौर पर उठरने की अवधि को दस दिनों तक सीमित करने के नियम से छूट प्रदान करने की शक्तियां	निदेशक को छोड़कर नब्बे दिनों तक पूरी शक्तियां	निदेशक के मामले में नब्बे दिन तक पूरी शक्तियां और अन्य के लिए नब्बे दिन से ऊपर के लिए पूरी शक्तियां	-		
37.	यह घोषणा करना कि नियंत्रक अधिकारी कौन होगा और इसके मार्गदर्शन के नियम बनाना	पूरी शक्तियां बशर्ते संस्थान के कर्मचारी को उसका स्वयं का नियंत्रक अधिकारी घोषित न किया जाए।				शासी निकाय के किसी दिशा निर्देश के अध्वधीन

38.	जब किसी चिकित्सा मंडल ने यह सूचित किया हो कि इयूटी पर लौटने के लिए किसी कर्मचारी के फिट होने की कोई उचित संभावना नहीं है, तो उसे छुट्टी मंजूर करना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
39.	उस मार्ग को छोड़कर जिसको यात्री सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, अन्य मार्ग द्वारा ज्वाइनिंग समय की गणना करने की अनुमति देना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
40.	ज्वाइनिंग समय को तीस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर बढ़ाना।	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
41.	लिपिकीय त्रुटि के मामले में संस्थान के समूह ग और घ के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड में दी गई जन्म तिथि को बदलने की शक्तियां	समूह ग और घ कर्मचारियों के मामलों में पूरी शक्तियां	समूह क और ख कर्मचारियों के मामलों में पूरी शक्तियां	-	-	-
42.	वेतन के बकाया आदि जो तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो के दावों की जांच करने की मंजूरी देने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
43.	स्थायी पेशगियों मंजूर करने की शक्ति	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियां	निदेशक के मामलों में पूरी शक्तियां	-	-	-
44.	अप्रयुक्त, फालतू और अनुपयोगी आहार सामग्री का व्ययन	निदेशक निराकरण बोर्ड की सलाह पर पूरी शक्तियां का प्रयोग करेंगा।	-	-	-	-
45.	अपवाद के मामलों में	इन मामलों में	-	-	-	-

	संस्थान के कर्मचारी को मंजूर की गई पेशगियों के पुनर्भुगतान के निबंधनों को अंतरित करने की शक्ति	जिनमें वह पेशगियां मंजूर करने के लिए सक्षम है, पूरी शक्तियां बशर्त ब्याज वाली पेशगियों के मामले में पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि न की जाए।				
46.	संस्थान से प्राप्त अग्रिम से खरीदे गए मोटर वाहनों की बिक्री अथवा स्थानांतरण को प्राधिकृत करने की शक्ति	सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 256 और उसके बाद भारत सरकार के निर्णयों में यथोल्लिखित पूरी शक्तियां	-	पूरी शक्तियां	-	-
47.	कानूनी वार्दों जिनमें संस्थान एक पक्षकार है, के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्तियां	-	-	-	शासी निकाय या संस्थान के किसी सामान्य दिशा निर्देश के अध्यधीन
48.	रोकड़, भंडार सामग्री की अधिरक्षा रखने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रतिभूति का फार्म निर्धारित करने की शक्ति	वित्त समिति के अनुमोदन के अध्यधीन पूरी शक्तियां	-	-	-	-
49.	बजट प्रावधानों के अध्यधीन कार्यों को	निधियों की उपलब्धता के	-	-	-	-

	छोड़कर आकस्मिकता और भंडार सामग्री पर व्यय करने की शक्ति	अध्यधीन कार्यों को छोड़कर आकस्मिकता और भंडार सामग्री खरीद पर निदेशक को पूरी शक्तियाँ				
50.	मुख्यालय से पूरी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने हेतु दैनिक भत्ते को माइलेज भत्ते से बदलने की अनुमति देने की शक्ति	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियाँ	निदेशक को छोड़कर पूरी शक्तियाँ			
51.	जब संस्थान में संस्थान के किसी कर्मचारी को लोकोपयोग के साधन प्रदान किए जाते हैं लेकिन वह इसके इस्तेमाल अथवा प्रोपल्शन के सभी खर्चों का भुगतान करता है तो किराये अथवा प्रभारों की रकम नियत करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ				
52.	जाँच आयोग में उपस्थित होने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्रदान करना और उनका ग्रेड नियत करना	पूरी शक्तियाँ				
53.	पहाड़ी स्टेशन पर दस दिन से अधिक अवधि तक ड्यूटी पर ठहरने की मंजूरी देने की शक्ति	सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तीस दिन तक पूरी शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ			
54.	छुट्टियों सहित छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के लिए मंजूरी देने की शक्ति	निदेशक से छोड़कर सभी के संबंध में पूरी शक्तियाँ	निदेशक के संबंध में पूरी शक्तियाँ			
55.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने के	पूरी शक्तियाँ यदि	पूरी शक्तियाँ	-	-	-

	लिए संस्थान के किसी प्रतिनियुक्त कर्मचारी को स्वीकार्य यात्रा भत्ते की दर के बारे में निर्णय करने की शक्ति	प्रशिक्षण की अवधि नब्बे दिन से अधिक न हो।				
56.	आवास आवंटित करना	पूरी शक्तियां	-	-	-	-
57.	संस्थान के अधिकारियों को बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों आदि में भाग लेने हेतु अथवा लघु नियुक्तियों पर विदेश जाने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति	किसी प्रकार की देय और तीस दिन की अवधि तक स्वीकार्य छुट्टी के आधार पर तथा यह कि संबंधित संकाय सदस्य को बैठक आदि प्रायोजकों से समुचित निमंत्रण प्राप्त हुआ हो, निदेशक के मामले को छोड़कर पूरी शक्तियां।	कर्मचारियों के मामले में तीस दिन से अधिक के लिए पूरी शक्तियां और निदेशक के बारे में पूरी शक्तियां			केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए कार्यकारी आदेशों के अध्यक्षीन
58.	संकाय के सदस्यों द्वारा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों अथवा विचार गोष्ठियों अथवा सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में मानने की शक्तियां	यात्रा की अवधि सहित अधिकतम तीस दिनों तक पूरी शक्तियां	तीस दिन के ऊपर पूरी शक्तियां	-	-	केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए कार्यकारी आदेशों के अध्यक्षीन
59.	संस्थान के कर्मचारियों के कहीं भी नियुक्त होने पर संस्थान में उनके लिए को	समूह ख, ग और घ के पदों के लिए दो वर्षों की	समूह क पदों के लिए अधिकतम दो वर्षों तक पूरी	समूह क पद के लिए दो	-	-

	बनाए रखने की शक्तियाँ	अधिकतम अवधि, एक बार में एक वर्ष तक की पूरी शक्तियाँ	शक्तियाँ	वर्ष से अधिक के लिए पूरी शक्तियाँ		
60.	संस्थान के अधिकारियों के संस्थान के कार्य के संबंध में विदेश जाने तथा अनुपस्थिति को ड्यूटी के रूप में मानने के अनुमति देने की शक्तियाँ	तीस दिन तक पूरी शक्तियाँ बशर्ते संस्थान के कार्य के संबंध में बिताई गई अवधि जिसे ड्यूटी माना गया हो को छोड़कर कोई वितीय निहितार्थ न हो।	तीस दिन से अधिक के लिए पूरी शक्तियाँ	-	-	केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अध्याधीन
61.	पदों पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ नियम, 1967 के नियम 7 के अध्याधीन)					
i.	समूह ख ग और घ पदों के लिए पूरी शक्तियाँ। परिचर्या और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक तथा सहायक आचार्य के लिए एक वर्ष से अधिक नहीं।	संकाय पदों को छोड़कर सभी समूह क पदों के लिए पूरी शक्तियाँ। आचार्यों के लिए एक वर्ष से अधिक और नर्सिंग एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्राध्यापक तथा सहायक आचार्य				

		के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए				
ii. स्थायी	समूह ग और घ पद	समूह ख पद	समूह क पदों के लिए पूरी शक्तियाँ			
62.	अधिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए अस्थायी रिक्तियों पर पुनः सेवनागार देने की मंजूरी देना।	समूह ग कर्मचारियों के मामले में साठ वर्ष की आयु तक, एक बार में एक वर्ष तक पूरी शक्तियाँ	समूह ख अधिकारियों के मामले में साठ वर्ष की आयु तक एक बार में एक वर्ष तक पूरी शक्तियाँ	-	-	-
53.	सरकारी छुट्टियों को छुट्टियों के साथ मिलाने के संबंध में अनुपूरक नियम 209 के उपबंध (उपबंधों) को छोड़ देना अनुपूरक नियम 211 से विचलन को प्राधिकृत करना।	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-
64.	परिष्कार अर्वाधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद समूह क और ख अधिकारियों की पूर्ति करने की शक्ति।	निदेशक के मामले को छोड़कर पूरी शक्तियाँ।				
65.	संस्थान के समूह ख कर्मचारियों का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ				
66.	समूह 'क' कर्मचारियों का त्याग पत्र स्वीकार करने की शक्तियाँ	प्रोफेसरों और अपर प्रोफेसरों के मामले को छोड़कर सभी समूह क पदों के संबंध में पूरी शक्तियाँ	निदेशक (संस्थान द्वारा अभिपुष्टि करने के अध्यक्ष) और आचार्य और अपर आचार्य के मामले में पूर्ण शक्तियाँ			



67.	सामान्य नियमों के अधीन संस्थान के कर्मचारियों का वेतन नियत करने की शक्तियाँ	पूरी शक्तियाँ				
68.	अनुसंधान अनुदान स्वीकार करने की शक्तियाँ यदि वह तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए हों	पूरी शक्तियाँ बशर्त यह भारत सरकार की सामान्य नीति के अध्याधीन हो।				
69.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में निबंधन और शर्तों जहाँ शर्त सामान्य प्रकृति की हों, को स्वीकार करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ				
70.	ज्येष्ठ रेजीडेण्ट/ट्यूटर्स के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ				
71.	अनुसंधान योजनाओं के कर्मचारियों को उनकी संस्थान के नियमित पदों पर नियुक्ति होने पर मूल नियम 27 के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ मंजूर करने की शक्ति	प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर पूरी शक्तियाँ				
72.	उस मामले में जहाँ भत्ता दैनिक भत्ते के स्वरूप में मिलता हो और कोई भानदेय शामिल न हो, अनुपूरक नियम 12 के उपबंधों में छूट देने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ				केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अध्याधीन
73.	यह घोषणा करना कि संस्थान के किसी कर्मचारी	समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के	समूह क के			

	कें वतन में सड़क द्वारा की गई सभी यात्राओं के लिए मुआवजा शामिल हो।	मामले में पूरी शक्तियाँ	मामले में पूरी शक्तियाँ			
74.	इस संदेह के मामले में कि क्या कोई कर्मचारी अवकाश के दौरान विभाग में कार्य कर रहा है, निर्णय करना।	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-
75.	किसी कर्मचारी को भारत के किसी भाग में ड्यूटी पर जाने के लिए प्राधिकृत करना।	प्रोफेसर्स को छोड़कर समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियाँ	प्रोफेसर्स के मामले में पूरी शक्तियाँ	-	-	-
76.	वेतन आदि के बकाया जो तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं लेकिन छह वर्षों से अधिक अवधि से लंबित नहीं हों, के दावों की जांच करने की मंजूरी प्रदान करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ	अन्य मामलों में पूरी शक्तियाँ	-	-	-
77.	आकस्मिक व्यय के मामले में अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-

78.	वाहन की खरीद हेतु अग्रिम की मंजूरी देने की शक्ति	सामान्य वित्तिय नियमों के नियम 199 से 218 में निर्धारित सीमा तथा शतों के अध्वधीन संस्थान में स्थायी पदों वाले कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-
79.	साइकिल की खरीद के लिए मंजूरी की गई अग्रिम राशि संस्थान को लौटाने के लिए किशतों की संख्या को अधिकतम चौबीस तक बढ़ाने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-

80.	संस्थान के कर्मचारियों को यात्रा, स्थानान्तरण आदि के लिए अग्रिम की मंजूरी की शक्ति	सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 231 से 234 में निर्धारित सीमा तथा शर्तों के अधधीन संस्थान में स्थायी पदों वाले कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-
81.	प्रमुख त्योहारों के उपलक्ष्य में वेतन के अग्रिम भुगतान की मंजूरी की शक्ति	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	-
82.	संस्थान के पैसे की अभिरक्षा से सम्बन्धित नियम 109 (1) के उपबन्धों से विचलन प्राधिकृत करने की शक्ति	पूरी शक्तियाँ	-	-	-	शासी निकाय या संस्थान द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अधधीन
83.	अस्पताल के प्रभारों अथवा शुल्क तथा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले अन्य प्रभारों का निस्तन	-	-	संस्थान की स्थायी वित्तीय समिति की सिफारिशों पर	पूरी शक्तियाँ	-
84.	i. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह 'क' अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियाँ	-	शासी निकाय के अनुसमर्थन के अधधीन निर्देशक की सिफारिशों पर	-	पूरी शक्तियाँ	-
	ii. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह 'ख' अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति	चयन समिति की सिफारिशों पर	-	-	पूरी शक्तियाँ	शासी निकाय या संस्थान द्वारा अधिकृत किन्हीं विस्तार-निर्देशों के अधधीन

अनुसूची-2

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी									
संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क (फीस) का ढांचा									
क्रम संख्या	विवरण	एमबी/एस	बी.एससी. (परिचर्या)	बी.एससी. (एमएलटी)	एमडी/एमएस	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/डी.एम.	एम.एससी. (चिकित्सा जैव रसायन)	पीएच.डी.
1	शिक्षण शुल्क (प्रति वर्ष)	250.00	130.00	130.00	200.00	200.00	500.00	120.00	500.00
2	जागरण शुल्क (प्रति वर्ष)	800.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
3	सुव्रसाधन शुल्क (प्रति वर्ष)	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00
4	जमानती राशि (वार्षिकी योग्य)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	विश्वविद्यालय विकास शुल्क (एक बारगी)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6	विश्वविद्यालय खेल-कुद शुल्क (प्रति वर्ष)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
7	विश्वविद्यालय राजस्वी शुल्क (वार्षिकी के समय)	40.00	40.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00
8	विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क (प्रति वर्ष)	10.00	10.00	10.00	-	-	50.00	10.00	-
9	पेटाकुन्ट शुल्क (वार्षिकी के समय)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	50.00
10	मासिक शुल्क (वार्षिकी के समय)	75/180/450	75/180/450	75/180/450	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00

11	संग्रह निधि (शिक्षण शुल्क का 5%) (प्रति वर्ष)	13.00	7.00	10.00	10.00	25.00	6.00	-
12	छात्रवास जयन्ती जमा (वार्षिकी योग्य)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13	प्रतिस्पर्धा प्रथम (प्रति वर्ष)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14	छात्रवास कक्ष का विन्यास (प्रति वर्ष)	2,316.00	2,316.00	-	-	-	2,316.00	2,316.00
15	विद्युत प्रथम (प्रति वर्ष)	72.00	72.00	-	-	-	72.00	72.00
16	भोजनालय जमा (वार्षिकी योग्य)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क

	प्रथम वर्ष	1,515.00	प्रति वर्ष 125/-रु.	630.00	-	-	1,515.00	-
	द्वितीय वर्ष	1,765.00		630.00	-	-	1,515.00	-
	तृतीय वर्ष *	1,015.00		465.00	2,895.00	3,095.00	1,595.00	-
	चतुर्थ वर्ष *	2,395.00		-	-	-	-	-
टिप्पणी *	एमबीबीएस अंतिम (भाग-II)							
**	एमबीबीएस अंतिम वर्ष (भाग-II)							

**अनुसूची 3****विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु पारिश्रमिक (स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर****दोनों, की ध्योरी परीक्षाओं के लिए)**

i.	समन्वयक	300.00 रूपए प्रति दिन
ii.	मुख्य पर्यवेक्षक/अधीक्षक/केन्द्र पर्यवेक्षक/अधीक्षक	150.00 रूपए प्रति दिन
iii.	सहायक पर्यवेक्षक/अधीक्षक	140.00 रूपए प्रति दिन
iv.	निरीक्षक	100.00 रूपए प्रति दिन
v.	चतुर्थ श्रेणी कर्मी	65.00 रूपए प्रति दिन

(तैयारी समेत)

**II. विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक****क. स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम**

एम.बी.बी.एस

बी.एससी. (परिचर्या)

ध्योरी का मूल्यांकन:

प्रति पर्चा (पेपर) प्रति परीक्षक 40/-रूपए

प्रेक्टिकल

प्रति परीक्षक प्रति परीक्षार्थी 30 रूपए, न्यूनतम प्रति परीक्षक 300 रूपए प्रति दिन।

अध्यक्ष-सह-संयोजक (परिणामों के लिए बोर्ड की बैठकों हेतु)

250 रूपए प्रति दिन तथा प्रति सदस्य बैठक शुल्क 100 रूपए

**ख. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (आयुर्विज्ञान)****(i) डिग्री और डिप्लोमा:**

ध्योरी मूल्यांकन:

प्रति अभ्यर्थी प्रति परीक्षार्थी 100 रूपए, न्यूनतम पारिश्रमिक 500 रूपए प्रति दिन

प्रेक्टरकल:

प्रति अभ्यर्थी प्रति परीक्षार्थी 85 रूपए, न्यूनतम पारिश्रमिक 500 रूपए प्रति परीक्षक

शोध प्रबन्ध सुधार (एमएस/एमडी/एमसीएच/डीएम और डिप्लोमा के लिए)

प्रति परीक्षक प्रति शोध प्रबन्ध 400 रूपए

(II) एम.एससी (जीव-रसायन):

घोरी मूल्यांकन:

प्रति पर्चा 10 रूपए, न्यूनतम 150 प्रति परीक्षक

प्रायोगिक परीक्षा:

प्रति परीक्षक प्रति अभ्यर्थी 25 रूपए और प्रवेशन (प्रेसक्रिप्शन) के लिए प्रति बैच 100 रूपए

शोध प्रबन्ध सुधार:

प्रति परीक्षक प्रति शोध प्रबन्ध 200 रूपए

(III) पीएच.डी पाठ्यक्रम

बाहरी परीक्षक के लिए 500 रूपए

दिशानिर्देशक (गाइड) के लिए 500 रूपए

प्रति सह दिशा निर्देशक 250 रूपए

शोध प्रबन्ध सुधार:

भारतीय परीक्षक के लिए 1000 रूपए प्रति उम्मीदवार

विदेशी परीक्षक के लिए 200 डालर प्रति उम्मीदवार

ग. प्रश्न-पत्र बनाने के लिए पारिश्रमिक:

एमडी/डिप्लोमा/डीएम/एमसीएच/एम.एससी (जीव-रसायन) के लिए 500 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

एम.बी.बी.एस. के लिए 400 रूपए प्रति प्रश्न पत्र

बी.एससी (एम.एलटी) के लिए 250 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

बी.एससी. (परिचर्या) के लिए 250 रूपए प्रति प्रश्न-पत्र

जन मौखिक परीक्षा (वाइटा) के लिए

### III. कुशल कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के लिए पारिश्रमिक की सूची

क्रम संख्या	प्रवर्ग	अनुज्ञेय व्यक्तियों की संख्या	दर
1.	मुख्य पर्यवेक्षक	1	120 रूपए प्रति दिन
2.	कुशल सहायक	1	75 रूपए प्रति दिन
3.	सहायक अधीक्षक/कक्ष (हाल) अधीक्षक	1	75 रूपए प्रति दिन
4.	नर्स	1	50 रूपए प्रति दिन
5.	तकनीशियन	1	50 रूपए प्रति दिन
6.	वरिष्ठ परिचर	1	35 रूपए प्रति दिन
7.	कनिष्ठ परिचर	1	35 रूपए प्रति दिन
8.	कुली	1	35 रूपए प्रति दिन
9. *	रोगी	1	20 रूपए प्रति दिन
10.	आहार प्रभार	1	25 रूपए प्रति दिन प्रति रोगी
11.	पानीवाला	1	25 रूपए प्रति दिन
12.	सफाईवाला	1	25 रूपए प्रति दिन
13.	गेस मैन (जैव रसायन के लिए)	1	35 रूपए प्रति दिन

\* एम.बी.बी.एस. (क्लीनिकल)

- प्रति उम्मीदवार 2 रोगी

डिप्लोमा/एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच

- प्रति उम्मीदवार 4 रोगी



अनुसूची 4

## अस्पताल में ठहराव

## बिस्तरों और प्रभारों का बर्गीकरण

	कक्ष का किराया	आहार प्रभार
सम्बद्ध स्नानागार और वातानुकूलित सुविधाओं सहित 'ए' वर्ड में एकल बिस्तर	150 रूपए	30 रूपए
सम्बद्ध स्नानागार सहित 'बी' वर्ड में एकल बिस्तर	100 रूपए	25 रूपए
सामान्य स्नानागार सहित 'सी' वर्ड में दो बिस्तर	50 रूपए	20 रूपए

## 1. पात्रता

प्राइवेट/विशेष वर्ड के लिए प्रभारों का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति भर्ती हो सकता है।

## 2. सरकारी कर्मचारियों के लिए पात्रता

संस्थान के कर्मी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार के अनुसार भर्ती होने के पात्र हैं:-

'सी' वर्ड	2550 रूपए से 5499 रूपए तक मूल वेतन वाले
'बी' वर्ड	5500 रूपए से 7999 रूपए तक मूल वेतन वाले
'ए' वर्ड	8000 रूपए और उससे ऊपर मूल वेतन वाले

### 3. बहिरंग रोगी

- जिन रोगियों की मासिक आय 2499 रूपए तक है, उनसे बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं/उपचार के लिए कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।
- जिन रोगियों की मासिक आय 2500 रूपए और उससे अधिक है, उनसे बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं/उपचार के लिए प्रभार लिए जाएंगे।
- बहिरंग रोगी विभाग के सभी दन्त रोगियों से आय को ध्यान में रखे बिना (आय-निरपेक्ष) प्रभार लिया जाएगा।
- सभी अन्तः विभाग या बहिरंग रोगी विभाग के कैंसर पीड़ित रोगियों को उनकी आय को ध्यान में रखे बिना सभी, उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

### 4. विकिरण विज्ञानी जाँच, प्रयोगशाला परीक्षणों, क्लीनिकल प्रक्रियाओं एवम् अन्य जांचों के लिए फीस उद्ग्रहण के लिए प्रभार

- 'ए' और 'बी' श्रेणी के विशेष वार्ड-बिस्तरों के लिए उपाबन्ध-2, 3 और 4 के अनुसार पूरा प्रभार।
- 'सी' श्रेणी विशेष वार्ड-बिस्तरों के लिए उपाबन्ध-2, 3 और 4 के अनुसार 50% प्रभार।

### 5. कृत्रिम उपकरणों के लिए प्रभार

कृत्रिम साधनों के लिए प्रभार, समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार बसूला जाएगा।

### 6. विद्यार्थियों, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और जूनियर रेजीडेंट्स के लिए

- जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के विद्यार्थी और अनिवार्य गृह चिकित्सकों (हाऊस सर्जन) 'सी' श्रेणी के आवास के पात्र होंगे तथा उनसे कोई प्रभार (आहार (भोजन) सहित) नहीं लिया जाएगा।
- आहार प्रभारों को छोड़ कर, जूनियर रेजीडेंट 'सी' श्रेणी में मुफ्त उपचार पाने के पात्र होंगे।

### 7. कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) और सीनियर रेजीडेंट्स के लिए

- समय-समय पर यथासंशोधित सी.एस. (एम.ए.) नियम, 1944 के अनुसार सीनियर रेजीडेंट्स और उनके परिवारों समेत जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कर्मचारिवृन्द से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले/राष्ट्रीय कैडेट कोर समेत सेवारत रक्षा कर्मी आहार के अलावा मुफ्त उपचार के पात्र होंगे।

8. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

सेवानिवृत्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कर्मी/उनके पति/पत्नी चिकित्सा परिचर्या की उन्हीं सुविधाओं के पात्र होंगे जिसके वे सेवाकाल के दौरान पात्र थे।

9. स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी और उनके आश्रित, समूह 'क' अधिकारियों को यथालागू उन्हीं सुविधाओं के पात्र हैं।

10. हरे (ग्रीन) कार्डधारी

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हरे कार्डधारी 'सी' श्रेणी के बिस्तरों पर मुफ्त उपचार के पात्र हैं।

टिप्पण:-

- यदि पात्र श्रेणी में कक्ष उपलब्ध नहीं होता तथा चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दाखिला 'तत्काल' प्रमाणित किया गया है तो उच्च श्रेणी में कक्ष अस्थायी तौर पर दिया जाएगा जब तक कि पात्र श्रेणी में कक्ष उपलब्ध नहीं हो जाता। उन सभी अन्य मामलों में जब कर्मचारिवृन्द/विद्यार्थी अपनी पात्रता से उच्च किस्म के कक्ष का विकल्प लेते हैं तो उन्हें उस विशेष किस्म के बिस्तर के लिए, उस उच्च श्रेणी में भर्ती होने की तारीख से ऑपरेशन, जाँच, कक्ष आदि के लिए स्वीकार्य प्रभारों और उनकी पात्रता के किस्म के प्रभारों की राशि के अन्तर का भुगतान करना होगा।

- अप्रत्याशित-पर सामान्यतः बिस्तरों की श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है। यदि यह परिवर्तन निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में मांगा गया है, तो रोगी को उच्च श्रेणी के लिए स्वीकार्य सभी प्रभासों (निम्न श्रेणी की अवधि में कक्ष के किराए को छोड़कर) का भुगतान करना होगा।

### 11. आधे दिन के लिए प्रभार

12 बजे दोपहर के बाद भर्ती होने वाले और 12 बजे दोपहर से पहले सुट्टी दिए जाने वाले रोगियों से आधे दिन का प्रभार लिया जाएगा।

### 12. अन्य

- यदि किसी तकनीकी अथवा प्रक्रियागत गलती और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समान तरह के परीक्षण का निदान और शल्यक्रियात्मक प्रक्रियाएं दुबारा से की जानी हैं ताकि सही निदान पर पहुँचा जा सके, तो उस जॉब के लिए रोगी से प्रभार नहीं लिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी इस तरह के दृष्टान्तों को मांग पर्ची/भुगतान कार्ड के ऊपरी हिस्से में विनिश्चित करेगा।
- चिकित्सा अधीक्षक, सम्बन्धित शल्य चिकित्सक से परामर्श करके ऑपरेशन प्रभार की सूची में समुचित संशोधन कर सकता है, यदि कोई नई शल्यक्रियात्मक प्रक्रिया जोड़ी जानी है अथवा यह समझा जाता है कि किसी ऑपरेशन के लिए प्रभार बढ़ाया या घटाया जाना है। जॉबों के प्रभार के लिए भी यह लागू होगा।

- विशेष वार्ड के रोगी द्वारा सभी दवाइयां खरीदी जाएंगी। तथापि, उस अवधि के दौरान जब रोगी दवाइयां खरीदने का प्रबन्ध करेगा, उसे भुगतान के आधार पर पहले 24 घंटे के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में और किसी दवाई के खुले बाज़ार में उपलब्ध न होने की आपात स्थिति में चिकित्सा अधीक्षक की अनुमति से भुगतान के आधार पर दवाइयां निरन्तर दी जा सकती हैं।
- अस्पताल द्वारा दी गई दवाइयों की पूरी कीमत, जिस समय दवाइयां दी जाएंगी उसी समय ली जाएगी। प्रभार, रोगी को छुट्टी देने के समय बाज़ार में प्रचलित दर के आधार पर फार्मसी द्वारा नियत किया जाएगा।
- साधारण वार्ड के रोगी के लिए दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी, किंतु यदि कुछ दवाइयां अस्पताल के भण्डार में नहीं हैं तो रोगियों को उनका इन्तज़ाम स्वयं करना पड़ेगा।
- चिकित्सा अधीक्षक विशेष कारणों (शैक्षिक, अनुसंधान या अन्य कारण) के लिए किसी तरह के शुल्क, जाँचों का अन्य तरीके से संग्रहित राशि को कम कर सकता है अथवा पूरी तरह माफ कर सकता है, बशर्ते कि यह राशि एक वित्तीय वर्ष में 30,000 रूपए से अधिक न हो। इस तरह माफ की गई राशि का तिमाही विवरण एक अलग रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा तथा सूचना के लिए इसे मंत्रालय/भुगतान व लेखा कार्यालय, पुढुचेरी को भेजा जाएगा।

## प्रभारों की अनुसूची-

क्रम संख्या	जोच परीक्षण	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की संशोधित दरें (रूपए)
1.	अल्ट्रासाउंड/एनएसटी	150.00
2.	आई.बी.पी. (गुर्दे, मूत्रवाहिनी आदि के लिए परीक्षण)	150.00
3.	बेरियम मील (जठरांत्र)	150.00
4.	इको कार्डियोग्राफी (हृदय-कार्य)	250.00
5.	टी.एच.टी. (हृदय के लिए स्ट्रेस परीक्षण)	150.00
6.	डॉक्टर (एम्बुलेटरी/मोबाइल ईसीजी)	250.00
7.	यूरोडायनेमिक्स (गुर्दा-कार्य)	500.00
8.	एंडोस्कोपी : ऊपर और नीचे की जीआइ एंडोस्कोपी त्रोंकोस्कोपी (श्वसन-मार्ग), सिस्टोस्कोपी (पूत्राशय)	100.00 100.00 100.00 100.00
9.	हैडमोडायलिसिस (गुर्दा)	500.00
10.	इइजी (मस्तिष्क के लिए)	200.00
11.	लिपिड प्रोफाइल (रक्त जोच)	100.00
12.	हलिसा जोच (क्षयरोग/एड्स)	25.00
13.	इन्ट्राविनस यूरोग्राफी (परीक्षण : गुर्दा, मूत्रवाहिनी आदि)	150.00
14.	मायोट्रैटिंग सिस्टो-यूरोग्राम (गुर्दे, मूत्रवाहिनी आदि के लिए जोच)	150.00
15.	रिट्रोग्रैड पाइलोग्राफी (निचला मूत्र मार्ग)	150.00
16.	इनफ्यूजन पाइलोग्राफी (निचला मूत्र-मार्ग)	150.00
17.	हेफरोस्टोग्राम (निचला मूत्र मार्ग)	150.00
18.	बेरियम स्वालो (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00
19.	बेरियम मील (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00
20.	बेरियम मील फोलो थ्रू (ऊपरी जठरांत्र मार्ग)	150.00

21.	बेरियम एनेमा (रेक्टम, कोलोन, आंत के लिए)	150.00
22.	मुखीय कोलेसिसटोग्राफी (पित्ताशय)	150.00
23.	इन्ट्रविनस कोलेजियोग्राफी (पित्ताशय)	150.00
24.	हिस्ट्रोग्राफी (गर्भाशय)	150.00
25.	हीलोग्राफी (मेरुरज्जू)	150.00
26.	टी ट्यूब कोलेजियोग्राफी (पित्ताशय/बाइल डक्ट)	150.00
27.	विनोग्राफी (विन्स)	150.00
28.	पेरीफेरल आर्टेरियोग्राफी (रक्तवाहिका)	150.00
29.	साइनोग्राम (साइनस-नाक)	25.00
30.	साइनोग्राफी (लारिग्रन्थि)	50.00
31.	डेकरियो-सिस्टो-रीहनोग्राफी (अश्रु-ग्रन्थि)	150.00
32.	उपचर्या गृह : साधारण (नया उपचर्या गृह) 50 रूपए प्रति दिन डोलेक्स (पुराना उपचर्या गृह) 125 रूपए प्रति दिन	250.00 50.00

अस्पताल में ठहराव की संशोधित दरें दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विशिष्टियां	संशोधित दर (रूपए)
<b>वास प्रभार</b>		
1.	वार्ड 'ए'	150.00
2.	वार्ड 'बी'	100.00
3.	वार्ड 'सी'	50.00
<b>आहार-प्रभार</b>		
1.	किस्म ए	30.00
2.	किस्म बी	25.00
3.	किस्म सी	20.00



ऑपरेशन-प्रकार		पुनर्कृतित धर (रुपये)	
		ए और जी वर्ग	सी वर्ग
श्रेणी - I		100.00	50.00
1.	छोटे भाग के लिए रिक्वायर्डिंग (आंशिक बोटाई)		
2.	पेटीसल का रीरिज होना (एसएसजी)		
3.	छोटे जोड़ों पर ऑपरेशन (पांच की डंगली का विच्छेदन)		
4.	कन्व का छोटी क्यूरी टैम्पेस्टोमी		
5.	पोलिय इटाना		
6.	प्रसवसंशोधन		
7.	प्रासवसंशोधन		
8.	डेकरियोसिस्टेक्टोमी		
9.	कालासोफिया (गन्धुआ) का ऑपरेशन (रिजिड ऑपरेशन) ट्रेन्सफूरोटोमी		
10.	पराई (दूध) को कन्व करके कन्व करना (ट्रिक्लोरिपिन, अन्ना इन्स, इन्स केसरीली तर सगाए) तथा ओक-स्टेड करना		
11.	इरिडेक्टोमी (कानिया सुधार)/भंगोपन सत्यकिया		
12.	एडेनोएडेक्टोमी		
13.	बाहरी अन्वर्ग, भंग (क्यूरी) एवम् पीपि, सर्वोच्च एनसफोरेज्जोमीजेशन का ऑपरेशन कोवर्गेशन		
14.	कलक पर प्लारिडक ऑपरेशन		
15.	एडेनोटीरियल बायोप्सी, उच्छेदन बायोप्सी		
16.	टक्कल इनसफोरेजेशन (टीटी)		
17.	सामान्य चेतनाहरण के अन्तर्गत सभी कोर्ड का ऑपरेशन		
18.	बाहरीगोटोमी		
19.	एडवोल्सी सिन्ड्रोम बायोप्सी		
20.	सामान्य चेतनाहरण डेबराइडमेंट के तहत सभी टॉके (सीजन) लगाना		
21.	एडेनोमीओमी तथा सामान्य चेतनाहरण (आन्तरिक यूरेथ्रोटीओमी) के तहत की गई प्रक्रिया		
22.	छोटे अर्ध (सुपर) का उच्छेदन (ऑपरेशन)		
23.	इ.पी. फिस्ट्यूला (यूरोलॉजी) सर्किजरोटोमी स्टेपल इटाना ट्रेन्सफूरोटोमी विन ट्रेकान (कंकाल)		

	श्रेणी - II	200.00	100.00
1.	इवर्जन (सेक)		
2.	बवासीर (हीमोरोइडोइक्टोमी, फिस्टूलेक्टोमी)		
3.	मूत्राशय की पथरी (क्लेहर स्टोन)		
4.	सुपरप्युबिक सिस्टोसटोमी, मूत्राशय ग्रीवा छेदन		
5.	फीडिंग ऑपरेशन का ड्रेनेज प्रोसीजर्स (कोलोसटोमी, ट्रेमोटोमी, गेस्ट्रोटोमी)		
6.	परिधीय अस्थियों का ओस्टियोमाइलिटिस, ड्रेनेज, सिक्वेस्ट्रक्टोमी और सोसराइजेशन (क्यूरटेज, घावों का एक्सप्लोरेशन, अस्थि क्यूरटेज) के लिए प्रक्रियाएं		
7.	ब्रॉकोस्कोपी		
8.	ऐसोफेगोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, लरिंगोस्कोपी, ओस्कोपी और सिगमोएंडोस्कोपी, स्कलेरोथेरेपी		
9.	रिब रिसेक्शन और ड्रेनेज		
10.	ह्री और सी, डी तथा इ (फ्रैक्शनल क्यूरटेज)		
11.	गहरे फोड़ों के लिए एक्सप्लोरेशन (फिब्रोसाइटोमा उच्छेदन बायोप्सी)		
12.	हर्निया - इन्गुनल, एपीमेस्टारिक, छेदन (केलेज सुधार, कील सुधार)		
13.	हाइड्रोसिल (सेक का इवर्जन), टेस्टीकुलर एपेंडिज का उच्छेदन		
14.	ओधिडेक्टोमी		
15.	फिस्ट्युला		
16.	शिश्न का आंशिक विच्छेदन, अंगूठे और उंगलियों का विच्छेदन		
17.	स्तन लोप (पूरी तरह मास्टेक्टोमी), गांठ वाले (फाइब्रोडेंनोमा) स्तन का उच्छेदन, क्विलेक्टोमी		
18.	पुरुष नसबन्दी पुनर्स्थापन, एम.टी.पी.		
19.	खोपड़ी का ऑपरेशन		
20.	खिबर (शिरानाल) का ऑपरेशन		
21.	नासा पट सुधार (एसएमआर)		

22.	लेक्रीमल ग्लैंड एक्सीजन
23.	आई बाल का इन्फ्लिक्शन
24.	एडीनवॉयडेक्टोमी के साथ या इसके बिना टान्सीलेक्टोमी
25.	क्लेफ्ट होठ की मरम्मत-लेबिचोप्लास्टी की कमी
26.	प्रसव-सामान्य का असामान्य, इपिसिचोटोमी के साथ या इसके बिना
27.	हायपोस्पैडियास, असोपा II मरम्मत एमए जीपीआई मरम्मत
28.	एपेन्डेक्टोमी (सीस्टोसकापी) (अन्तराल)
29.	वेरीकोस वेन्स (रोब्स प्रक्रिया), ट्रेन्डेललेगबर्ग आपरेशन
	केवल नाखून का एक्सट्रैक्शन
	अल्सर के एक्सीजन के साथ सक्शन लिपोलाइसिस मैमोप्लास्टी
	कैलीज स्टीन के साथ क्वायथेसट्रेफी

	श्रेणी-III	500.00	250.00
1.	बड़े ट्यूमर या गहरे ट्यूमर, फीब्रोएड्स का एसजीजन-योमेटोमी (वार्ड मायो)		
2.	हड्डियों का एसीजन (पेटेलैटोमी)		
3.	लिम्फनोड्स का ब्लॉक डिसेक्शन		
4.	रेक्टम का पेरिनियल एक्सीजन		
5.	यूरेथ्रा का प्लास्टिक आपरेशन		
6.	प्रोस्टेक्टोमी		
7.	किसी भी माध्यम से ब्लैडर ट्यूमर को निकालना		
8.	वृक्क, यूरेटर आदि से पत्थर निकलना (पाइलोलिथोटोमी), पाइलोप्लास्टी, यूरेथरोटोमी, अटेम्प्टिड बास्केटिंग, टीयूआरपी		

9.	वृक्क, यूरेटर, ब्लैडर का निकालना (नेफ्रो-यूरेटेक्टॉमी)
10.	आंशिक नेफ्रेक्टॉमी या प्लास्टिक मरम्मत (स्क्रोटोप्लास्टी-लिंग का पुनर्निर्माण)
11.	लिंग का पूरा एम्प्यूटेशन
12.	रिट्रोपेरिटोनियल ढांचे का हटाना (ट्रांसवर्स कोलोसटॉमी)
13.	सभी लैपेरेटोमीज (एब्डहिस्टेरेक्टॉमी), ओवरी का निकालना (ओफोरेक्टॉमी), बीएसओ के साथ टीएच, ओकेबायासी
14.	एक्सटेंसिव स्किन ग्राफ्टिंग
15.	स्किन का प्लास्टिक पुनर्निर्माण, डेब्रीडेमेंट और स्किन ग्राफ्टिंग, क्रॉस पेडिकल ग्राफ्ट
16.	स्तन का हटाना-पूरे स्तन का हटाना-रेडिकल, पेटेज कासटेक्टॉमी
17.	स्पाइन का आपरेशन (पोस्टेरियर स्पाइनल फ्यूजन)
18.	हिप, कंधे का आपरेशन (प्रोथेसिस)
19.	घुटने, कुहनी का आपरेशन (सीनोवेक्टॉमी) (एक्सरे थायप्सन फेमोरल हंड रिप्लेसमेंट) (पियोरथेसिस), मोडिफॉयड टॉन्स
20.	एन्कल का अपरेशन, पीएमएसआर, सोलटीयर रिलीज यान्ट्स
21.	बोन ग्राफ्टिंग और पिन, नेल, प्लेट आदि का प्रयोग (नेल क्यूरेज का एसट्रैक्शन), स्क्रू फिक्शंसन, प्लेट और बोन ब्लाक का हटाना
22.	हड्डी का रिप्लेसमेंट
23.	टेनडान्स का प्रत्यारोपण (रिस्ट फ्यूसियम) (टीए लेनथेनिंग) स्टेनडलस
24.	इन्टरनल फिक्शंसन के साथ या इसके बिना ओपन रिडक्शन (प्रोस्टोर्टिक रिप्लेसमेंट), गरडल स्टॉन
25.	तंत्रिकाओं की सर्जरी (जीजे वेगोटॉमी)
26.	सभी एम्प्यूटेशन या डिस्आर्टाकुलेशन, हाथ की अंगुलियों या पैर की अंगुलियों को छोड़कर
27.	लैरीन्क्स, फैरीन्क्स आदि का बड़ा रेसेक्शन

28.	मध्य कान पर आपरेशन (स्टेपेडेक्टॉमी)
29.	क्रैनियल एक्सप्लोरेशन
30.	नेसोफेरिजिल ट्यूमर को हटाना
31.	सभी थोरेकिक आपरेशन-लोबेक्टॉमी
32.	डिसऑबिटेरेशन या रिक्न्सट्रक्शन के लिए सभी वास्कूलर आपरेशन
33.	मोतियाब्धिद (इन्ट्राकैप्सूलर एक्सट्रैक्शन) (लेंस एक्सट्रैक्शन)
34.	प्रापिंटग या कार्निया
35.	रेटिना को हटाने के लिए आपरेशन
36.	वैजीनल हिस्टेरेक्टॉमी या सर्विसेक्टॉमी
37.	पेल्लिक फ्लोर मैनचेस्टर रिपेयर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोलेप्से हेतु वैजीनल आपरेशन
38.	नेत्र की परफोरेटिंग इन्ज्युरी
39.	टिम्पेनोप्लास्टी, टिम्पेनोसटॉमी
40.	सिर्जेरियन सेक्शन (एलएससीएस)
41.	थायरॉयडेक्टॉमी (हेमिथायरॉयडेक्टॉमी)
42.	मैनडिबल का एक्सीजन
43.	सेलिबरी ग्लैंड का एक्सीजन पैरोटीडेक्टॉमी
44.	रेडिकल नेक डिसेक्शन
45.	सर्विकल सिम्पेथेक्टॉमी
46.	पैलेट की मरम्मत
47.	मीरिंगोप्लास्टी
48.	मेम्सीलेक्टॉमी
49.	इथोडेक्टॉमी (एक्सट्रा नासल)
50.	फ्रॉन्टल साइनस आपरेशन
51.	लैटरल रिनोटॉमी

52.	ट्रान्सपेलेटेल आपरेशन
53.	लैरिंगो-फिशर
54.	लैटरल फेरिंगोटॉमी
55.	मासटायडेक्टॉमी और मासट्वायड एक्सप्लोरेशन
56.	फेसियल नर्व डिक्मोशन
57.	फेसियल नर्व ग्राफ्टिंग
58.	टेम्पोरल हडी का एक्सीजन
59.	लैरिंगेक्टॉमी
60.	लैरिंगोफेरिंगेक्टॉमी
61.	सभी गॉल ब्लैडर आपरेशन-कोलेक्सीस्टेक्टॉमी और सीबीडी एक्सप्लोरेशन
62.	रिनोप्लास्टी
63.	लैमिनेक्टॉमी और डिसेक्टॉमी
64.	रेक्टम का एब्डोमिनल पेरिनियल रेसेशन
65.	ट्यूबोप्लास्टी
66.	यूरेटर प्रत्यारोपण
67.	विट्टेक्टॉमी .
68.	कैम्पबेल्स प्रक्रिया
69.	सिस्टोसेल और रिक्टोसेल की मरम्मत
70.	रेक्टोपेक्सो
71.	हेमिकोलेक्टॉमी
72.	नयूरोफिब्रोमा का एक्सीजन
73.	स्पलीनेक्टॉमी
74.	पैर का पुनः प्रत्यारोपण

श्रेणी - IV		संशोधित दर (रुपए)	
		क और ख	ग
1.	हेमोडायलिसिस	500.00	250.00
2.	पेरिटोनियल डायलिसिस	200.00	100.00
3.	ईईजी (जब उपलब्ध हो, सामान्य)	75.00	38.00
4.	ईईजी (विशेष)	200.00	100.00
5.	ईसीटी मोडिफायड	40.00	20.00
6.	एमबीएममबालमिंग	500.00	250.00
7.	मोरचूरी स्टोरेज प्रभार	300.00	300.00
8.	ओपन हार्ट सर्जरी	1,000.00	500.00
9.	लेजर उपचार	400.00	200.00
10.	फुफ्फुसीय कार्य जांच	200.00	100.00
11.	नेबुलाइजेशन थेरेपी	75.00	38.00
12.	ईसीजी	30.00	15.00
13.	फोनोकार्डियोग्राफी/एसटीआई	100.00	50.00
14.	डॉसी कार्डियोवर्जन	100.00	50.00
15.	अस्थायी कार्डियक पेसिंग	300.00	150.00
16.	स्थायी कार्डियक पेसिंग	500.00	250.00
17.	इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मूल्यांकन	400.00	200.00
18.	राइट हार्ट कैथेटराइजेशन	400.00	200.00
19.	लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन एवं एंजियोग्राफी + ओरटोग्राफी, पीटीसीए	600.00	300.00
20.	एंजियोप्लास्टी/बूलबेलप्लास्टी	1,000.00	500.00
21.	बीबीपी	1,000.00	500.00

22.	नॉन-स्ट्रेस परीक्षण	150.00	75.00
-----	---------------------	--------	-------

**प्रयोगशाला जांच**

क्र.सं.	जांच	संशोधित दर (रूपए)	
		क और ख	ग
<b>विकृति विज्ञान</b>			
1.	रक्त वर्गीकरण (एबीओ एवं आरएच)	15.00	7.50
2.	रक्त क्रॉस मैचिंग	15.00	7.50
3.	रक्त वर्गीकरण एवं मैचिंग	20.00	10.00
4.	रक्त/पैक्ड सेल्स/प्रोजन प्लाजमा/क्रायोप्रेसिपिटेड के एक यूनिट की आपूर्ति	100.00	50.00
5.	प्रभार जहां दाता उपलब्ध कराया जाता है	75.00	37.50
6.	प्लेटलेट कॉन्सेन्ट्रेट	150.00	75.00
7.	आरएच-एन्टीबाडी टायटर	25.00	12.50
8.	कम्ब परीक्षण	25.00	12.50
9.	कोल्ड एग्ल्यूटिनिंग	20.00	10.00
10.	एलईसेल/पीसीयू	25.00	12.50
11.	अस्थि मज्जा जांच	30.00	15.00
12.	कोंग्लेशन अध्ययन: थ्रोम्बोप्लास्टिन जेनरेशन जांच प्रोथ्रम्बीन टाइम (पीटी) के.पी.टी.टी.	100.00 100.00	50.00 50.00



13.	फिब्रिनोजेन डिग्रेशन उत्पाद	100.00	50.00
14.	फिब्रिनोजेन अनुमान	100.00	50.00
15.	प्लेटलेट फेक्टर	100.00	50.00
16.	शाम्बीन टाइम	100.00	50.00
17.	ग्लाइ रिट्रैक्शन	100.00	50.00
18.	एन्टी-न्यूक्लियर एन्टी बाडी परीक्षण	100.00	50.00
19.	प्लेटलेट एन्टीबाडीज	50.00	25.00
20.	एल्कली डिनेचुरेशन परीक्षण	20.00	10.00
21.	सिक्लिंग परीक्षण	15.00	7.50
22.	हिस्टोपैथेलाजी के लिए बायोप्सी	50.00	25.00
23.	साइटोलॉजी	25.00	12.50
24.	एफ.एन.ए.सी	50.00	25.00
25.	नाक (एनएके)	15.00	7.50
26.	एमपी एवं एमएफ	15.00	7.50
<b>सूक्ष्मजीव विज्ञान</b>			
1.	एफबी फन्जी, अमीबा एवं अन्य जीवों के लिए सभी कल्चर	20.00	10.00
2.	उपरोक्त की संवेदनशीलता के लिए अतिरिक्त प्रभार	10.00	5.00
3.	ब्रूसेल एग्लूटिनेशन परीक्षण	15.00	7.50
4.	नेल फेलिक्स रिएक्शन	15.00	7.50
5.	अस्तो (एसएलओ) परीक्षण	15.00	7.50
6.	सी-रियैक्टिव प्रोटीन	15.00	7.50
7.	पाउल बूनेल परीक्षण	15.00	7.50
8.	कोल्ड एग्लूटिनेशन परीक्षण	15.00	7.50
9.	अप्रत्यक्ष हिमोग्लूटिनेशन परीक्षण-अमीबिएसिस/टोक्सोप्लाज्मासिस/	15.00	7.50

	फायलरिएसस		
10.	केसिनो परीक्षण	10.00	5.00
11.	वायरस, विडाल, एचबीएसएजी के लिए सेरोलाजिकल परीक्षण	20.00	10.00
12.	वायरस कल्चर एवं पृथक्करण	35.00	17.50
13.	नेग्रीबांडी के लिए स्मीयर परीक्षण	20.00	10.00
14.	रेबीज के लिए माउस इनोकूलेशन	40.00	20.00
15.	टोक्सोरल जमोसिस के लिए एनिमल इनोकूलेशन	30.00	15.00
16.	माइकोप्लाजमा के लिए कल्चर	30.00	15.00
17.	बांझपन परीक्षण (जल)	25.00	12.50
18.	जल विश्लेषण, रोज वाला	20.00	10.00
19.	एनिमल इनोकूलेशन से जुड़ा कोई भी कार्य	25.00	12.50
<b>भेषज गुण विज्ञान</b>			
1.	यूरीनरी केटेकोलामाइन्स	40.00	20.00
2.	वीएमए	60.00	30.00
<b>शरीर क्रिया विज्ञान</b>			
1.	गर्भ नैदानिक परीक्षण	40.00	20.00
2.	फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण	20.00	10.00
3.	स्किन थैरेमोमीटरी	15.00	7.50
4.	नव कंडक्शन	20.00	10.00
5.	बेसल मेटाबोलिक दर	15.00	7.50
6.	इलेक्ट्रोमायोग्राफी	30.00	15.00
7.	टोनोसिलोग्राफी	30.00	15.00
<b>जीव-रसायन</b>			
1.	ब्लड म्लूकांज (रैंडम/फास्टिंग/पोस्ट परेन्डायल)	15.00	7.50

2.	ब्लड यूरिया	15.00	7.50
3.	सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटैसियम, क्लोरीन)/सेरम लिथियम	30.00	15.00
4.	सेरम बिलिरुबीन (कुल प्रत्यक्ष)	30.00	15.00
5.	सेरम प्रोटीन (कुल एवं एल्ब्यूमीन)	20.00	10.00
6.	सेरम इन्जाइम: अल्कालाइन फास्फेटेस	15.00	7.50
	अलनाइन एमिनो-ट्रांसफेरेस (एसजीपीटी)	15.00	7.50
	एस्परेट एमिनो-ट्रांसफेरेस (एसजीडीटी)	15.00	7.50
	लेक्टेट डिहाइड्रोजेनेस (कुल एलडीएच)	15.00	7.50
7.	पूर्ण हेमोग्राम	40.00	20.00
8.	एसी : फासफेटस कुल	15.00	7.50
9.	एसिड फास्फेटस परीक्षण-प्रेट लेबाइल	15.00	7.50
10.	क्रिएटाइन फास्फोकाइनेज (सीके)	25.00	12.50
11.	एनीलेज	25.00	12.50
12.	गामा ग्लूटेमी ट्रांसफेरेस (जीटी)	15.00	7.50
13.	क्रिएटीनाइन (सेरम/यूरीन)	15.00	7.50
14.	क्रिएटीनाइन क्लियरेंस परीक्षण	25.00	12.50
15.	यूरिया क्लियरेंस परीक्षण	25.00	12.50
16.	ग्लूकोज टोलरेंस परीक्षण (जीटीटी) (3 नमूने)	50.00	25.0
17.	सेरम कोलेस्ट्रॉल	15.00	7.50
18.	सेरम ट्राइग्लिसराइड्स	25.00	12.50
19.	सेरम एचडीएल-कोलेस्ट्रॉल	25.00	12.50
20.	सेरम कैल्सियम (कुल)	15.00	7.50
21.	सेरम अकार्बनिक फासफोरनिंस	15.00	7.50
22.	यूरिक एसिड (सेरम)	15.00	7.50

23.	मस्य कोपर संश्लेषण	25.00	12.50
24.	ब्रायोफ्लूइस सिनाबायल आदि	20.00	10.00
25.	कार्बो स्पाइनल फ्लूइड विश्लेषण	50.00	25.00
26.	रक्त अमोनिया	25.00	12.50
27.	रक्त ग्लूकोस विश्लेषण (पीएच, पीसीओ <sub>2</sub> , पीओ <sub>2</sub> )	150.00	75.00
28.	इलेक्ट्रोफोरिसिस: ग्लाइसिन	35.00	17.50
	हेमाग्लोबिन	35.00	17.50
	लिपोप्रोटीन	35.00	17.50

क्र.सं.	जांच	क ऑर ख	र
29.	स्क्रीनिंग परीक्षण: बेनसो जॉन प्रोटीन्स	10.00	5.00
	ग्लूकोज 6 फास्फेटस अल्पता	15.00	7.50
	मूकोपाली सेकहराइडस	20.00	10.00
	5 एचआइए (5 हाईड्रॉक्सी इनडायल एसिटिक एसिड)	15.00	7.50
	पेशाब में ऐमिनो एसिड (क्रोमेटोग्राफी)	25.00	12.50
30.	फेकल फेट अध्ययन	30.00	15.00
31.	पेशाब में वीएमए (बेनॉलिल मेन्डेलिक एसिड)	15.00	7.50
32.	यूरीनरी 17 केटोस्टेरायड	30.00	15.00
33.	हार्मोनल एसे:		
	रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक 131 I	150.00	75.00
	टी3	150.00	75.00
	टी4	150.00	75.00
	टीएसएच	150.00	75.00
	इन्सुलिन	150.00	75.00

	एलएच/एफएसएच/पीआरडीएससीएचआईआर/सी पेप्टाइड/टेस्टोस्टेरोन आदि	200.00	100.00
34.	कलकली विश्लेषण	20.00	10.00
35.	विविध: होलेन्डर परीक्षण	25.00	12.50
	गेस्ट्रिक जूस में कुल एवं प्री अम्लता	15.00	7.50
<b>दंत उपकरण</b>			
1.	डेंटल क्राउन एक	15.00	7.50
2.	डेंटल क्राउन, बाद का प्रत्येक एक	10.00	5.00
3.	मेक्सिलोजोशियल डेंटल प्रोस्थेसिस	30.00	15.00
4.	आर्थोडॉन्टिक उपकरण (बाइट प्लेट, रिट्रैक्शन प्लेट, रिट्रैक्शन प्लेट, ओरल सीरेम)	25.00	12.50
5.	आर्थोडॉन्टिक फिक्सड: एक जा	90.00	45.00
6.	आंशिक डेंचर: एक टूथ प्लेट बाद का प्रत्येक दांत	15.00 5.00	7.50 2.50
7.	एक जबड़े का पूरा डेंचर	60.00	30.00
8.	दोनों जबड़ों का पूरा डेंचर	120.00	60.00

<b>विकिरण विज्ञान संबंधी जांच*</b>			
1.	बेरियम एनिमा	75.00	37.50
2.	पायलोग्राफी इन्टरवेनस एवं रिट्रोग्रेड	100.00	50.00
3.	कोलेसीसटोग्राफी	75.00	37.50
4.	सेल्फीनोग्राफी	50.00	25.00
5.	मायलोग्राफी	75.00	37.50
6.	सर्जिकल प्रक्रिया सहित ब्रोनकोग्राफी	125.00	62.50

7.	टोमोग्राफी	75.00	37.50
8.	सेरेब्रल एंजियोग्राफी	100.00	50.00
9.	न्यूमोफेलोग्राफी	125.00	62.50
10.	न्यूमोफेलोग्राफी प्रक्रिया	125.00	62.50
11.	बेरियम स्वैलो	50.00	25.00
12.	स्पलीनोपोर्टोवेनोग्राम	50.00	25.00
13.	आई.वी. कोलेनाजियोग्राम	50.00	25.00
14.	टी. ट्यूब कोलेनजियोग्राम	50.00	25.00
15.	परक्यूटेनियस कोलेनजियोग्राम	75.00	37.50
16.	सेलोग्राम	25.00	12.50
17.	सिस्टोग्राम	25.00	12.50
18.	सिस्टोरेधोग्राम	35.00	17.50

क्र.सं.	जांच	क और ख	ग
19.	रिट्रोपेरिटोनियल एयर इनसफ्लेशन	50.00	25.00
20.	न्यूमोपेरिटोनियम	25.00	12.50
21.	साइनीग्राम	25.00	12.50
22.	सिनोग्राम	25.00	12.50
23.	फिस्टूलोग्राम	25.00	12.50
24.	वेनोग्राम(पेरिफेरल)	50.00	25.00
25.	इनफेरियर वेनेगोकोग्राम	100.00	50.00
26.	थायरायड स्कैन	75.00	37.50
27.	लीवर स्कैन	100.00	50.00

28.	कैट स्कैन	1,000.00	500.00
29.	अल्ट्रासाउंड (एनएसटी)	150.00	75.00
30	सीटी स्कैन (प्रतिष्क)	1000.00	1000.00
31	सीटी स्कैन (प्रत्येक अन्य भाग)	1500.00	1500.00
32	एमआरआई स्कैन	3000.00	3000.00

\* जहाँ कहीं आवश्यक होगा, इस डाय के लिए अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।

## अनुसूची V

समूह 'क' एवं 'ख' (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) के वेतनमान		
क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	निदेशक	रु. 26000 प्लस एनपीए
2.	डीन	रु. 18400-500-22400/- प्लस एनपीए
3.	चिकित्सा अधीक्षक	रु. 18400-500-22400/- प्लस एनपीए
4.	अपर चिकित्सा अधीक्षक	रु. 18400-500-22400/- प्लस एनपीए
5.	सहायक आचार्य (चिकित्सा)	रु. 11625-325-15200/- प्लस एनपीए
6.	सहायक आचार्य (गैर-चिकित्सा)	रु. 10000-325-15200/-
7.	सह आचार्य (चिकित्सा)	रु. 14300-450-18300/- प्लस एनपीए
8.	सह आचार्य (गैर-चिकित्सा) (बायोमीट्रीक्स)	रु. 12000-375-16500/-
9.	बायोकेमिस्ट	रु. 8000-275-13500/-
10.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रु. 12000-375-16500/- प्लस एनपीए
11.	मुख्य परिचर्या अधिकारी	रु. 10000-325-15200/-
12.	बाल मनोचिकित्सक	रु. 8000-275-13500/-
13.	क्लिनिकल एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक- सह ट्यूटर	रु. 8000-275-13500/-
14.	डेंटल सर्जन	रु. 8000-275-13500/-

15.	उप निदेशक	रु. 10000-325-15200/-
16.	चिकित्सा उप-अधीक्षक	रु. 12000-375-16500/- प्लस एनपीए
17.	संयुक्त निदेशक	रु. 12000-375-16500/-
18.	कनिष्ठ नैदानिक बायोकेमिस्ट	रु. 8000-275-13500/-
19.	व्याख्याता	रु. 8000-275-13500/-
20.	चिकित्सा अधिकारी	रु. 8000-275-13500/- प्लस एनपीए
21.	अपर प्रोफेसर (चिकित्सा)	
22.	नर्सिंग अधीक्षक	रु. 8000-275-13500/-
23.	प्रोफेसर (चिकित्सा)	रु. 18400-500-22400/- प्लस एनपीए
24.	प्रोफेसर (गैर-चिकित्सा)	रु. 14300-400-18300/-
25.	रजिस्ट्रार	रु. 8000-275-13500/-
26.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	रु. 10000-325-15200/- प्लस एनपीए
27.	सामाजिक वैज्ञानिक	रु. 8000-275-13500/-
28.	कल्याण अधिकारी	रु. 8000-275-13500/-
29.	वरिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक	रु. 8000-275-13500/-
30.	वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	रु. 8000-275-13500/-
31.	वरिष्ठ डायटिशियन	रु. 8000-275-13500/-
32.	प्राचार्य (नर्सिंग कालेज)	रु. 12000-375-16500/-
33.	उप-प्राचार्य (नर्सिंग कालेज)	रु. 10000-325-15200/-
34.	व्याख्याता(नर्सिंग कालेज)	रु. 8000-275-13500/-
35.	लेखा अधिकारी	रु. 7450-225-11500/-
36.	प्रशासनिक अधिकारी	रु. 7500-250-12000/-
37.	सहायक लेखा अधिकारी	रु. 5500-175-9000/-
38.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	रु. 6500-200-10500
39.	सहायक बायोकेमिस्ट	रु. 6500-200-10500



40.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	20
41.	सहायक रजिस्ट्रार	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	00
42.	उप नर्सिंग उप-अधीक्षक	रु. 7500-230-12000	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	10
43.	हिन्दी अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	80
44.	विधि अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	90
45.	प्रबंधक (प्रशासन)	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	05
46.	प्रबंधक (कार्यशास्त्र)	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	15
47.	चिकित्सा निरीक्षण अधिकारी सह ट्यूटर	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	25
48.	निजी सचिव	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	35
49.	वैज्ञानिक अधिकारी सह ट्यूटर	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	45
50.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	25
51.	सामाजिक सेवा अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	05
52.	भंडार अधिकारी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	25
53.	अधीक्षक (सामाजिक)	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	85
54.	चर्यवेक्षक (सामाजिक)	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	95
55.	तकनीकी पर्यवेक्षक	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	08
56.	तकनीकी पर्यवेक्षक (एनटीसी)	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	18
57.	स्वीच वैद्यकीय एवं अडिबोलॉजी में ट्यूटर	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	28
58.	सहायक नैदानिक पैथोलॉजिस्ट	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	28
59.	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	18
60.	केमिस्ट	रु. 5500-175-9000	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	28
61.	आहार-विज्ञानी	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	08
62.	संपदा प्रबंधक	रु. 6500-200-10500	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	18
63.	परिवार नियोजन विस्तार प्रशिक्षक	रु. 5500-175-9000	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	88
64.	प्रधान फार्मासिस्ट	रु. 5500-175-9000	कनिष्ठ प्रशासक श्रेणी	98

65.	कनिष्ठ आहार विज्ञानी	रु. 5500-175-9000/-
66.	कनिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक	रु. 5500-175-9000/-
67.	कनिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	रु. 5500-175-9000/-
68.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	रु. 5500-175-9000/-
69.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता सह ट्यूटर	रु. 5500-175-9000/-
70.	नर्सिंग सिस्टर	रु. 5500-175-9000/-
71.	कार्यालय अधीक्षक	रु. 5500-175-9000/-
72.	कार्यालय अधीक्षक (भंडार)	रु. 5500-175-9000/-
73.	आर्थोडिस्ट	रु. 5500-175-9000/-
74.	फार्माकोलोजिकल विश्लेषक	रु. 5500-175-9000/-
75.	मनोरोग विशेषज्ञ नर्स	रु. 5500-175-9000/-
76.	मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता सह ट्यूटर	रु. 5500-175-9000/-
77.	जन स्वास्थ्य नर्स	रु. 5500-175-9000/-
78.	सफाई अधीक्षक	रु. 5500-175-9000/-
79.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	रु. 5500-175-9000/-
80.	वरिष्ठ चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	रु. 5500-175-9000/-
81.	वरिष्ठ फोटोग्राफर	रु. 5500-175-9000/-
82.	वरिष्ठ अनुवादक सह सूचना सहायक	रु. 5500-175-9000/-
83.	सिस्टर ट्यूटर	रु. 6500-200-10500
84.	सांख्यिकीविद् सह प्रदर्शक	रु. 5500-175-9000/-
85.	आशुलिकस मेडन	रु. 5500-175-9000/-
86.	अधीक्षक (बगामानी)	रु. 5500-175-9000/-
87.	अधीक्षक सह प्रबंधक	रु. 5500-175-9000/-
88.	तकनीकी पर्यवेक्षक (रेडियोग्राफी)	रु. 5500-175-9000/-
89.	प्रोस्थोडिस्ट	रु. 5500-175-9000/-

I-उपाध

अनुसूची-VI

जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु, शैक्षिक अर्हता और अनुभव आदि

1. निदेशक: निदेशक के पद (26,000 रूपए नियत + <sup>कार्यभारी</sup> व्यवसाय निषेध भत्ता) पर नियुक्ति उस तारीख से कार्य शुरू की जायेगी कि <sup>कार्यभारी</sup> जिसको वह कार्यभार सौंपा जाता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो। शैक्षणिक अर्हता, आयु और उपाधि-1 के रूप में यथा उपदिष्ट है।

2. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

3. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

4. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

5. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

6. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

7. चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। सीधी भर्ती सह आचार्य एवं अपर आचार्य के स्तर पर भी की जा सकती है। इन पदों के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि उपाधि-1 उपदिष्ट है।

**उपाबंध-1****निदेशक, जिपमेर के पद के लिए आयु और शैक्षिक अर्हता**

पद का नाम-	निदेशक
वेतन मान-	26000/-रु. नियत+मूल वेतन का 25% प्रैक्टिसबन्दी भत्ता (वेतन+मंहगाई भत्ता वेतन+प्रैक्टिसबन्दी भत्ता 44250/-रु से अनधिक)
आयु-	साठ वर्ष से अनधिक। सरकारी सेवकों या सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों या राज्य या केन्द्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं या सांविधिक संस्थाओं के सेवारत या उनसे सेवानिवृत्त व्यक्ति या आपवादिक रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है।
अर्हता-	(क) आयुर्विज्ञान या शल्य चिकित्सा या जनस्वास्थ्य और उनकी शाखाओं में उच्च स्नातकोत्तर अर्हता। (ख) कम से कम दस वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव। (ग) वृत्तियों में पच्चीस वर्ष का अनुभव। (घ) चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या जन स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव तथा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्था के प्रधान या विभागाध्यक्ष के रूप में इसके संचालन का पर्याप्त अनुभव।
सेवा की अवधि-	निदेशक की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए सावधिक नियुक्ति होगी।
परिवीक्षा-	एक वर्ष।

निदेशक मू.नि.-45 के अधीन अनुज्ञप्ति फीस की मानक दर पर या वेतन का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, संदाय करने पर परिसर के भीतर निवास स्थान का पात्र होगा।

## उपाबंध-2

## जिपमेर, पुणेरी में चिकित्सा संकाय के लिए भर्ती नियम और अर्हता

जिपमेर, पुणेरी में चिकित्सा संकाय के लिए भर्ती नियम और अर्हता

क्र. सं.	पद का नाम	अर्हता
1.	<p><b>आचार्य</b></p> <p>वेतनमान : 18400-500-22-22400 रु./- (+ केवल चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता)</p>	<p><b>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I या II या तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित चिकित्सा अर्हता (भाग II या तीसरी अनुसूची में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट शर्तें भी पूरी करनी चाहिए)</li> <li>2. स्नातकोत्तर अर्हता, उदाहरणार्थ एमडी या एमएस या संबंधित विधा या विषय में उनके समतुल्य कोई मान्यताप्राप्त अर्हता और, या</li> <li>3. शल्यक अतिविशिष्टताओं के लिए एमसीएच तथा चिकित्सीय अतिविशिष्टताओं के लिए डीएम (दो वर्ष या तीन वर्ष या 5 वर्ष का मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता।</li> </ol> <p><b>अनुभव:</b></p> <p>एमडी या एमएस की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में चौदह वर्ष का अध्यापन और/या अनुसंधान अनुभव।</p>

<p>5.</p> <p>मध्यम शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे किसी भी विद्यापीठ में प्रवेश करने से पूर्व अपने संबंधित विद्यापीठ के प्राचार्य से संपर्क करें और उनके द्वारा आवश्यक होने वाले दस्तावेजों को तैयार करें।</p>	<p>या</p> <p>संबंधित विद्यापीठ के प्राचार्य से संपर्क करने के लिए आवश्यक है कि वे अपने संबंधित विद्यापीठ के प्राचार्य से संपर्क करें और उनके द्वारा आवश्यक होने वाले दस्तावेजों को तैयार करें।</p>	<p>या</p> <p>संबंधित विद्या या विषय में एमसीएच या डी एम एमबीबीएस के पश्चात दो वर्षीय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में 12 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p>या</p> <p>संबंधित विद्या या विषय में डी एम या एमसीएच की तीन वर्षीय मान्यताप्राप्त डिग्री या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में ग्यारह वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p><u>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्नातकोत्तर अर्हता, उदाहरणार्थ किसी विद्या या सहबद्ध विषय में मास्टर की डिग्री।</li> <li>2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डाक्टरेट डिग्री।</li> </ol>
---	--	---

		<b>अनुभव:</b>	
			डाक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबद्ध विधा या विषय में चौदह वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।
<b>2.</b>	<b>अपर आचार्य</b>	<b>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक</b>	
	वर्तमान 16400-450-20900/- (पंजीयन विधि)	<b>(संबंधित विधा के लिए)</b>	
	<b>अध्यापकों के लिए प्रविष्टि संबंधी आवश्यकताएँ (अनुसंधान विधा के लिए)</b>	<b>अनुभव:</b>	अर्हताएं वही हैं जो आचार्य (चिकित्सा) के लिए
		<b>डी.डी.-एफ</b>	
		<b>(अनुसंधान विधा के लिए)</b>	
		<b>एमडी या एमएस की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात</b>	विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में दस वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।
		<b>अतिविशिष्टता वाली विधाओं के लिए आवश्यक</b>	
		<b>डी.डी.-एफ</b>	
		<b>वैसा ही जैसा आचार्य (चिकित्सा) चिकित्सा अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में डीएम और शल्यक अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में एमसीएच (दो वर्षीय) या 5 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) या उनके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता।</b>	
		<b>अनुभव:</b>	
		<b>डी.डी.-एफ</b>	
		<b>संबंधित विधा या विषय में डीएम या एमसीएच (एमबीबीएस के पश्चात दो वर्षीय या पांच वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात</b>	

		<p>विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में आठ वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p>या</p> <p>संबंधित विधा या विषय में तीन वर्षीय मान्यताप्राप्त डिग्री या डी एम या एमसीएच या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में 7 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p><b>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक:</b> <b><u>आचार्य के ही सदृश (गैर-चिकित्सा)</u></b></p> <p>आवश्यक अर्हताएं वही हैं जैसा वे आचार्य (गैर चिकित्सा) के लिए हैं</p> <p><b><u>अनुभव:</u></b></p> <p>डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबद्ध विधा/विषय में दस वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p>
3.	सह-आचार्य	<p><b><u>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक (सामान्य विधा के लिए)</u></b></p> <p>आवश्यक अर्हताएं वही हैं जो आचार्य (चिकित्सा) के लिए हैं।</p> <p><b><u>अनुभव:</u></b></p> <p>एमडी या एमएस की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विशिष्टता के</p>



विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में छह वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।

**अतिविशिष्टता वाली विधाओं के लिए आवश्यक**

1. वैसा ही जैसा आचार्य (चिकित्सा) के लिए
2. चिकित्सा अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में डीएम और शल्यक अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में एमसीएच (दो वर्षीय या तीन वर्षीय या 5 वर्षीय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता।

**अनुभव:**

संबंधित विधा या विषय में डीएम या एमसीएच (एमबीबीएस के पश्चात् दो वर्षीय या पांच वर्षीय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) की अर्हक डिग्री या उनके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पांच वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।

या

संबंधित विधा या विषय में डी एम या एमसीएच तीन वर्षीय मान्यताप्राप्त डिग्री या उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में 3 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।

		<p><u>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक:</u> अनिवार्य अर्हताएं वही हैं जो आचार्य (गैर-चिकित्सा) के लिए हैं।</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>डाक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विधा/विषय में 6 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p>
4.	<p>सहायक आचार्य वेतनमान : 11625-325-15200/-रू. (+ केवल चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता)</p>	<p><u>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक</u> (साधारण विधाओं के लिए)</p> <p>आवश्यक अर्हताएं वही हैं जो आचार्य (चिकित्सा) के लिए हैं।</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>एमडी या एमएस की अर्हक डिग्री या उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में 3 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p><u>अतिविशिष्टता वाली विधाओं के लिए आवश्यक</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वैसा ही जैसा आचार्य (चिकित्सा) के लिए।</li> <li>2. चिकित्सा अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में डीएम और शल्यक अतिविशिष्टताओं के लिए संबंधित विधा या विषय में एमसीएच (दो</li> </ol>

		<p>वर्षीय या तीन वर्षीय या 5 वर्षीय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता।</p> <p><b>अनुभव:</b></p> <p>डीएम या एमसीएच की अर्हक डिग्री (एमबीबीएस के पश्चात दो वर्षीय या पांच वर्षीय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विशिष्टता के विषय में किसी मान्यताप्राप्त संस्था में 1 वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p> <p>तथापि, डीएम या एमसीएच की तीन वर्षीय मान्यताप्राप्त डिग्री या उसके समतुल्य कोई मान्यताप्राप्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई अनुभव अनिवार्य नहीं है।</p> <p><b>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक:</b></p> <p>आवश्यक अर्हताएं वही हैं जो कि आचार्य (गैर-चिकित्सा) के लिए हैं।</p> <p><b>अनुभव:</b></p> <p>डाक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विधा या विषय में तीन वर्ष का अध्यापन और, या अनुसंधान अनुभव।</p>
--	--	---

उपाबंध-IIIजवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर)के चिकित्सा संकाय के लिए निर्धारण प्रोन्नति स्कीम

निर्धारण प्रोन्नति स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

- (i) सह आचार्य की श्रेणी में रिक्तियों का संयोजन किए बिना प्रत्येक वर्ष सह आचार्यों के रूप में चार वर्ष की सेवा वाले सहायक आचार्यों में से शत-प्रतिशत प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।
- (ii) चार वर्ष की सेवा वाले 75% सहायक आचार्यों पर अपर आचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष अपर आचार्य श्रेणी की रिक्तियों का संयोजन किए बिना विचार किया जाएगा।
- (iii) अपर आचार्य श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले 50% पात्र अपर आचार्यों को निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर प्रत्येक वर्ष आचार्य के रूप में इस श्रेणी की रिक्तियों का संयोजन किए बिना प्रोन्नत किया जाएगा:-
  - (क) आचार्यों के वर्तमान में मंजूर पद और साथ ही आचार्यों के नए सृजित अतिरिक्त पदों तथा सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त पड़े स्वीकृत संख्या का भाग रूप होने वाले पद खुले घयन से भरे जाते रहेंगे।

- (ख) अपर आचार्य श्रेणी से आचार्य की श्रेणी में निर्धारित प्रोन्नति स्कीम के अधीन प्रोन्नत अभ्यर्थी द्वारा रिक्त किए गए आचार्य का पद सहायक आचार्य के स्तर पर ही भरा जाएगा।
- (iv) कोई संकाय सदस्य निर्धारित प्रोन्नति योजना में प्रत्येक स्तर पर कुल तीन अवसरों का लाभ ले सकता है। प्रथम और द्वितीय अवसर के बीच समयांतराल दो वर्ष का होगा तथा द्वितीय तथा तृतीय अवसर के बीच यह समयांतराल तीन वर्ष का होगा।
- (v) आचार्यों के स्वीकृत पदों का 25% ज्येष्ठ आचार्य के स्तर पर लागू होगा और आचार्य श्रेणी से चयन द्वारा भरा जाएगा।

## 2. अनुप्रयोग

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सह आचार्य, अपर आचार्य और आचार्य श्रेणी में संकाय पदों के लिए प्रोन्नतियों को लागू होंगे।

## 3. पात्रता

जिपमेर में संबंधित श्रेणियों में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे सहायक आचार्य या सह-आचार्य और सात वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर आचार्य क्रमशः सह-आचार्यों, अपर आचार्यों और आचार्यों के पदों पर प्रोन्नति के पात्र हैं। अन्य कोई शर्त उदाहरणार्थ उच्चतर अर्हताएं जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए हों, पूरी करने की आवश्यकता नहीं है।

#### 4. प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर परिसीमाएं

जबकि 100% सहायक आचार्यों को (अपेक्षित पात्रता सेवा वाले) यदि उपयुक्त पाए जाते हैं, पर उन्हें सहायक आचार्य श्रेणी में प्रोन्नत किया जा सकता है, ऐसे सह आचार्य, जिन्हें प्रोन्नत किया जा सकता है, की संख्या चार वर्ष की सेवा कर चुके एवं जो उस वर्ष के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है सह आचार्यों का 5% तक सीमित रहेगी। तथापि, सात वर्ष की सेवा वाले 50% अपर आचार्यों को उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें आचार्य की श्रेणी में प्रोन्नत किया जा सकता है।

#### 5. आवधिकता तथा निर्णायक तिथि

निर्धारण बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी और उन सभी व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करेगा जिन्होंने उस वर्ष की 30 जून को क्रमशः चार वर्ष तथा सात वर्ष की सेवा की पात्रता पूरी कर ली है। स्कीम के अधीन सभी प्रोन्नतियां पहली जुलाई से प्रभावी होगी।

#### 6. पात्रता सूची

प्रवृत्त नियमों के अनुसार, संकाय की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती हो सकती है और प्रत्येक अवसर पर चयन एक ही साथ परन्तु एक से अधिक विधाओं में की जाने वाली नियुक्ति के लिए किया जा सकता है। संस्थान की सम्मिलित पात्रता सूची निम्नवत् रूप से तैयार की जाएगी:-

- (i) प्रत्येक श्रेणी में संस्थान के कर्मचारियों की ज्येष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें वे प्रश्नगत श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयनित किए

गए थे, जिनका चयन पूर्वतर अवसर पर किया गया था जो बाद में चयन किए गए कर्मचारियों से ब्लाक के रूप में ज्येष्ठता की पंक्ति में रखे जाएंगे।

- (II) एक ही चयन समिति में चयनित व्यक्तियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित चरणों में तैयार की जाएगी:-

### चरण - I

ऐसे व्यक्तियों की कार्य आरंभ करने की तारीख के आधार पर सूची तैयार करना, पूर्वतर तारीख को कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों को पश्चातवर्ती तारीख को कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा।

### चरण - II

यद्योपरि तैयार की गई सूची में, ऐसे व्यक्ति जो एक ही तारीख को कार्य आरंभ करते हैं आयु के क्रम में क्रमबद्ध किए जाएंगे और पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति बाद में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे।

### चरण - III

एक ही तारीख को कार्य आरंभ करने वाले और अपनी उम्र के अनुसार उपर्युक्त चरण-II के अनुसार समायोजित व्यक्तियों के लिए और पुनर्व्यस्था की जाएगी ताकि अवर पद/श्रेणी में संस्थान के कर्मचारियों की मूल पारस्परिक ज्येष्ठता बनी रहे। यह संक्रिया उस पूर्ववर्ती सम्मिलित ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ व्यक्ति को जिसका नाम अब इस सूची में छपा हो

- भले ही वह उम्र में बड़ा ही क्यों न हो उस सूची में उससे ज्येष्ठ व्यक्ति से ठीक नीचे खींच कर पूरी की जा सकेगी।

#### चरण - IV

चयन समिति द्वारा अधिकथित विभागीय योग्यता/ज्येष्ठता के उल्लंघन को सुधारने के लिए उपर्युक्त सूची में अब और उपांतरण किया जा सकता है। इसे योग्यता में कनिष्ठ व्यक्ति को उसके ज्येष्ठ व्यक्ति से ठीक नीचे ला कर किया जाएगा।

टिप्पण : उन मामलों में जहां सम्मिलित सूची में किसी कनिष्ठ व्यक्ति पर निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा हो ज्येष्ठता सूची में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, भले ही ज्येष्ठ व्यक्तियों ने अपेक्षित वर्षों की सेवा न की हो। ज्येष्ठ व्यक्ति को उपयुक्त पाए जाने पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति की प्रोन्नति की तारीख से कल्पित प्रोन्नति दी जाएगी और वेतन आदि के प्रयोजनों के लिए यह वास्तविक प्रोन्नति की तारीख से अर्थात् जिपमेर में अपने श्रेणी में चार वर्ष की सेवा पूरी करता है उसे दिया जाएगा, परन्तु यह तब जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी की जाएं:-

(क) परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) सेवा आरंभ के लिए प्रवृत्त विस्तार की कुल अवधि 6 मास से अधिक नहीं हुई हो।



## 7. निर्धारण प्रक्रिया

निर्धारण बोर्ड विभाग या यूनिट प्रमुख की सिफारिशों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के प्रति निर्देश से संकाय सदस्यों के निष्पादन तथा अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता का विनिश्चय करने के लिए साक्षात्कार में उसके निष्पादन पर विचार करने तथा, यह बोर्ड साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने में असमर्थ संकाय सदस्यों की अभ्यर्थिता पर भी उनकी अनुपस्थिति में विचार कर सकता है।

## 8. अवसरों की संख्या

कोई संकाय सदस्य स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किए जा रहे प्रत्येक स्तर पर कुल तीन अवसरों का लाभ ले सकता है। पहले और दूसरे अवसर के बीच समयांतराल दो वर्ष का होगा तथा दूसरे एवं तीसरे अवसर के बीच यह तीन वर्ष का होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त तो पाया जाता है, परंतु अधिकतम सीमा के कारण प्रोन्नत नहीं किया जाता है तो इसे लाभ लिए गए अवसर के रूप में नहीं समझा जाएगा और उसके मामले का पुनर्विलोकन अगले निर्धारण के समय उस वर्ष के भीतर प्रतिकूल न होने के अध्वधीन किया जाएगा।

अन्य शब्दों में ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नति के लिए उपयुक्त निर्धारित किए गए हैं परंतु अधिकतम सीमा के कारण प्रोन्नत नहीं किए गए हैं, अभ्यर्थियों को अगले निर्धारण वर्ष में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की जरूरत नहीं है। अगले वर्ष का बोर्ड मध्यवर्ती वर्ष के लिए उसे प्राप्त गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उनके मामले का केवल पुनर्विलोकन करेगा तथा प्रतिकूल बात नहीं दिखाई पड़ने की दशा में चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित कर लिए जाएंगे।

9. 75% और 50% अधिकतम सीमा तय करने के प्रयोजन के लिए अवसरों की संख्या की गणना

सह-आचार्य से अपर आचार्य में प्रोन्नति पर विचार करते समय ऐसे अभ्यर्थियों जिनपर स्थायी चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में या उनकी अनुपस्थिति में [15.1.1997 को आईबी-6 (ड.) द्वारा यथानुमोदित] विचार किया गया हो, की संख्या पर 75% की अधिकतम सीमा अवधारित की जा सकती है। इसी प्रकार अपर आचार्य से प्रोफेसर में प्रोन्नति के समय ऐसे अभ्यर्थियों जिन पर स्थायी चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में या उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया हो, की संख्या पर 50% की अधिकतम सीमा अवधारित की जा सकती है।

10. वेतनमान

(i)	सह आचार्य	रू. 14300-400-18300 (+ केवल चिकित्सक के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता)
(ii)	अपर आचार्य	रू. 16400-450-20900 (+ केवल चिकित्सक के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता)
(iii)	आचार्य	रू. 18400-500-22400 (+ केवल चिकित्सक के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता)
(iv)	ज्येष्ठ आचार्य	रू. 22400-525-24500 (+ केवल चिकित्सक के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता)

**अनुसूची-VII**

**जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) पृथ्वेरी में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस**

**संस्थान द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से संस्थान द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस निम्नवत है:-**

श्रेणी	आवेदन फीस		
	सामान्य/साधारण अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	फार्म का मूल्य
समूह क और ख के सभी पद और निवासी निदर्शक और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी होगा।	500/-रु.	250/-रु.	25/-रु.
समूह 'ग' पद जहां चयन केवल साक्षात्कार द्वारा किए जाते हैं।	200/-रु.	100/-रु.	25/-रु.
समूह ग पद जहां चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा किए जाते हैं।	300/-रु.	150/-रु.	25/-रु.
समूह 'घ' पद	150/-रु.	75/-रु.	10/-रु.

अनुसूची-VIIIजवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) पुडुचेरीमें विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति अनुशासनिक और अपील प्राधिकारी

क्रम सं.	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियाँ और अपील शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिन्हें वह केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम-11 के प्रतिनिर्देश में अधिरोपित कर सके।		अपील प्राधिकारी
			अनुशासनिक प्राधिकारी	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम-11 के अधीन शास्तियाँ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निदेशक	संस्थान (जिपमेर, पुडुचेरी) नियम, 2008 के नियम-7 के अधीन	संस्थान	सभी इस शर्त के अधीन रहते हुए कि (v) से (ix) तक शास्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अधिरोपित नहीं की जाएंगी	केन्द्र सरकार
2.	निदेशक के सिवाय समूह क के सभी पद	शासी निकाय	क) शासी निकाय ख) अध्यक्ष	सभी  (i) से (iv) तक	संस्थान  शासी निकाय
3.	समूह ख पद	अध्यक्ष	क) अध्यक्ष ख) निदेशक	सभी (i) से (iv) तक	शासी निकाय अध्यक्ष
4.	समूह ग और समूह घ पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष

टिप्पण : 1 निदेशक, ज़िपमेर का प्राधिकार - यथा स्थिति शासी निकाय वा अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के बाद आरोपपत्र, और अभ्यारोपण, शास्तियों और निर्लंबन विवरण जारी करना। यथा स्थिति शासी निकाय वा अध्यक्ष के लिए और उनकी ओर से सूचना, आरोपपत्र और अभिकथन विवरण आदि निदेशक द्वारा हस्ताक्षर होंगे तथा ये दस्तावेज भी इस तथ्य का स्पष्टतः कथन करेंगे। शासी निकाय वा अध्यक्ष के आदेशानुसार जैसे वाक्यांश ऐसे दस्तावेजों पर प्रयोग किए जा सकते हैं।

टिप्पण : 2 शासी निकाय की बैठक नियत अंतरालों पर की जाती है, शासी निकाय का सभापति प्राधिकृत है कि वह समूह के कर्मचारियों और संकाय सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करे। शास्ति विषयक अंतिम विनिश्चय शासी निकाय की बैठक में लिया जाएगा।

### उपाबंध-IX

#### ज़िपमेर परिसर में स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन के लिए पात्रता

क्रम सं.	क्वार्टरों का टाइप	क्वार्टरों की संख्या	पात्रता (मूल वेतन)	टिप्पणियाँ
1.	टाइप ग II	13	15,100/=रूपए	आबंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया गया है।
2.	टाइप बी बी	14	15,100/=रूपए	-यथोक्त-
3.	टाइप बी ए	14	12,000/=रूपए	-यथोक्त-
4.	टाइप डी II	24	12,000/=रूपए	-यथोक्त-
5.	टाइप IV	8	8,500/=रूपए	-यथोक्त-
6.	टाइप ई	44	8,500/=रूपए	-यथोक्त-
7.	टाइप III	24	5,500/=रूपए	-यथोक्त-
8.	टाइप एफ	32	5,500/=रूपए	-यथोक्त-
9.	टाइप II	36	3050/=रूपए	-यथोक्त-
10.	टाइप जी	100	3050/=रूपए	-यथोक्त-

11.	टाइप I	44	2500/=रूपए	-यथोक्त-
12.	टाइप एच	92	2500/=रूपए	-यथोक्त-
13.	एमएसआर क्वार्टर (विवाहित वरिष्ठ निवासी)	24	8500/=रूपए	-यथोक्त-

क्वार्टरों की कुल संख्या : 469

निदेशक के लिए आवास आबंटित किया जाएगा।

[फा. सं. ए.-12034/18/2008-एमई-III]

शालिनी प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2008

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (1) of section 30 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Central Government hereby makes the following regulations, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research Puducherry, Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**

(1) In these regulations unless the context otherwise requires,—

- (i) "Act" means the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008);
- (ii) "Annexure" means the annexure to the Schedule to these regulations;
- (iii) "Chairman" means the Chairman of the Governing Body of the Institute;
- (iv) "Director" means the Director of the Institute;
- (v) "President" means the President of the Institute;

- (vi) "rules" means the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Rules, 2008;
- (vii) "Schedule" means the schedule to these regulations;
- (viii) "section" means a section of the Act;
- (ix) "Standing Committee and *ad hoc* committees" means respectively the standing and *ad hoc* committees constituted under sub-section 5 of section 10 of the Act.

(2) Words and phrases used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

3. **Powers and functions of the President.**— The President shall exercise such powers and discharge such functions as are laid down in the Act, the rules and Schedule I to these regulations.
4. **Time and place of meetings of Institute.**— The Institute shall meet at such times and places as the President may, from time to time determine;

*Provided that the Institute shall meet at least once in every year.*

5. **Power to call a meeting of Institute.**— (1) The President may, at any time, call a meeting of the Institute and also shall do so if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than eleven members specifying the subject of meeting proposed to be called.  
(2) The President may call for an extraordinary meeting of the Institute at not less than seven clear days notice in writing and also shall do so if the requisition for that purpose is presented to him in writing by

not less than eleven members specifying the subject of the meeting to be called for.

6. **Notice for the meetings of Institute.—(1)** For an ordinary meeting of the Institute a notice specifying the place, date and time of the meeting, as approved by the President, shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and under a certificate of posting, if sent by post. The agenda, as approved by the President, shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting under a certificate of posting, if sent by post.

(2) For extraordinary meetings, notices specifying the place, date and time of the meeting, as approved by President shall be sent by the Secretary to the President and the members at least seven days before the date of the meeting, under a certificate of posting, if sent by post or by telegram. The agenda as approved by the President shall be sent under a certificate of posting, if sent by post, at least five days before the meeting.

(3) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting.—

- (i) fresh items of business;
- (ii) items supplementary to those included in the agenda;

and such items shall be taken up for consideration.



**7. Moving of resolution by members of Institute .—**

Any member of the Institute desirous of moving any resolution at a meeting of the Institute shall give notice thereof in writing to the Secretary so as to reach him not less than ten days before the date of the meeting and when such notice has been given, the proposed resolution shall be circulated immediately by the Secretary to the members and be included in the Agenda.

**8. Quorum.— (1) No business shall be transacted at a meeting of the Institute unless eight members are present.**

(2) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting, the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned and the members shall meet on a date, time and place fixed by the President and if at the adjourned meeting also the quorum is not complete with-in half an hour from the time appointed for holding the meeting, the meeting shall be held if at least one-third of the total number of members are present:

Provided that at least seven clear days notice is given to the members present and to each member who is not present at the meeting on the same or the following day by post or telegram or special messenger as the case may require.

**9. Presidency over meeting of Institute.— (1) The President shall preside over every meeting of the Institute.**

(2) If the President is not present at any such meeting the members present shall choose one from among themselves to be President of the meeting.

**10. Transaction of business.—(1)** All decisions of the Institute shall be taken on a majority vote. In case of equality of votes the President shall have a casting vote.

(2) A decision given by the President of the meeting on a point of order raised by a member shall be final.

(3) No subject disposed of by the Institute at a meeting shall be brought up again for consideration until and after the expiry of one year except in a case where the President or Government certifies that the subject required further consideration in the interest of the Institute.

**11. Transaction of business by circulation of papers.—(1)** Any business which may be necessary for the Institute to transact may, if the President so directs be dealt with by circulation of papers under registered cover among all members for the time being in India at their usual addresses and any resolution so circulated shall be taken as passed if majority of member approve it, in writing, and shall be as effectual and binding as if the resolution has been passed at a meeting of the Institute.

(2) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than three weeks shall be allowed for the receipt of replies from the members, such period to be counted from the date on which the notice of business is issued:

Provided that if no reply is received by the stipulated date from any member, the resolution so circulated shall be deemed to have been approved by the member concerned.

(3) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members.

12. **Record of Business.**— (1) A record shall be maintained by the Secretary of all business transacted by the Institute.

(2) All business of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions in the minutes book to be maintained by the Institute and shall be signed by the President of that meeting after the same is duly confirmed. An entry of such decision in the book of the proceedings of the Institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute.

(3) The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Institute after the same is duly approved by the President.

13. **Constitution of Governing Body.**— The Governing Body of the Institute shall consist of the following Members, namely: -

- |     |  |   |          |
|-----|--|---|----------|
| (1) | The President of the Institute                                   | - | Chairman |
|     | <b>Members <i>Ex officio</i></b>                                 |   |          |
| (2) | Secretary (Ministry of Health and Family Welfare)                |   |          |
| (3) | The Director-General of Health Services, Government of India     |   |          |
| (4) | The member of the Institute representing the Ministry of Finance |   |          |
| (5) | The Director of the Institute                                    |   |          |
| (6) | The Chief Secretary to the Government of Puducherry.             |   |          |
| (7) | Dean of the Institute.   |   |          |

**Other Members**

- (8) One member elected by the members of the Institute from amongst the three Members of Parliament elected to the Institute.

- (9) Three members to be elected by the members of the Institute from amongst themselves
- (10) Two professors of the Institute by rotation nominated annually by the Institute in the order of seniority.
- (11) Any person for a period of three years who in the opinion of the Central Government will be contributing for the furtherance of the Institute subject to the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Act.
14. **Powers and functions of Chairman and Governing Body.**— The Chairman and the Governing Body shall exercise such powers and discharge such functions as are specified in the Schedule-I annexed to these regulations.
15. **Time and place of meetings of Governing Body.**—The Governing Body shall meet at such times and places as the Chairman may, from time to time determine:  
Provided that the governing Body shall meet once at least in six months.
16. **Powers to call meetings of Governing Body.**—The Chairman may at any time call a meeting of the Governing Body and shall do so if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than eight members specifying the subject of the meeting proposed to be called.
17. **Notice for the meetings of Governing Body.**— (1) For an ordinary meeting of the Governing Body a notice specifying the place, date and time of the meeting as approved by Chairman shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and under a certificate of posting, if sent by post. The agenda as approved by Chairman shall also be sent along with the notice of the

meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting under a certificate of posting, if sent by post.

(2) For extraordinary meetings, notices specifying the place, date and time of the meeting, as approved by the Chairman, shall be sent by the Secretary to the Chairman and the members at least seven days before the date of the meeting, under a certificate of posting, if sent by post or by telegram. The agenda, as approved by the Chairman, shall be sent under a certificate of posting, if sent by post, at least five days before the meeting.

(3) The Chairman may include in the agenda at any time before or during a meeting—

- (i) fresh items of business;
- (ii) items supplementary to those included in the agenda;

and such items shall be taken up for consideration.

18. **Quorum.**— (1) No business shall be transacted at a meeting of the Governing Body unless at least seven members are present.

(2) If within half an hour from the time appointed for holding a meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned and the Governing Body shall meet again on a date, time and place fixed by the Chairman and if at the adjourned meeting also the quorum is not complete within half an hour appointed for holding the meeting, the meeting shall be held if at least one-third of the total number of members are present:

Provided that at least seven clear days notice is given to the members present and to each member who is not present at the

meeting on the same or following day by post or telegram or by special messenger as the case may require.

**19. Presidency over meetings of Governing Body.—**(1) The Chairman shall preside over every meeting of the Governing Body.

(2) If the Chairman is not present at any such meeting the members present shall choose one from among themselves to be Chairman of the meeting.

**20. Transaction of business.—**(1) All decisions of the Institute shall be taken on a majority vote. In case of equality of votes the Chairman shall have a casting vote.

(2) A decision given by the Chairman of the meeting on a point of order raised by a member shall be final.

(3) No subject disposed of by the Institute at a meeting shall be brought up again for consideration until and after the expiry of one year except in a case where the Chairman or Government certifies that the subject required further consideration in the interest of the Institute.

**21. Transaction of business by circulation of papers.—**(1) Any business which may be necessary for the Governing Body to transact may, if the Chairman directs, be dealt with by circulation of papers under registered cover among all the members for the time being in India at their usual address, and any resolution so circulated and approved by all the members signing, shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the Governing Body.

(2) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than ten clear days shall be allowed for the receipt of replies from the members, such period to be counted from the date on which the notice of business is issued:

Provided that if no reply is received by the stipulated date from any member, the resolution so circulated shall be deemed to have been approved by the member concerned.

(3) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members.

22. **Record of Business.**— (1) A record shall be maintained by the Secretary of all business transacted by the Institute.

(2) All business of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions in the minutes book to be maintained by the Institute and shall be signed by the Chairman of that meeting after the same is duly confirmed. An entry of such decision in the book of the proceedings of the Institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute.

(3) The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Institute after the same is duly approved by the Chairman.

23. **Terms of office of members of the Governing Body and filling of casual vacancies.**— (1) The term of office of a member other than the *ex officio* member of the Governing Body and those nominated under clauses (10) and (11) of regulation 13 shall be for five years subject to his continuance as a member of the Institute. An outgoing member shall be eligible for re-election or re-nomination.

(2) A casual vacancy in the membership of the Governing Body shall be filled up in accordance with the provisions of these regulations.

24. **Standing and ad-hoc Committees.**—(1) The Standing and *ad hoc* Committees shall consist of the Director of the Institute as *ex officio* member who shall act as Secretary and such number of other members as are considered necessary:

(2) The Chairman and members of the *ad hoc* Committees shall be nominated by the Institute;

Provided that the Standing Finance Committee shall include only members of the Institute.

Provided further that the number of persons who are not members of the Institute shall not exceed one-fourth of the total membership of each of the other standing or *ad hoc* committees.

Provided also that no business shall be transacted at a meeting of the standing or *ad hoc* Committee unless there are present at least one third of the total members constituting the Committee.

(3) The Standing Academic Committee shall consider all matters relating to the administration of the academic affairs of the Institute.

(4) The Standing Estate Committee shall consider the proposals for the construction of new buildings, acquisition and disposal of land, additions or alterations and other question relating to the maintenance and use of buildings belonging to the Institute. It shall also consider proposals and projects for expansion of the Institute for meeting the objects of the Institute and monitor the implementation.



(5) The Standing Selection Committee shall consider the appointment to all the faculty posts filled either through direct recruitment or under assessment promotion scheme. The Director-General of Health Services, Government of India shall be a member of the Standing Selection Committee.

(6) The Hospital Affairs Committee shall look into all policy matters relating to improvement of patient care services/creation of any specialised or new services, review and revision of charges to be levied for various services or any other policy matter relating to Hospital Management

(7) The term of office of a member of a Standing Committee shall be five years from the date of its constitution and *ad hoc* Committee shall cease to function as soon as the specific functions for which the said committee is appointed, are completed.

(8) A casual vacancy in the standing committee or an *ad hoc* committee may be filled by the Institute by nomination.

25. Travelling and daily allowances to be paid to the President and members of Institute, Governing Body, Standing and *ad hoc* Committee.—(1) The Chairman and members of the Governing Body and Chairman and members of the Standing Committee and *ad hoc* committee shall not receive any remuneration or other allowance except traveling and daily allowances for attending meetings of the Governing Body, a Standing Committee or an *ad hoc* committee, as the case may be.

(2) The President and every member of the Institute, the Chairman and members of the Governing Body, the standing and *ad hoc* committees, if they are whole time officers of government shall be entitled to such traveling and daily allowances for the performance of journeys for attending the meetings of the Institute, Governing Body, standing or *ad hoc* committees or for attending any other work of the Institute, as are admissible under the rules applicable to them for journeys performed on official duty.

(3) Where any travelling and daily allowances are paid to a member of the Institute, the Governing Body, Standing Committees or *ad hoc* committees, being an officer in the Government, the Institute shall make necessary arrangements for re-imbusement of the amount so paid to the authority employing such officer.

(4) The President and members of the Institute and the Chairman and members of the Governing Body, standing and *ad hoc* committees who are not officers in the Government shall be entitled to travelling and daily allowance at the rates prescribed from time to time by the Central Government under Supplementary Rule 190 and the executive decisions and order thereunder.

**26. Powers and duties of Director.—**(1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute and shall exercise such powers and discharge such functions as are specified in the Schedule-I annexed to these regulations.

(2) The Director shall be in charge of the administration of the Institute and shall allocate duties to officers and employees of the Institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.

- (3) For the proper administration of the Institute the Director shall have powers to delegate any of his powers conferred on him under the Act, the rules and these regulations to any officer of the Institute subject to such limitations as may be imposed by the Governing Body.
27. **Powers to award prizes, scholarships, etc.**—The Institute may award such prizes, souvenirs, stipends and scholarships as may be decided by it from time to time.
28. **Admission to courses of studies.**— (1) The Institute shall admit students to courses conducted by it. It shall provide in each course of study reservation to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes or other categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.
- (2) The courses and fee payable by the candidates selected for admission to the postgraduate and undergraduate courses of study at the Institute shall be as in the Schedule II.
29. **Award of degrees and diplomas.**—The Institute may grant such degrees and diplomas as may be decided by the Institute from time to time.
30. **Conduct of examinations.**— Such number of supervisors, invigilators and other staff as may be necessary for conducting entrance and professional examination of the Institute may be appointed by the Director and their remuneration shall be paid at the rate as indicated in Schedule III.
31. **Hospital stoppages.**—The Institute shall charge for various services as per the rates specified in Schedule IV.

- 32. Employees to be whole-time servants.—** Unless in any case if it be otherwise distinctly provided the whole time of any employee of the Institute shall be at the disposal of the Institute and he may be employed in any manner required by the proper authority of the Institute without claim for additional remuneration.
- 33. Permanent and temporary posts.—** The posts in the service of the institute shall be (i) permanent posts, that is, posts carrying definite rate of pay sanctioned without any limit or time, or (ii) temporary posts, that is, posts carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time, or (iii) work charged or work charged (Regular) posts, carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time for completion of such work.
- 34. Scale of the posts.—** The various posts in the Institute and the scales of pay are attached that to shall be as specified in Schedule V.
- 35. Qualifications for appointment.—** (1) The method of recruitment, age, educational qualification and experience for appointment to various posts including the faculty posts and their service conditions in the Institute shall be as specified in Schedule VI.
- (2) The Director shall, in filling vacancies in post and services either by direct recruitment or by promotion under the Institute make such reservation in favour of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes or other categories of persons as may be made by the Central Government from time to time in filling vacancies in posts and services under the Central Government.

(3) The fee to be charged from the candidates applying for various posts in Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research are as specified in the Schedule VII.

36. **Period of probation.**— Unless otherwise decided by the appointing authority in any case, all employees shall be on probation for two years. The employee shall be required to put in satisfactory service failing which his services shall be liable to termination at any time without any notice or reason being assigned for the same. The appointing authority may, however, extend the period of probation.
37. **Seniority.**— Seniority of employees of the Institute in each category shall be determined as per the instructions issued by the Central Government from time to time.
38. **Leave.**— Temporary and permanent employees of the Institute shall be entitled to such leave and leave salary as are admissible to the corresponding categories of the Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972:

Provided that for the purpose of the said Central Civil Services (Leave) Rules 1972, the following categories of teaching staff shall be treated as serving in the Vacation Department, namely: -

1. Professor;
2. Additional Professor;
3. Associate Professor;
4. Assistant Professor;
5. Medical Superintendent;
6. Principal, College of Nursing;
7. Vice Principal, College of Nursing;
8. Lecturers.

The regular vacation for the purpose shall be as may be decided by the Governing Body from time to time.

Provided further that an incumbent on deputation to the Institute as on foreign service shall be governed by leave rules as may be stipulated in the conditions of their deputation.

39. **Absence from duty.**— Unless otherwise decided by the President in exceptional circumstances, no permanent employee of the Institute shall be away from his post, otherwise than on foreign service or because of suspension for more than five years at a stretch including the period of leave which may have been sanctioned.

40. **Superannuation.**— (1) The age of superannuation of the employees of the Institute other than teaching medical faculty shall be sixty years:

Provided that the medical and scientific specialists may be granted extension in service, on a case to case basis, upto the age of sixty-two years in the case of persons who are exceptionally talented for reasons to be recorded in writing and subject to physical fitness and continued efficiency of the person concerned.

(2) The age of superannuation of the members of the teaching medical faculty of the Institute shall be sixty-five years.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any employee of the Institute by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice -

- (i) If he is in Group A or Group B service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty-five years, after he has attained the age of fifty years; and
- (ii) in any other case, after he has attained the age of fifty-five years;

(4) (a) any institute employee may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service after he has attained the age of fifty years, if he is in Group A or Group B service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty-five year, and in all other cases after he has attained the age of fifty-five years;

4 (b) it shall be open to the appointing authority to withhold permission to an employee under suspension who seeks to retire under this sub-regulation.

**41. Pension and Contributory Provident Fund.—** (1) The employees of the Institute except those on deputation or on foreign service to the Institute who, before exercising their option to be an employee of the Institute were appointed to various posts under the Central Government prior to 1<sup>st</sup> January, 2004, and are entitled to pension and other pensionary benefits under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1969 shall continue to be governed by the said rules.

(2) The employees of the Institute except those on deputation or on foreign service, but including those who before exercising their option to be an employee of the institute were appointed on or after 1<sup>st</sup> January, 2004 under the Central Government, shall be governed by the scheme as may be formulated by the Institute on the lines of those in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh

and as per the instructions of the Central Government for employees appointed on or after the said 1<sup>st</sup> January, 2004 under the Central Government.

**42. Conduct, Discipline and Penalties.— (1)** The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, shall apply to employees of the Institute.

(2) Part-IV (Suspension), Part V (Penalties and Disciplinary Authorities), Part VI (Procedure for Imposing Penalties), Part-VII (Appeals) and Part-VIII (Review), of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall apply to employees of the Institute.

Provided that for the purposes of this regulation:

- (a) Group A, Group B, Group C and Group D posts in the Institute shall correspond to Central Civil Services Group A, Group B, Group C and Group D posts respectively.
- (b) The Appointing Authority, the disciplinary Authority for the penalties that may be imposed and the Appellate Authority for the various posts in the Institute shall be as specified in Schedule-VIII.
- (c) In respect of the Central or the State Government servants borrowed by the Institute, the provisions respectively of rules 20 and 21 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply and the Institute shall exercise the functions of the Central or the State Government, as the case may be, for the purpose of the two rules aforesaid.
- (d) No consultation with Union Public Service Commission shall be necessary in any case.



43. **Other conditions of service.**— In respect of the matters not provided for in these regulations, the rules as applicable to the Central Government servants such as regarding the general conditions of service, pay, allowances including travelling and daily allowance, leave salary, joining time, foreign service terms, and orders and decisions issued in this regard by the Central Government from time to time shall apply to the employees of the Institute.
44. **Pay of re-employed persons.**— The pay of any person who may be employed in the Institute after retirement from the service of the Institute or of a State or the Central Government or any statutory or local body administered by the Government shall be fixed in the prescribed scale of pay in accordance with the rules and orders of the Central Government as amended from time to time.
45. **Adjustment of employees who opt not to be the employee of the Institute.**— (1) The employees who opt not to be the employees of the Institute within the stipulated period of one year under sub-section (1) of section 28 of the Act and rendered surplus shall be adjusted against the vacancy in any post located in any office under the control of the Ministry of Health and Family Welfare and carrying equivalent pay scale for appointment to which he is considered by the Appointing Authority to be suitable.
- (2) Those employees who could not be adjusted against any vacancy in any post under the control of the Ministry of Health and Family Welfare shall be placed at the disposal of surplus of Department of Personnel and Training, Government of India to be redeployed as per the provisions of the Central Civil Services (Redeployment of surplus staff) Rules, 1990.

- 46. Building and land belonging to the Institute.—(1)** The Institute shall use its lands and buildings for the purpose of the Institute and may, for such purposes, allot them for occupation by such persons or officers as the Governing Body may decide.
- (2) Employees of the Institute shall be entitled to the allotment of residence as laid down in Schedule IX.
- 47. Medical facilities for employees.—** The employee of the Institute including deputationist and members of the families shall be entitled to medical aid as admissible under the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research Staff Health Scheme. They shall also pay such contribution as are required under that scheme. The details of the scheme is as in Schedule IV.
- 48. Proceedings by or against the Institute.—** Subject to the limitation, the Governing Body or the Director of the Institute shall be competent to file suits or application or commence other proceedings, civil or criminal, for and on behalf of the Institute and to prosecute the same and for such purpose to sign, execute or attest plaints, petitions, appeals or other documents that may be necessary therefor and to verify the same, to swear to affidavits and to compromise, refer to arbitration and to defend in suit or other proceeding that may be filed against the Institute and to prosecute the claim or defence in the court of appeal or origin or before any officer whether in Civil, criminal, revenue court or office or before income tax authorities and for such purpose to appoint any advocate, pleader, solicitor or agent from the panel as approved by the President.

**SCHEDULE - I****POWERS OF THE DIRECTOR, PRESIDENT AND GOVERNING BODY IN THE JAWAHARWAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PUDUCHERRY**

(See regulations 12,22,25)

Sr. No	Nature of Powers	Extent of Powers.				Remarks
		Director	President	Governing Body	Institute Body	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Powers of re-appropriation of funds from sanctioned budget	Full powers		-	-	Report on any re-appropriation shall be placed before the Governing Body for approval at its subsequent meeting
2.	(a) Write off of loss of irrecoverable value of stores of money due to fraud theft etc.	Upto Rs.1 lacs in each case	Upto Rs.2 lacs in each case	Full powers	-	
	(b) Loss of income bond money or irrecoverable advance	Upto Rs.1 lacs in each case	Upto Rs.2 lacs in each case	Full powers	-	
	(c) Deficiencies and depreciation in the value of stores	Upto Rs.1 lacs in each case	Upto Rs.2 lacs in each case	Full powers	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	To incur. (i) contingent expenditure, or (ii) expenditure for the purchase of stores, stationary and printing of forms	Full powers within sanctioned budget	Full powers	-	-	-
4.	Maintenance of Building and petty works :					
	(a) Original works and special repairs	Upto Rs.50.00 lakhs in each case without any annual ceiling	Upto Rs.1.00 crore in each case.	Full powers		-
	(b) Ordinary Repairs	Full powers	-	Full powers	-	-
	(c) Annual Repairs	Full powers	-	-	-	-
5.	Power to sanction advances (i) for the purchase of conveyance and (ii) for travelling allowance	Full powers in respect of all officers and employees except himself	Full powers in case of Director	-	-	-
6.	Powers to sanction advances or final withdrawal out of the contributory or General Provident Fund	Full powers in respect of all Officers and employees except himself	Full power in case of Director	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Destruction of official records connected with accounts	Full powers subject to the conditions laid down in part II of the Appendix-13 to the General Financial Rules.				
8.	Powers to direct the payment on the last working day of a month the pay and allowances of the employees of the Institute where the last days of the month are public holidays.	Full powers				
9.	Powers to order the retention of un-disbursed pay and allowances of staff for any period not exceeding three months	Full powers				
10.	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or cheapest	Full powers provided selection of the route is in the interest of the Institute				
11.	To decide whether a particular absence is absence or duty within the country	Full powers for academic purposes, and for one month in other cases	Full powers beyond one month in all cases other than academic			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	To countersign his own travelling allowance bills and those of other officers	Full powers	-	-	-	-
13.	i. Grant of casual leave	Full powers in respect of all officers, except himself	Full powers for casual leave of the Director	-	-	-
	ii. Grant of leave	Full powers for Group B, C and D employees, and not more than 90 days for Group A	Full powers for Group 'A' employees for more than ninety days, and full powers in case of Director	-	-	-
	iii. Special disability leave	Full powers	-	-	-	-
	iv. Maternity leave and Hospital Leave	Full powers except Director	Full powers in case of Director	-	-	-
	v. Study leave	Full powers for Group B, C and D employees, not exceeding two years	Full powers for Group A, including teaching posts	-	-	-
14.	To direct that an Officer on leave shall be considered to be in occupation of a residence	Full powers for the period of original deputation or the period of leave sanctioned	Full powers	-	-	-
15.	To declare an Institute employee to be a ministerial employee	Full powers	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	To suspend a lien	Full powers provided he is authorized to make appointment to the posts on which the lien is held.	-	-	-	-
17.	To transfer the lien of an Institute employee from one post to another	Full powers provided he is authorized to make appointments to both the posts concerned	-	-	-	-
18.	To transfer an Institute employee from one post to another	Full powers in the case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-
19.	Fixation of pay and allowances of an Institute employee treated as on duty under Financial Rules (8) (b).	Full powers in case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-
20.	Counting extra-ordinary leave for increments	Full powers in case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-
21.	Power to grant advance increments on the recommendations of Selection Committee	Full powers up to three advance increments	Full powers beyond three advance increments	-	-	-
22.	Powers to reduce the pay of an officiating Government servant below the minimum stage of time scale	Full power in the case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	To grant honorarium or to permit acceptance of honorarium	Full powers up to the maximum of Rs.5000/- per annum in each case in accordance with the provisions of rule 46(b) of Fundamental Rules and the Government of India's orders issued thereunder from time to time for all categories of employees. In case of recurring honoraria, this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a year. In case of Group A and Group B employees, the matter shall be reported to the Governing Body	-	-	-	-
24.	Powers to appoint an employee to hold a post temporarily or to officiate on more than one post and to fix the pay on subsidiary posts and the amount of the compensatory allowance to be drawn.	In accordance with rules applicable to similar classes of the Central Government employees	-	-	-	-
25.	Power to require a medical certificate of fitness before return from leave	Full powers except in case of the Director	Full powers in the case of Director	-	-	-
26.	Extension of leave to cover overstay	Full powers provided that the employee on leave will on return be under the administrative control of the Institute	-	-	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	To sanction transfer to foreign service within India and to fix pay in foreign service	Full powers in respect of Group B, C and D employees subject to the conditions mentioned in column 5 against Serial No.30 in Appendix 4 compilation of the Fundamental and Supplementary Rules, Volume-II.	Full powers in respect of Group A employees	-	-	-
28.	To decide the date of reversion of Institute employee who takes leave before reversion from foreign service	Full powers	-	-	-	-
29.	Powers to dispense with a medical certificate of fitness before appointment to Institute's service in individual cases	Full powers in case of Group C and D employees	-	Full powers in respect of Group A and B officers	-	-
30.	Power to sanction the undertaking of work for which a fee is offered and the acceptance of a fee subject to the provision of Supplementary Rules	Full powers	-	-	-	-
31.	To declare the grade of fee paid to the part-time employees (for purpose of traveling allowance)	-	Full powers	-	-	-
32.	To decide the shortest or cheapest of two or more routes	Full powers	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	To decide the point of commencement or end of the journey in a station	Full powers	-	-	-	-
34.	To declare in case of doubt or hardship the class of steamer accommodation to which Institute employee is entitled	Full powers	-	-	-	-
35.	Travel by air by officers drawing a pay of less than Rs.12300/-	Full powers in case of absolute urgency and necessity	-	-	-	-
36.	Powers to grant exemptions from rules limiting a halt on tour to ten days	Full powers upto ninety days, except Director	Full powers upto ninety days in case of Director and for others full powers beyond ninety days	-	-	-
37.	To declare who shall be controlling officer and to make rules for his guidance	Full powers, provided an Institute employee is not declared his own controlling	-	-	-	Subject to any Guide lines of the Governing Body
38.	To grant leave when a Medical Board has reported that there is no reasonable prospect of employees being fit to return to duty	Full powers	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	To permit calculation of joining time by a route other than that which travelers ordinarily use	Full powers	-	-	-	-
40.	To extend joining time within maximum of Thirty days	Full powers	-	-	-	-
41.	Power to alter in the case of clerical errors the date of birth recorded in the service rolls of Group C and D Institute employees	Full powers in the case of Group C and D employees	Full powers in the case of Group A and B employees	-	-	-
42.	Power to sanction investigation of claims for arrears of pay, etc. which are not more than three years old	Full powers	-	-	-	-
43.	Power to sanction permanent advances	Full powers except Director	Full powers in case of Director	-	-	-
44.	Disposal of obsolete, surplus, and unserviceable stores	The Director shall exercise full powers on the advice of Condemnation Board	-	-	-	-
45.	Power to vary the terms of repayment of advances granted to an Institute employee in exceptional cases	Full powers in cases in which he is competent to sanction the grant of advances, provided that in the case of interest bearing advances the period of repayment is not extended	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	Power to authorise the sale or transfer of motor vehicles purchased with advance from the Institute	Full powers as mentioned in rule-256 of the General Financial Rules and Government of India decisions.	-	Full powers	-	-
47.	Power to sanction advances for law suits to which Institute is a party	Full powers	-	-	-	Subject to any general guidelines of the Governing Body or Institute
48.	Power to prescribe the form of security to be executed by a subordinate authority entrusted with the custody of cash, stores etc.	Full powers subject to the approval of Finance Committee	-	-	-	-
49.	Power to incur expenditure on contingencies and purchase of stores other than for works subject to budget provisions	Full powers to the Director on contingencies and purchase of stores other than works subject to the availability of funds	-	-	-	-
50.	Power to allow exchange of daily allowance for mileage allowance for the whole period of an absence from Headquarters	Full powers except Director	Full powers in case of Director	-	-	-
51.	Power to fix amount of hire or charges when an Institute employee is provided with means of locomotion at the Institute but pays all the cost of its use or propulsion	Full powers	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	To grant travelling allowance to non-officials attending commission of enquiry and to fix their grade	Full powers	-	-	-	-
53.	Power to sanction halt on duty at hill station in excess of ten days	Full powers upto thirty days for all category of employees	Full powers	-	-	-
54.	Power to sanction for journey made during leave including vacation	Full powers in respect of all except the Director	Full powers in respect of Director	-	-	-
55.	Power to decide the rate of traveling allowance admissible to an employee of the Institute deputed to undergo a course of training	Full powers if the period of training does not exceed ninety days	Full powers	-	-	-
56.	To allot residence	Full powers	-	-	-	-
57.	Powers to permit the Officers of the Institute to go abroad for attending meetings, conferences, seminars, workshops, symposia etc. or for short assignments	Full powers except in the case of Director, on the basis of leave of kind due and admissible upto the period of thirty days and that the faculty members concerned receives a proper invitation from the sponsors of the meeting etc.	Full powers beyond thirty days in the case of employees and full powers in respect of Director.	-	-	Subject to executive instructions issued by the Central Government from time to time

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	Powers for treating the absence as on duty for participation in the Inter-national Scientific Conference or symposia or seminar, etc., abroad by the members of the faculty.	Full powers upto a maximum of thirty days, inclusive of travel	Full powers beyond thirty days	-	-	Subject to directions issued by the Central Government from time to time
59.	Powers to retain lien of the Institute employees when they are appointed elsewhere	Full powers for Group B, C and D posts upto a maximum of two years, one year at a time.	Full powers for Group A posts, upto a maximum of two years	Full powers for Group 'A' posts, exceeding two years	-	-
60.	Powers to permit the Officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treating the absence as on duty	Full power upto thirty days provided there are no financial implications other than the period spent in connection with the work of the Institute being treated as on duty	Full powers beyond thirty days	-	-	Subject to executive instructions issued by the Central Government from time to time
61.	Powers to make appointment to posts (subject to Rule-7 of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Rules, 1967)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	i. Ad hoc or Temporary	Full powers for Group B, C and D posts. Lecturers in Nursing and Medical Technology and Assistant Professor not exceeding a period of one year	Full powers for all Group 'A' posts, other than faculty posts. Professors for a period not exceeding one year and Lecturer in Nursing and medical Technology and Assistant Professor for a period exceeding one year	-	-	-
	ii. Permanent	Group 'C' and 'D' posts	Group 'B' posts	Full powers for Group 'A' posts.	-	-
62.	To sanction the re-employment of superannuated persons in temporary vacancies	Full powers in the case of Group C employees up to the age of sixty years, one year at a time	Full powers in the case of Group B Officers up to the age of sixty years one year at a time	-	-	-
63.	To waive provisions(a) to Supplementary Rule-209 and to authorize departures from Supplementary Rule 211 regarding combination of Holidays with leave	Full powers	-	-	-	-
64.	Power to confirm Group A and B Officers, after successful completion of the period of probation	Full powers except in the case of Director	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	Powers to accept resignation of Group B Employees of the Institute	Full powers	-	-	-	-
66.	Powers to accept resignation of Group 'A' employees	Full powers in respect of all Group 'A' posts, except in case of Professors and Additional Professor	Full powers in case of Director (subject to ratification by the institute), Professor and Additional Professors	-	-	-
67.	Powers for fixation of pay of Institute employees under normal Rules	Full powers	-	-	-	-
68.	Powers to accept Research Grant if these are for durations not exceeding three years	Full powers subject to the general policy of the Government of India	-	-	-	-
69.	Power to accept the terms and conditions, foreign service terms in respect of the deputationists of Central or State Government where the terms are of usual nature	Full powers	-	-	-	-
70.	Power to grant extension of tenure of Senior Residents or Tutors	Full powers	-	-	-	-
71.	Power to grant advance increments under Financial Rules <sup>27</sup> to employees of Research Schemes on their	Full power on the merit of each case	-	-	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	appointment to regular posts in the Institute					
72.	Power to relax the provisions of Supplementary Rules 12 where the subsistence allowance to be received in the nature of daily allowance and no honorarium is involved	Full powers		-	-	Subject to directions issued by the Central Government from time to time
73.	To declare that pay of an Institute employee includes compensation for all journey by road	Full powers in the case of Group B, C and D employees	Full powers in case of Group A employees	-	-	-
74.	To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacation department	Full powers		-	-	
75.	Authorising an employee to proceed on duty to any part of India.	Full powers in the case of Group - A, B, C and D employees, except Professors	Full powers in the case of Professor	-	-	
76.	Power to sanction investigation of claims for arrears of pay etc. which are more than three years but not more than six years old	Full powers	Full powers in other cases	-	-	
77.	Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent expenditure	Full powers		-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	Power to sanction advances for purchase of conveyance	Full powers in the case of Institute employees holding permanent posts subjects to the limits and conditions laid down in Rules 199 to 218 of General Financial Rules.	-	-	-	-
79.	Power to extend upto a maximum of twenty four the number of installments in which an advance granted for the purchase of a bicycle should be repaid to the Institute	Full powers	-	-	-	-
80.	Power to sanction advances to Institute employees on tour, transfer, etc.	Full powers in case of Institute employees holding permanent or temporary posts subject to the limits and conditions laid down in Rule 231 to 234 of General Financial Rules	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	Power to sanction advances of pay on the eve of important festivals	Full powers	-	-	-	-
82.	Power to authorize a departure from the provisions of the Rule 109 (1) relating to custody of Institute money	Full powers	-	-	-	Subject to any guidelines laid down by the Governing Body or Institute
83.	Fixation of Hospital Charges or fee and other charges to be charged from the students.	-	-	Full powers, on the recommendations of the Standing Finance Committee of the Institute	-	-
84.	i. Powers to appoint Group-A Officers on deputation basis	-	Full powers, on the recommendations of the Director, subject to ratification by the Governing Body	-	-	-
	ii. Power to appoint Group-B officers on deputation basis	Full powers on the recommendations of the Selection Committee	-	-	-	Subject to any guidelines laid down by the Governing Body or Institute

## SCHEDULE - II

## Jawaharlal Institute of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Puducherry

## FEE STRUCTURE FOR VARIOUS COURSES CONDUCTED BY THIS INSTITUTE

SL. NO.	DESCRIPTION	MBBS	B.Sc. (NURSING)	B.Sc. (MLT)	MPHMS	PG Diploma	M.Ch./D.M.	M.Sc. (MED. BIOCHEM)	Ph.D.
1	Tuition Fee (p.a.)	250.00	130.00	130.00	200.00	200.00	500.00	120.00	500.00
2	JSA Fee (p.a.)	800.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
3	Amenity Fee (p.a.)	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00
4	Caution Deposit (Refundable)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	University Development Fee (one time)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6	University Sports Fee (p.a.)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
7	University Registration Fee (at time of admission)	40.00	40.00	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00
8	University Library Fee (p.a.)	10.00	10.00	10.00	-	-	50.00	10.00	-
9	Matriculates Fee (at the time of admission)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	50.00
10	Recognition Fee (at the time of admission)	75/180/450	75/180/450	75/180/450	180.00	180.00	180.00	180.00	200.00
11	Corpus Fund(5% of Tuition Fee) (p.a.)	13.00	7.00	7.00	10.00	10.00	25.00	6.00	-
12	Hostel Caution Deposit (Refundable)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13	Establishment Charges (p.a.)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14	Hostel Room Rent (p.a.)	2,316.00	2,316.00	2,316.00	-	-	-	2,316.00	2,316.00
15	Electricity Charges (p.a.)	72.00	72.00	72.00	-	-	-	72.00	72.00
16	Mess Deposit(Refundable)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
University Examination Fee									
	First Year	1,515.00	Rs. 125/- per paper	630.00	-	-	-	1,515.00	-
	Second Year	1,785.00		830.00	-	-	-	1,515.00	-
	Third Year**	1,015.00		465.00	2,895.00	-	3,095.00	1,585.00	-
	Fourth Year**	2,395.00		-	-	-	-	-	-
Note: * MBBS Final (Part-I)									
** MBBS Final (Part-II)									

**SCHEDULE III****I. REMUNERATION FOR CONDUCTING VARIOUS EXAMINATIONS  
(BOTH UNDER GRADUATE AND POSTGRADUATE THEORY EXAMINATIONS)**

i. <i>Coordinator</i>	Rs.300.00 per day
ii. <i>Head Supervisor/ Superintendent Centre Supervisor/Superintendent</i>	Rs.150.00 per day
iii. <i>Assistant Supervisor/ Superintendent</i>	Rs.140.00 per day
iv. <i>Invigilator</i>	Rs.100.00 per day
v. <i>Class IV</i>	Rs.65.00 per day (including preparation)

**II. REMUNERATION FOR CONDUCTING VARIOUS EXAMINATIONS  
FOR EXAMINERS****A. UNDER GRADUATION COURSES:**

M.B.B.S.  
B.Sc. (Nursing)

***Theory Evaluation.***

Rs.40/- per paper per Examiner

***Practical.***

Rs.30/- per examiner per candidate minimum Rs.300/- per day per examiner

***Chairman cum Convener. (For Board meeting to pass results)***

Rs.250/- per day and sitting fee Rs.100/- per member

**B. POST GRADUATE COURSES (MEDICAL):****(i) DEGREE and DIPLOMA:*****Theory Evaluation.***

Rs.100/- per paper per examiner minimum remuneration  
Rs.500/- per day

***Practical.***

Rs.85/- per candidate per Examiner minimum Rs.500/- per Examiner

***Thesis Correction (For MS/MD/MCH/DM and Diploma).***

Rs.400/- per Examiner per thesis

**(ii) M.Sc (Bio-Chemistry):*****Theory Evaluation:*****Rs.10/- per paper minimum Rs.150/- per Examiner****Practical Exam:****Rs.25/- per candidate per Examiner and Rs.100/- per batch for prescription****Thesis Correction:****Rs.200/- per examiner per thesis****(iii) Ph.D Courses:****Rs.500/- for external examiner****Rs.500/- for guide****Rs.250/- per co-guide****For Public Viva****Thesis Correction:****Rs.1,000/- per candidate for Indian Examiner****\$ 200 per candidate for Foreign Examiner****C. Remuneration for paper setting:****Rs.500/- per paper for MD/Diploma/DM/MCH/M.Sc (Bio-Chemistry)****Rs.400/- per paper for M.B.B.S****Rs.250/- per paper for B.Sc. (M.LT)****Rs.250/- per paper for B.Sc. (Nursing)**

**III. REMUNERATION TO SKILLED PERSONNEL AND OTHER STAFF**

Sl. No.	Category	No. of persons admissible	Rates
1.	Chief Supervisor	1	Rs.120/ per day
2.	Skilled Assistant	1	Rs.75/- per day
3.	Assistant Superintendent./Hall Superintendent	1	Rs.75/- per day
4.	Nurse	1	Rs.50/- per day
5.	Technician	1	Rs.50/- per day
6.	Senior Attender	1	Rs.35/- per day
7.	Junior Attender	1	Rs.35/- per day
8.	Coolie	1	Rs.35 per day
9. *	Patient		Rs.20/- per day
10.	Diet Charges	1	Rs.25/- per day per patient
11.	Waterman	1	Rs.25/- per day
12.	Sweeper	1	Rs.25/- per day
13.	Gas Man (for Bio-chemistry)	1	Rs.35/- per day

- \* For M.B.B.S (Clinical) -- 2 Patients per candidate  
 For Diploma/MD/MS/DN/MCH - 4 Patients per candidate

**SCHEDULE IV****HOSPITAL STOPPAGES****Classification of Beds and Charges**

	Room Rent	Diet Charge
'A' Wards single bed with attached bath and A/c facilities	Rs.150/-	Rs.30/-
'B' Wards single bed with attached bath	Rs.100/-	Rs.25/-
'C' Wards double bed with common bath	Rs.50/-	Rs.20/-

**1. Eligibility**

Any person willing to pay charges for private/special ward can be admitted.

**2. Eligibility for Government Servants**

Military staff and other Government servants are entitled for admission to the various categories as follows.

'C' Ward	-	Basic pay from Rs.2550/- to Rs.5499/-
'B' Ward	-	Basic pay from Rs.5500/- to Rs.7999/-
'A' Ward	-	Basic pay from Rs.8000/- and above

**3. Out-patients**

- No charges will be levied for OPD services/treatment in respect of patients whose monthly income does not exceed Rs.2,499/-.
- Charges will be levied for all OPD services/treatment in respect of the patients whose monthly income is Rs.2,500/- and above.
- Dental charges will be levied for all the OPD patients irrespective of the income.
- All therapy for cancer will be free for all types of patients irrespective of their income, whether in-door or out-door patients.



**4. Charges for Levy of Fees for Radiological Examination, Laboratory Tests, Clinical Procedures and Other Investigations**

- For 'A' and 'B' class special ward beds, full charges as per the Annexure-II, III and IV.
- 50% of charges for 'C' class special ward beds as per the Annexure II, III and IV.

**5. Charges for Artificial Appliances**

Charges for artificial appliances will be levied as per the rules framed for the purpose from time to time.

**6. For Students, C.H.S. and Junior Residents**

- Students of JIPMER and Compulsory House Surgeons will be eligible for 'C' class accommodation and no charges (including diet) would be made.
- Junior Residents will be entitled to FREE TREATMENT in 'C' class EXCEPT diet charges.

**7. For Staff and Senior Residents**

- No charges will be made to the staff of JIPMER including Senior Residents and their families as per C.S. (M.A.) Rules, 1944 as amended from time to time.
- Those covered under CGHS/Serving defence personnel including NCC shall be eligible for free treatment EXCEPT diet.

**8. For Retired Employees of JIPMER**

JIPMER Employees/their spouse shall be entitled for the same facilities of medical care, after retirement, to which they were entitled to during their service.

**9. For Freedom Fighters**

Freedom fighters of central pensioner and their dependents are eligible for the same facilities as applicable to Group 'A' Officers.

## 10. Green Card Holders

Green Card holders under the Family Planning Programme are eligible for free treatment in 'C' class beds.

### Note:

- Higher class of accommodation shall be provided if the entitled class of accommodation is not available and the admission is certified as URGENT by the Medical Superintendent/Deputy Medical Superintendent temporarily till entitled class of bed becomes available. In all other cases where the staff/student opt for higher type of accommodation than their entitlement, shall pay the difference of charges for operation, investigation, accommodation, etc., as admissible for that particular type of bed from the date of admission to higher class.
- Normally change of class of bed is not permissible. If change is desired from a lower to higher class, the patients shall have to pay all the charges admissible to higher class (except room rent for the period in lower class) from the date of admission.

## 11. Charges for Half-a-Day

Charges for half-a-day would be levied to the patients admitted after 12.00 Noon and discharges made before 12.00 Noon.

## 12. Others

- If, due to any technical or procedural errors and unavoidable circumstances, the same kind of tests or diagnosis and surgical procedures are to be repeated, in order to arrive at a correct diagnosis, that particular examination will not be charged from the patient. The medical officers will specify these type of instances on the top of the requisition/paying-in-card.
- Medical Superintendent in consultation with concerned surgeons may make suitable modifications in the list of operation charges if any new surgical procedure is to be added or it is felt that the charges for any operation on the higher or lower side. The same shall apply to charges for investigations also.
- All medicines will be purchased by the Special Ward patients. However, the medicines may be given for the first 24 hours against payments during which period the patients will make arrangement to buy them. Only in exceptional circumstances and in case of emergency of non-availability of particular

drugs in the open market, the medicines may be continuously given against payment with the permission of Medical Superintendent.

- Cost of medicines supplied by the hospital will be collected in full as and when administered. The charges will be fixed by the Pharmacy at the time of discharge of the patients depending upon the prevailing market rate.
- For General Ward patients, all medicines will be supplied free, but if some medicines are not stocked in the hospital the patients will have to make their own arrangements for the same.
- The Medical Superintendent may, for special reasons (Academic, Research or other reasons), can reduce or waive all collections of any fees, investigations or otherwise provided the total amount thus waived does not exceed Rs.30,000/- in a financial year. A quarterly statement of such remissions shall be entered in a separate register and sent to the Ministry/Pay and Accounts Office, Pondicherry for information.

### SCHEDULE OF CHARGES

S. No.	Investigations / Tests	Revised Rates of Central Govt. Hospitals (Rs.)
1.	Ultra Sound / NST	150.00
2.	I.V.P. (Test for Kidney, Ureter, etc.)	150.00
3.	Barium Meal (Gastro Intestinal)	150.00
4.	ECHO Cardiography (Heart Function)	250.00
5.	T.M.T. (Stress Test for Heart)	150.00
6.	Holter (Ambulatory / Mobile ECG)	250.00
7.	Urodynamics (Kidney functions)	500.00
8.	Endoscopy: Upper and Lower	100.00
	GI Endoscopy	100.00
	Bronchoscopy (Respiratory Tract)	100.00
	Cystoscopy (Urinary Bladder)	100.00
9.	Haemodialysis (Kidney)	500.00
10.	E.E.G. (For Brain)	200.00
11.	Lipid Profile (Blood test)	100.00
12.	ELISA Test (TB / AIDS)	25.00
13.	Intravenous Urography (Test: Kidney, Ureter, etc.)	150.00
14.	Micturating Cysto-urethrogram (Test for Kidney, Ureter, etc.)	150.00
15.	Retrograde Pyelography (Lower urinary tract)	150.00

16.	Infusion Pyelography (Lower urinary tract)	150.00
17.	Hephostogram (Lower urinary tract)	150.00
18.	Barium Swallow (Upper Gastro-intestinal tract)	150.00
19.	Barium Meal (Upper Gastrointestinal tract)	150.00
20.	Barium Meal follow through (Upper Gastrointestinal tract)	150.00
21.	Barium Enema (for Rectum, Colon, Intestine)	150.00
22.	Oral Cholescystography (Gall Bladder)	150.00
23.	Intravenous Cholangiography (Gall Bladder)	150.00
24.	Hysterography (Uterus)	150.00
25.	Myelography (Spinal Cord)	150.00
26.	T. Tube Cholangiography (Gall Bladder / Bile Duct)	150.00
27.	Venography (Veins)	150.00
28.	Peripheral Arteriography (Blood vessels)	150.00
29.	Sinogram (Sinus - nose)	25.00
30.	Sialography (Salivary glands)	50.00
31.	Dacryo-Cysto-Rhinography (Tear glands)	150.00
32.	Nursing Home:	
	Ordinary (New N.H.) 50.00 per day	250.00
	Deluxe (Old N.H.) 125.00 per day	50.00

**STATEMENT SHOWING THE REVISED HOSPITAL STOPPAGE RATES**

S. No.	Particulars	Revised Rate (Rs.)
<b>ACCOMMODATION CHARGES</b>		
1.	Ward A	150.00
2.	Ward B	100.00
3.	Ward C	50.00
<b>DIET CHARGES</b>		
1.	Type A	30.00
2.	Type B	25.00
3.	Type C	20.00

	Category - II	200.00	100.00
1.	Eversion (Sac)		
2.	Piles (Hemorrhoidectomy, Fistulectomy)		
3.	Bladder stones		
4.	Suprapubic cystostomy, bladder neck incision		
5.	Feeding operation or drainage procedures (Colostomy, Tramotomy, Gastrostomy)		
6.	Osteomyelitis of peripheral bones procedures for drainage, Sequestrectomy and saucerisation (curettage, exploration of wound, bone curettage)		
7.	Bronchoscopy		
8.	Esophagoscopy, cystoscopy, laryngoscopy, O'scopy and sigmoidoscopy, sclerotherapy		
9.	Rib resection and drainage		
10.	D and C, D and E (Fractional curettage)		
11.	Explorations for deep abscess (fibrosarcoma excision biopsy)		
12.	Hernias - Inguinal, epigastric, incisional (Kelley's repair, Keel repair)		
13.	Hydrocele (eversion of sac), Excision of testicular appendage		
14.	Orchidectomy		
15.	Fistula		
16.	Partial amputation of penis, Amputation of toes and fingers		
17.	Breast removal (total mastectomy), Fibroadenoma breast excision, Kibulectomy		
18.	Male sterilization (Vasectomy) reconstruction, M.T.P.		
19.	Operations on skull		
20.	Operations in the sinuses		
21.	Nasal septal corrections (SMR)		
22.	Lacrimal gland excision		
23.	Enucleation of eye balls		
24.	Tonsillectomy with or without Adenoidectomy (TAR)		
25.	Cleft lip repair - reduction of labioplasty		
26.	Deliveries - normal and abnormal, with or without episiotomy		
27.	Hypospadias, Asopa II repair MAGPI repair		
28.	Appendectomy (cystoscopy) (Interval)		
29.	Varicose veins (Robes procedure), Trendelenberg operation		
	Extraction of nail only		
	Suction Lipolysis with excision of ulcer		
	Mammoplasty		
	Coiopstraphy with Kelly's stitch		

<b>OPERATION CHARGES</b>			
		<b>Revised Rates (Rs.)</b>	
	<b>Category - I</b>	<b>A and B ward</b>	<b>C ward</b>
		<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
1.	Skin grafting (partial thickness) for small areas		
2.	Release of Pedicle (SSG)		
3.	Operation on small joints (Amputation of toe)		
4.	Closed or small open tenotomy		
5.	Polyp removal		
6.	Tracheotomy		
7.	Pharyngostomy		
8.	Dacryocystectomy		
9.	Operation for glaucoma (Sheie's operation) Trabeculectomy		
10.	Closed reduction of fractures (Tibial pin, Inter-dental, Inter-maxillary wiring) and manipulation		
11.	Iridectomy (Corneal repair) / Squint surgery		
12.	Adenoidectomy		
13.	Operation of external genitalia, vulva and vagina, cervical encircilage - conization		
14.	Plastic operation on eyelid		
15.	Endometrial biopsy, excision biopsy		
16.	Tubal insufflation (TT)		
17.	All abscess operation under General Anaesthesia		
18.	Myringotomy		
19.	Axillary Lymphnode biopsy		
20.	All suturing under G.A. Debridement		
21.	Endoscopy and procedure done under G.A. (Internal urethrotomy)		
22.	The excision of small tumours (operations)		
23.	A.V. Fistula (Urology)		
	Sphincterotomy		
	Staple removal		
	Trabeculectomy		
	Pin traction (skeletal)		

	Category - III	500.00	250.00
1.	Excision of large tumours or deep tumours, Fibroids - Myomectomy (Ward Mayo's)		
2.	Excision of bones (Patellectomy)		
3.	Block dissection of Lymphnodes		
4.	Perineal excision of rectum		
5.	Plastic operations of urethra		
6.	Prostatectomy		
7.	Bladder tumour removal by any route Removal of stones from kidney, ureter, etc. (Pylolithotomy), Pyloplasty, Urethrotomy, Baskettir. attempted, TURP.		
8.	Removal of kidney, ureta, bladder (Nephro-ureterectomy)		
9.	Partial nephrectomy or plastic repair (Scrotoplasty - reconstruction of penis)		
10.	Total amputation of penis Removal of retroperitoneal structures (Transverse colostomy)		
11.	All laparatomies (Abd. hysterectomy), Removal of ovaries (Oophorectomy), TAH with BSO, Okabayashi		
12.	Extensive skin grafting		
13.	Plastic reconstruction of skin, Debridement and skin grafting, Cross pedicle graft		
14.	Breast removal - complete breast removal - Radical, Patey's Mastectomy Operations of spine (Posterior spinal fusion)		
15.	Operations on hip, shoulder (Prothesis)		
16.	Operations on Knee, elbow (Synovectomy) (X-ray Thompson femoral head replacement) (Piorthesis), Modified Tones		
17.	Operations on ankle, PMSR, soultiere release younts		
18.	Bone grafting and use of pin, nail, plate, etc. (Extraction of nail curettage), screw fixation, removal of plate and bone block		
19.	Replacement of bone		
20.	Transplantation of tendons (Wrist Fucian) (T.A. lengthening) Steindlers		
21.	Open reductions with or without internal fixation (Prosthetic replacement), Girdle stones		
22.	Surgery of nerves (G.J. Vagotomy)		
23.	All amputations or disarticulation except fingers or toes		
24.	Major resections of larynx, pharynx, etc.		
25.	Operations on middle ear (Stapedectomy)		
26.	Cranial explorations		
27.	Nasopharyngeal tumour removal		
28.	All thoracic operations - Lobectomy		
29.	All vascular operation for disobiteration or reconstruction		
30.	Cataract (Intracapsular extraction) (Lens extraction)		
31.	Grafting or cornea		
32.	Operations for detachment of retina		
33.	Vaginal hysterectomy or cervicectomy		

- |     |   |
|-----|---|
| 34. | Vaginal operations for prolapse to reconstruct the pelvic floor Manchester repair |
| 35. | Perforating injury of the eyes  |
| 36. | Tympanoplasty, Tympanostomy   |
| 37. | Caesarean section (LSCS)  |
| 38. | Thyroidectomy (Hemithyroidectomy)   |
| 39. | Excision of Mandible  |
| 40. | Excision of salivary glands, Parotidectomy  |
| 41. | Radical neck dissection   |
| 42. | Cervical sympathectomy  |
| 43. | Repair of Palate  |
| 44. | Myringoplasty   |
| 45. | Maxillectomy  |
|     | Ethoidectomy (Extra Nasal)  |
|     | Frontal sinus operation   |
|     | Lateral Rhinotomy   |
|     | Transpalatal operation  |
|     | Laryngo-fissure   |
| 46. | Lateral pharyngotomy  |
| 47. | Mastoidectomy and Mastoid exploration   |
| 48. | Facial nerve decompression  |
| 49. | Facial nerve grafting   |
| 50. | Excision of temporal bone   |
| 51. | Laryngectomy  |
| 52. | Laryngopharyngectomy  |
| 53. | All gall bladder operations - Cholecystectomy and CBD exploration                 |
| 54. | Rhinoplasty   |
| 55. | Laminectomy and disectomy   |
| 56. | Abdominal perineal resection of rectum  |
| 57. | Tuboplasty  |
| 58. | Ureter implantation   |
| 59. | Vitreectomy   |
| 60. | Campbell's procedure  |
| 61. | Repair of cystocele and rectocele   |
| 62. | Rectopexy   |
| 63. | Hemicolectomy   |
| 64. | Excision of neurofibroma  |
| 65. | Splenectomy   |
| 66. | Reimplantation of foot  |



	Category - IV	Revised Rate (Rs.)	
		A and B	C
1.	Haemodialysis	500.00	250.00
2.	Peritoneal dialysis	200.00	100.00
3.	EEG (when available, ordinary)	75.00	38.00
4.	EEG (special)	200.00	100.00
5.	ECT modified	40.00	20.00
6.	Embalming	500.00	250.00
7.	Mortuary storage charges	300.00	300.00
8.	Open heart surgery	1,000.00	500.00
9.	Laser treatment	400.00	200.00
10.	Pulmonary function test	200.00	100.00
11.	Nebulisation therapy	75.00	38.00
12.	ECG	30.00	15.00
13.	Phonocardiography / STI	100.00	50.00
14.	DC cardioversion	100.00	50.00
15.	Temporary cardiac pacing	300.00	150.00
16.	Permanent cardiac pacing	500.00	250.00
17.	Electrophysiological evaluation	400.00	200.00
18.	Right heart catheterisation	400.00	200.00
19.	Left heart catheterisation and angiography + aortography, PTCA	800.00	300.00
20.	Angioplasty / Vulvalplasty	1,000.00	500.00
21.	BVP	1,000.00	500.00
22.	Non-stress test	150.00	75.00

## LABORATORY INVESTIGATIONS

S.No	Investigation	Revised Rate (Rs.)	
		A and B	C
<b>PATHOLOGY</b>			
1.	Blood grouping (ABO and Rh)	15.00	7.50
2.	Blood cross matching	15.00	7.50
3.	Blood grouping and matching	20.00	10.00
4.	Supply of 1 unit of blood/packed cells/frozen plasma/cryoprecipitate	100.00	50.00
5.	Charges where Donor is provided	75.00	37.50
6.	Platelet concentrate	150.00	75.00
7.	Rh-antibody titre	25.00	12.50
8.	Coomb's test	25.00	12.50

9.	Cold agglutining	20.00	10.00
10.	L.E. Cell / PCU	25.00	12.50
11.	Bone-marrow examination	30.00	15.00
12.	Coagulation studies: Thromboplastin generation test Prothrombin Time (PT) K.P.T.T.	100.00 100.00	50.00 50.00
13.	Fibrinogen degradation product	100.00	50.00
14.	Fibrinogen estimation	100.00	50.00
15.	Platelet factor	100.00	50.00
16.	Thrombin time	100.00	50.00
17.	Clot retraction	100.00	50.00
18.	Anti-nuclear antibody test	100.00	50.00
19.	Platelet antibodies	50.00	25.00
20.	Alkali denaturation test	20.00	10.00
21.	Sickling test	15.00	7.50
22.	Biopsies for Histopathology	50.00	25.00
23.	Cytology	25.00	12.50
24.	F.N.A.C.	50.00	25.00
25.	NaK	15.00	7.50
26.	MP and MF	15.00	7.50
<b>MICROBIOLOGY</b>			
1.	All Cultures for AFB Fungi, Amoeba and other organisms except	20.00	10.00
2.	Additional charges for sensitivity of above	10.00	5.00
3.	Brucella agglutination test	15.00	7.50
4.	Nail Felix reaction	15.00	7.50
5.	ASLO test	15.00	7.50
6.	C-reactive proteins	15.00	7.50
7.	Paul Bunnel test	15.00	7.50
8.	Cold Agglutination test	15.00	7.50
9.	Indirect hemagglutination test - Amoebiasis/ Toxoplasmosis / Filariasis	15.00	7.50
10.	Casoni's test	10.00	5.00
11.	Serological test for Virus, Widal, HBS Ag	20.00	10.00
12.	Virus culture and isolation	35.00	17.50
13.	Smear examination for Negribody	20.00	10.00
14.	Mouse inoculation for Rabies	40.00	20.00
15.	Animal inoculation for Toxoplasmosis	30.00	15.00
16.	Culture for Mycoplasma	30.00	15.00

S.No.	Investigation	A and B	C
17.	Sterility testing (water)	25.00	12.50
18.	Water analysis, Rose wala	20.00	10.00
19.	Any work involving animal inoculation	25.00	12.50
<b>PHARMACOLOGY</b>			
1.	Urinary catecholamines	40.00	20.00
2.	V.M.A.	60.00	30.00
<b>PHYSIOLOGY</b>			
1.	Pregnancy diagnostic test	40.00	20.00
2.	Pulmonary function test	20.00	10.00
3.	Skin thermometry	15.00	7.50
4.	Nerve conduction	20.00	10.00
5.	Basal metabolic rate	15.00	7.50
6.	Electromyography	30.00	15.00
7.	Tonocillography	30.00	15.00
<b>BIOCHEMISTRY</b>			
1.	Blood Glucose (Random / Fasting / Post prandial)	15.00	7.50
2.	Blood Urea	15.00	7.50
3.	Serum Electrolytes (Na, K, Cl) / Serum lithium	30.00	15.00
4.	Serum Bilirubin (Total Direct)	30.00	15.00
5.	Serum Protein (Total and Albumin)	20.00	10.00
6.	Serum Enzymes: Alkaline phosphatase	15.00	7.50
	Alanine aminotransferase (SGPT)	15.00	7.50
	Aspartate aminotransferase (SGDT)	15.00	7.50
	Lactate dehydrogenase (Total LDH)	15.00	7.50
7.	Complete Haemogram	40.00	20.00
8.	AC: Phosphatase total	15.00	7.50
9.	Acid Phosphatase Test - Prate Labile	15.00	7.50
10.	Creatine Phosphokinase (CK)	25.00	12.50
11.	Amylase	25.00	12.50
12.	Gamma Glutamy Transferase (GT)	15.00	7.50
13.	Creatinine (Serum / Urine)	15.00	7.50
14.	Creatinine clearance test	25.00	12.50
15.	Urea clearance test	25.00	12.50
16.	Glucose tolerance test (GTT) (3 samples)	50.00	25.00
17.	Serum Cholesterol	15.00	7.50
18.	Serum Triglycerides	25.00	12.50
19.	Serum HDL-cholesterol	25.00	12.50
20.	Serum Calcium (Total)	15.00	7.50
21.	Serum Inorganic phosphorus	15.00	7.50

22.	Uric Acid (Serum)	15.00	7.50
23.	Serum copper / ceruloplasmin	25.00	12.50
24.	Biofluids synovial, etc.	20.00	10.00
25.	Carbo spinal fluid analysis	50.00	25.00
26.	Blood Ammonia	25.00	12.50
27.	Blood Gas analysis (Ph, PCO <sub>2</sub> , PO <sub>2</sub> )	150.00	75.00
28.	Electrophoresis: Plasma / Serum protein	35.00	17.50
	Hemoglobin	35.00	17.50
	Lipoproteins	35.00	17.50
<b>S.No.</b>	<b>Investigation</b>	<b>A and B</b>	<b>C</b>
29.	Screening tests: Bence Jone Proteins	10.00	5.00
	Glucose 6 phosphatase deficiency	15.00	7.50
	Mucopoly saccharides	20.00	10.00
	5 HIAA (5 Hydroxy indole acetic acid)	15.00	7.50
	Amino Acids in Urine (Chronatography)	25.00	12.50
30.	Fecal fat studies	30.00	15.00
31.	VMA (Vanilyl Mandelic Acid) in Urine	15.00	7.50
32.	Urinary 17 Ketosteroide	30.00	15.00
33.	Hormonal Assays:		
	Radio active Iodine uptake 131 I	150.00	75.00
	T3	150.00	75.00
	T4	150.00	75.00
	TSH	150.00	75.00
	Insulin	150.00	75.00
	LH/FSH/PRDACHIR/C peptide/Testosterone, etc.	200.00	100.00
34.	Calculi analysis	20.00	10.00
35.	Miscellaneous: Hollander's test	25.00	12.50
	Total and Free Acidity in gastric juice	15.00	7.50
<b>DENTAL APPLIANCES</b>			
1.	Dental crown one	15.00	7.50
2.	Dental crown subsequent ones	10.00	5.00
3.	Maxillofacial dental prostheses	30.00	15.00
4.	Orthodontic appliances (Bite plate, retraction plate, retention plate, oral sargene)	25.00	12.50
5.	Orthodontic fixed: One jaw	90.00	45.00
6.	Partial Denture: One tooth plate	15.00	7.50
	Subsequent addition of each tooth	5.00	2.50
7.	Full Denture one jaw	60.00	30.00
8.	Full Denture both jaws	120.00	60.00

RADIOLOGICAL INVESTIGATIONS*			
1.	Barium Enema	75.00	37.50
2.	Pyelography intervenous and retrograde	100.00	50.00
3.	Cholacystography	75.00	37.50
4.	Salphingography	50.00	25.00
5.	Myelography	75.00	37.50
6.	Bronchography including surgical procedure	125.00	62.50
7.	Tomography	75.00	37.50
8.	Cerebral Angiography	100.00	50.00
9.	Pneumophalography	125.00	62.50
10.	Pneumophaigraphy - Procedures	125.00	62.50
11.	Barium Swallow	50.00	25.00
12.	Splenoportovanogram	50.00	25.00
13.	I.V. Cholenoglogram	50.00	25.00
14.	T. Tube Cholangiogram	50.00	25.00
15.	Percutaneous Cholangiogram	75.00	37.50
16.	Sailogram	25.00	12.50
17.	Cystogram	25.00	12.50
18.	Cystourethrogram	35.00	17.50

S.No.	Investigation	A and B	C
19.	Retroperitoneal air insufflation	50.00	25.00
20.	Pneumoperitoneum	25.00	12.50
21.	Cyneagram	25.00	12.50
22.	Sinogram	25.00	12.50
23.	Fistulogram	25.00	12.50
24.	Vanogram (peripheral)	50.00	25.00
25.	Inferior Venagacogram	100.00	50.00
26.	Thyroid Scan	75.00	37.50
27.	Liver Scan	100.00	50.00
28.	CAT Scan	1,000.00	500.00
29.	Ultra Sound (NST)	150.00	75.00
30.	CT Scan (brain)	1000.00	1000.00
31.	CT Scan (each other part)	1500.00	1500.00
32.	MRI Scan	3000.00	3000.00

\* Extra charges will be levied for Dye wherever it is needed.

**SCHEDULE V****PAY SCALES OF GROUP 'A' AND 'B' (GAZETTED AND NON GAZETTED)**

Sl.No.	Name of the Post	Pay Scales
	Director	Rs. 26000 Plus NPA
2	Dean	Rs. 18400-500-22400/- Plus NPA
3	Medical Superintendent	Rs. 18400-500-22400/- Plus NPA
4	Additional Medical Superintendent	Rs. 18400-500-22400/- Plus NPA
5	Assistant Professor (Medical)	Rs. 11625-325-15200/- Plus NPA
6	Assistant Professor (Non Medical)	Rs. 10000-325-15200/-
7	Associate Professor (Medical)	Rs. 14300-450-18300/- Plus NPA
8	Associate Professor (Non Medical)(Biometrics)	Rs. 12000-375-16500/-
9	Biochemist	Rs. 8000-275-13500/-
10	Chief Medical Officer	Rs. 12000-375-16500/- Plus NPA
11	Chief Nursing Officer	Rs. 10000-325-15200/-
12	Child Psychologist	Rs. 8000-275-13500/-
13	Clinical and Social Psychologist - cum Tutor	Rs. 8000-275-13500/-
14	Dental Surgeon	Rs. 8000-275-13500/-
15	Deputy Director	Rs. 10000-325-15200/-
16	Dy. Medical Superintendent	Rs. 12000-375-16500/- Plus NPA
17	Joint Director	Rs. 12000-375-16500/-
18	Jr. Clinical Biochemist	Rs. 8000-275-13500/-
19	Lecturer	Rs. 8000-275-13500/-
20	Medical Officer	Rs. 8000-275-13500/- Plus NPA
21	Additional Professor (Medical)	Rs. 16,400-450-20900/- Plus NPA
22	Nursing Superintendent	Rs. 8000-275-13500/-
23	Professor (Medical)	Rs. 18400-500-22400/- Plus NPA
24	Professor (Non Medical)	Rs. 14300-400-18300/-
25	Registrar	Rs. 8000-275-13500/-
26	Senior Medical Officer	Rs. 10000-325-15200/- Plus NPA
27	Social Scientist	Rs. 8000-275-13500/-

28	Welfare Officer	Rs. 8000-275-13500/-
29	Sr. Occupational Therapist	Rs. 8000-275-13500/-
30	Sr. Physiotherapist	Rs. 8000-275-13500/-
31	Senior Dietician	Rs. 8000-275-13500/-
32	Principal (College of Nursing)	Rs. 12000-375-16500/-
33	Vice Principal (College of Nursing)	Rs. 10000-325-15200/-
34	Lecturer (College of Nursing)	Rs. 8000-275-13500/-
35	Accounts Officer	Rs. 7450-225-11500/-
36	Administrative Officer	Rs. 7500-250-12000/-
37	Asst. Accounts Officer	Rs. 5500-175-9000/-
38	Asst. Administrative Officer	Rs. 6500-200-10500
39	Asst. Biochemist	Rs. 6500-200-10500
40	Asst. Lib. And Information Officer	Rs. 6500-200-10500
41	Asst. Registrar	Rs. 6500-200-10500
42	Dy. Nursing Superintendent.	Rs. 7500-250-12000/-
43	Hindi Officer	Rs. 6500-200-10500
44	Law Officer	Rs. 6500-200-10500
45	Manager (Press)	Rs. 6500-200-10500
46	Manager (Workshop)	Rs. 6500-200-10500
47	Medical Records Officer cum Tutor	Rs. 6500-200-10500
48	Private Secretary	Rs. 6500-200-10500
49	Scientific Officer cum Tutor	Rs. 6500-200-10500
50	Sr. Research Officer	Rs. 6500-200-10500
51	Social Service Officer	Rs. 6500-200-10500
52	Store Officer	Rs. 6500-200-10500
53	Superintendent. (CSSD)	Rs. 6500-200-10500
54	Supervisor (MID)	Rs. 6500-200-10500
55	Tech. Supervisor	Rs. 6500-200-10500
56	Tech. Supervisor(NTTC)	Rs. 6500-200-10500
57	Tutor in Speech Path. and Audiology	Rs. 6500-200-10500
58	Asst. Clinical Pathologist	Rs. 6500-200-10500
59	Asst. Nursing Superintendent	Rs. 6500-200-10500
60	Chemist	Rs. 5500-175-9000/-
61	Dietician	Rs. 6500-200-10500
62	Estate Manager	Rs. 6500-200-10500

63	Family Planning Extn. Educator	Rs. 5500-175-9000/-
64	Head Pharmacist	Rs. 5500-175-9000/-
65	Jr. Dietician	Rs. 5500-175-9000/-
66	Jr. Occupational Therapist	Rs. 5500-175-9000/-
67	Jr. Physiotherapist	Rs. 5500-175-9000/-
68	Medical Social Worker	Rs. 5500-175-9000/-
69	Medical Social Worker cum Tutor	Rs. 5500-175-9000/-
70	Nursing Sister	Rs. 5500-175-9000/-
71	Office Superintendent	Rs. 5500-175-9000/-
72	Office Superintendent(Stores)	Rs. 5500-175-9000/-
73	Orthotist	Rs. 5500-175-9000/-
74	Pharmacological Analyst	Rs. 5500-175-9000/-
75	Psychiatric Nurse	Rs. 5500-175-9000/-
76	Psychiatric Social Worker cum Tutor	Rs. 5500-175-9000/-
77	Public Health Nurse	Rs. 5500-175-9000/-
78	San. Superintendent	Rs. 5500-175-9000/-
79	Sr. Hindi Translator	Rs. 5500-175-9000/-
80	Sr. Medical Social Worker	Rs. 5500-175-9000/-
81	Sr. Photographer	Rs. 5500-175-9000/-
82	Sr. Translator cum information Asst.	Rs. 5500-175-9000/-
83	Sister Tutor	Rs. 6500-200-10500
84	Statistician cum Demonstrator	Rs. 5500-175-9000/-
85	Steno Gr. I	Rs. 5500-175-9000/-
86	Superintendent (Horticulture)	Rs. 5500-175-9000/-
87	Superintendent cum Manager	Rs. 5500-175-9000/-
88	Tech. Supervisor (Radiography)	Rs. 5500-175-9000/-
89	Prosthetist	Rs. 5500-175-9000/-



## SCHEDULE VI

**The method of recruitment, age, educational qualification and experience, etc., for various posts in the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (JIPMER)**

I. **Director:** The appointment to the post of Director (Rs.26000 fixed + NPA) shall be a tenure appointment for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five whichever is earlier. The educational qualification, the age etc. is as indicated as Annexure-I

II. **Medical Faculty Post:** The vacancies in Assistant Professor and the Professor shall be filled by direct recruitment. The direct recruitment can also be made at the level of Associate Professor and Additional Professor. The qualification or experience, etc., for the post are indicated in Annexure II. The exact qualification shall be determined at the time of each selection depending on the discipline in which the recruitment has to be made. The Career Advancement of the medical faculty in the institute shall be as per the Assessment Promotion Scheme in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. The details are at Annexure III.

III. Till the Institute formulates the regulations, the method of recruitment, age, educational qualification and experience for various posts belonging to General Central Service and General Duty Medical Officer shall be as contained in the recruitment rules notified by the Central Government for the respective posts. The Career Progression of officers belonging to General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service who opt to become the employees of the institute shall continue to be governed by the Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme as applicable to General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service. The Non-Medical Scientists who opt to become the employees of JIPMER shall continue to be governed by the in-situ rules as applicable to Non-Medical Scientists working in various institutions under the Ministry of Health and Family Welfare.

**ANNEXURE I****The age and educational qualification for the post of Director, JIPMER**

- Name of the post** - Director
- Pay Scale** - Rs.26000/- fixed + plus NPA of 25% of Basic Pay (Pay + DPA + NPA does not exceed Rs.44250/-)
- Age** - Not exceeding sixty years. Relaxable for Government servants or retired Government servants or serving or retired persons from autonomous institutions or statutory institutions of State or Central Government or exceptionally qualified candidates.
- Qualification** -
- (a) A high postgraduate qualification in Medicine or Surgery or Public Health and their branches
  - (b) Teaching and, or research experience of not less than ten years.
  - (c) Twenty-five years standing in the professions
  - (d) Extensive practical and administrative experience in the field of medical relief, medical research, medical education or public health organisation and adequate experience of running an important scientific educational institution either as its Head or Head of a Department.
- Tenure of service** - The appointment of Director shall be a tenure appointment of a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- Probation** - One year

The Director shall be entitled to a residential accommodation within the campus on payment of standard rate of license fee under FR 45 or 10% of pay, whichever is less.

## ANNEXURE - II

**RECRUITMENT RULES AND QUALIFICATION FOR THE MEDICAL FACULTY AT THE JIPMER, PUDUCHERRY**

S. No	Name of the post	Qualification
1.	<p><b>Professor</b></p> <p>Pay scale: Rs.18400-500-22400 (Plus NPA for medical candidates only)</p>	<p><b>Essential for medical candidates :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A medical qualification included in the I or II Schedule or Part II of the third Schedule to the Indian Medical Council Act of 1956 (persons possessing qualifications included in part II or third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Act.)</li> <li>2. A postgraduate qualification, e.g. MD or MS or a recognised qualification equivalent thereto in the respective discipline or subject.</li> </ol> <p align="center"><b>And/Or</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. M.Ch. for surgical superspecialties and D.M. for Medical Superspecialties (two years or three years or five years recognised course) or qualification recognised equivalent thereto.</li> </ol> <p><b>Experience:</b></p> <p>Fourteen years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD or MS or qualification recognised equivalent thereto.</p> <p align="center"><b>OR</b></p> <p>Twelve years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of</p>

		<p><b>M.Ch. or D.M. (two years or five years course recognised after MBBS) in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Eleven years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality for the candidates possessing three years recognised degree of D.M. or M.Ch. in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>ESSENTIAL FOR NON-MEDICAL CANDIDATES :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postgraduate qualification, e.g. Masters degree in the discipline or allied subject.</li> <li>2. A doctorate degree of a recognised University.</li> </ol> <p><b>Experience:</b> Fourteen years teaching and, or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining the doctorate degree.</p>
2.	<p><b>Additional Professor</b></p> <p>Pay Scale: Rs.16400-450-20900 (plus NPA candidates only)</p>	<p><b>Essential for medical candidates (for General discipline)</b></p> <p>Essential qualifications are same as for Professor (Medical)</p> <p><b>Experience:</b> Ten years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S. or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Essential for Superspeciality disciplines:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Same as Professor (Medical)</li> <li>2. D.M. in respective discipline or subject for</li> </ol>

medical superspecialities and M.Ch. in respective discipline or subject for surgical superspecialities (two years or three years or five years recognised course) or a qualification recognised equivalent thereto.

**Experience:**

Eight years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M. or M.Ch. (two years or five years recognised course after MBBS) in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.

OR

Seven years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality for the candidates possessing three years recognised degree or D.M. or M.Ch. in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.

**Essential for Non-Medical candidates:**

Essential qualifications are same as for Professor (Non-Medical)

**Experience:**

Ten years teaching and, or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining the doctorate degree.

<b>3.</b>	<b>Associate Professor</b>	<p><b>Essential for medical candidates (for General Disciplines)</b></p> <p><b>Essential Qualifications are same as for Professor (Medical)</b></p> <p><b>Experience :</b></p> <p>Six years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Essential for Superspeciality disciplines:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Same as Professor (Medical)</li><li>2. D.M. in the respective discipline or subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline or subject for surgical superspecialities (two years or three years or five years recognised course) or a qualification recognised equivalent thereto.</li></ol> <p><b>Experience:</b></p> <p>Four years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M. or M.Ch. (two years or three years recognised course after MBBS) in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>Three years teaching and, or research experience in a recognised institution in</p>
-----------	----------------------------	---

		<p>the subject of speciality for the candidates possessing three years recognised degree of D.M. or M.Ch. in the respective discipline or subject or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Essential for Non-Medical Candidates:</b></p> <p>Essential qualifications are same as for Professor (Non-Medical)</p> <p><b>Experience:</b> Six years teaching and, or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining the doctorate degree.</p>
4.	<p><b>Assistant Professor</b></p> <p>Pay Scale: Rs.11625-325-15200 (plus NPA for medical candidates only)</p>	<p><b>Essential for Medical Candidates (for General Disciplines):</b></p> <p>Essential qualifications are same as for Professor (Medical)</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>Three years teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S. or a qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Essential for Superspeciality disciplines:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Same as Professor (Medical)</li> <li>2. D.M. in the respective discipline or subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline or subject for surgical superspecialities (two years or three years or five years recognised course) or a</li> </ol>

		<p>qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>One year teaching and, or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M. or M.Ch. (two years or five years recognised course after MBBS) or a qualifying recognised equivalent thereto. However no experience is necessary for the candidates possessing the three years recognised degree of D.M. or M.Ch. or qualification recognised equivalent thereto.</p> <p><b>Essential for Non-Medical Candidates:</b></p> <p>Essential qualifications are same as for Professor (Non-Medical)</p> <p><b>Experience:</b></p> <p>Three years teaching and, or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining the doctorate degree.</p>
--	--	---



**ANNEXURE III****ASSESSMENT PROMOTION SCHEME FOR THE MEDICAL FACULTY OF  
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL  
EDUCATION AND RESEARCH (JIPMER)**

The salient features of the Assessment Promotion Scheme are as follows:

- (i) 100% of Assistant Professors with four years of service be considered for promotion as Associate Professors each year without linkage to the vacancies in the grade of Associate Professor.
- (ii) 75% of Associate Professors with four years of service be considered for promotion as Additional Professors each year without linkage to the vacancies in the grade of Additional Professor.
- (iii) 50% of eligible Additional Professors with seven years of regular service in the grade of Additional Professor maybe promoted as Professor each year without linkage to the vacancies in the grade on the following terms and conditions: -
  - (a) The presently sanctioned posts of Professors as well as newly created additional posts of Professors and posts forming part of the sanctioned strength falling vacant due to retirement, resignation, death or any other reasons will continue to be filled by open selection.
  - (b) The post of Professor vacated by a candidate promoted from the grade of Additional Professor to that of Professor under the Assessment Promotion Scheme will be filled only at the level of Assistant Professor.

- (iv) A faculty member could avail of a total of three chances at each level in Assessment Promotion Scheme. The time interval between the first and second chance would be two years and between the second and third chance it would be three years.
- (v) 25% of the sanctioned posts of Professor shall be operated at the level of senior Professor and shall be filled from the grade of Professor by selection.

## **2. APPLICATION:**

These Guidelines will apply to promotions to the faculty posts in the grade of Associate Professor, Additional Professor and Professor.

## **3. ELIGIBILITY:**

Assistant Professors or Associate Professors with four years and Additional Professors with seven years of regular service in the respective grades in JIPMER are eligible for promotion as Associate Professor, Additional Professor and Professor respectively. No other conditions, e.g. higher qualifications as for direct recruits, need be fulfilled.

## **4. LIMITATIONS ON NUMBER OF PERSONS TO BE PROMOTED:**

While 100% of Assistant Professors (with the required eligibility service) can be promoted to the grade of Assistant Professor if they are found fit, the number of such Associate Professors who can be promoted is limited to 75% of the Associate Professors with four years of service and who are also be eligible to be considered for that year. However, 50% of Additional Professors with seven years of service can be promoted to the grade of Professor if they are found fit.

**5. PERIODICITY AND CRUCIAL DATE:**

The Assessment Board will meet once a year and consider the fitness of all persons who have completed the eligibility service of four years and seven years respectively as on 30<sup>th</sup> June of that year. All promotions under the Scheme will be effective from 1<sup>st</sup> July.

**6. ELIGIBILITY LIST:**

As per the rules in force, there can be direct recruitment to all grades of the Faculty and the selection on each occasion could be for appointment to be made at the same time but in more than one discipline. The combined eligibility list of the Institute shall be worked out as follows: -

(i) The seniority of *employees* of the *Institute* in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the grade in question, those selected on an earlier occasion being ranked senior as a block to those selected later.

(ii) The preparation of seniority list of persons selected in the same selection committee would involve the following steps: -

**STEP - I :**

Draw up list of persons on the basis of their date of joining those joining on earlier date being placed above those joining on a later date.

**STEP -II :**

In the list prepared as above, those who join on the same date may be arranged in order of age-those born earlier being placed above those born later.

**STEP -III :**

For those joining on the same date and adjusted as in step II above according to their age, further rearrangement maybe carried out so that the original inter-se-seniority of the Institute employee in the lower post/grade maintained. This operation may be done by pulling down the junior in the previous combined seniority list immediately below his senior in that list now appearing in this list even though he may be elder in age.

**STEP -IV :**

The above list may now be further modified to carry corrections of violation of departmental merit/seniority laid down by the selection committee. This will be done by pulling the junior down immediately below his senior in merit.

**NOTE:** In cases where a junior in the combined seniority list is being considered for assessment, all persons senior to him in the seniority list will also be considered even though the seniors do not have the requisite years of service. The senior if found fit will be given notional promotion with effect from the date of promotion of his junior and for purposes of pay etc., it would be granted to him with effect from the date of actual promotion, i.e. the date on which he completes four years service on the grade at the JIPMER, provided the following two conditions are fulfilled: -

- a) Probation shall have been completed successfully.
- b) The total period of extension granted to join the service should not have exceeded six months.

**7. ASSESSMENT PROCESS:**

The Assessment Board shall take into consideration its recommendations of the Head of the Department or Unit, the performance of the faculty members with reference to annual confidential reports and his or her performance in the interview for deciding his fitness for promotion to the next higher grade. However, the Board may consider in absentia the candidature of such faculty members as are unable to present themselves for interview.

**8. NUMBER OF CHANCES:**

A faculty member could avail of total of three chances at each level for being considered for promotion under the Scheme. The time interval between the first and second chance would be two years and between the second and third chance three years. In case a candidate is found fit, but not given promotion due to ceiling, then it would not be considered as a chance availed of and his/her case will be reviewed at the next assessment subject to nothing adverse having come up within the year.

In other words, those candidates who have been assessed fit for promotion but not promoted due to the ceiling, need not be called for interview in the next assessment year. Their case will only be reviewed by the Board of the next year with reference to the Confidential Report earned by them for the intervening year and their names included in the select list if nothing adverse is noticed.

**9. COUNTING OF NUMBER OF CHANCES FOR THE PURPOSE OF 75% AND 50% CEILING:**

While considering the promotion from Associate Professor to Additional Professor, 75% ceiling may be determined on the number of candidates who are considered by the Standing Selection Committee in interview or in absentia [as approved by IB-6(e) on 15.1.1997]. As such from Additional Professor to Professor, 50% ceiling may be determined on the number of candidates who are considered by the Standing Selection Committee in interview or in absentia.

**10. PAY SCALES:**

(i)	Associate Professor	Rs.14300-400-18300 (plus NPA for Medical Persons only)
(ii)	Additional Professor	Rs.16400-450-20900 (plus NPA for Medical Persons only)
(iii)	Professor	Rs.18400-500-22400 (plus NPA for Medical Persons only)
(iv)	Senior Professor	Rs.22400-525-24500 (plus NPA for Medical Persons only)

**SCHEDULE VII**

**THE FEE TO BE CHARGED FROM THE CANDIDATES APPLYING FOR VARIOUS POSTS IN THE JAWAHARWAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PUDUCHERRY (JIPMER)**

The fee to be charged by the Institute from the candidates applying for various posts advertised by the Institute is as under:-

Category	Application fee		
	General/OBC	SC/ST	Cost of Form
All Group 'A', 'B' posts and Senior Residents/ Demonstrators and Senior Medical Officers	Rs.500/-	Rs.250/-	Rs.25/-
Group 'C' posts where selections are done by interview only	Rs.200/-	Rs.100/-	Rs.25/-
Group 'C' posts where selections are done by way of written test and interview	Rs.300/-	Rs.150/-	Rs.25/-
Group 'D' posts	Rs.150/-	Rs.75/-	Rs.10/-

**SCHEDULE VIII****THE APPOINTING, DISCIPLINARY AND APPELLATE AUTHORITY FOR THE VARIOUS POSTS IN THE JAWAHARWAL INSTITUTE OF POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PUDUCHERRY**

Sr. No.	Description of the Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and Appellate penalties which it may impose with reference to Rule-11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965		Appellate Authority
			Disciplinary Authority	Penalties under Rule-11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director	Institute (Subject to Rule-7 of JIPMER, Puducherry Rules, 2008	Institute	All subject to the condition that penalties (v) to (ix) shall not be imposed without the prior approval of the Central Government	Central Government
2.	All Group 'A' posts except Director	Governing Body	a) Governing Body b) President	All (i) to (iv)	Institute  Governing Body
3.	Group posts 'B'	President	a) President b) Director	All (i) to (iv)	Governing Body President
4.	Group and posts 'C' and 'D'	Director	Director	All	President



**Note : 1** Authorisation of Director, JIPMER - to issue the chargesheet and statement of imputation, penalties and suspension orders after obtaining the approval of the Governing Body or President, as the case may be. The notice, the chargesheet and the statement of allegation, etc., would be signed by the Director for and on behalf of Governing Body or the president as the case may be and the documents also expressly state this fact. Phrases like by the order of the Governing Body or the President can be used on such documents.

**Note : 2** Since the governing Body meeting are at fixed intervals, the *Chairman* of the Governing Body is authorised to initiate disciplinary proceeding against the employees of Group A and Faculty Members. The final decision on the penalty will be taken in the Governing Body meeting.

**SCHEDULE IX****ENTITLEMENT FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTERS AT JIPMER CAMPUS**

Sl.No.	Type of quarters	No. of quarters	Eligibility(basic pay)	Remarks
1.	Type C.II	13	Rs.15,100/=	Allotment has been made as per Seniority
2.	Type.VB	14	Rs.15,100/=	-do-
3.	Type,VA	14	Rs.12,000/=	-do-
4.	Type.D.II	24	Rs.12,000/=	-do-
5.	Type.IV	8	Rs.8,500/=	-do-
6.	Type.E	44	Rs.8,500/=	-do-
7.	Type.III	24	Rs.5,500/=	-do-
8.	Type. F	32	Rs.5,500/=	-do-
9.	Type.II	36	Rs.3050/=	-do-
10.	Type.G	100	Rs.3050/=	-do-
11.	Type.I	44	Rs.2500/=	-do-
12.	Type.H	92	Rs.2500/=	-do-
13.	MSR Quarters (Married Senior Residents)	24	Rs.8500/=	-do-

Total No. of quarters: 469

There shall be a house earmarked for Director.

[F.No.A-12034/18/2008-ME-III]

SHALINI PRASAD, Jt. Secy.